



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

संघ सरकार
वित्त एवं संचार
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 1
(अनुपालना लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 के लिए समाप्त वर्ष हेतु**

**संघ सरकार
वित्त एवं संचार
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 1
(अनुपालना लेखापरीक्षा)**

विषय-वस्तु

विवरण	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v-ix
अध्याय I: प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.2	1
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.3	2
संचार मंत्रालय (एम ओ सी)	1.4	2
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)	1.5	10
वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ)	1.6	11
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई)	1.7	14
लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूलियाँ	1.8	15
लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों / विभागों की प्रतिक्रिया	1.9	16
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.10	17
एम ओ सी / एम ई आई टी वाई / एम ओ एफ के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की स्थिति	1.11	18
प्रमाणन लेखापरीक्षा के परिणाम	1.12	18
खंड - क		
अध्याय II: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन के एन) परियोजना' पर विषय विशेष अनुपालना लेखापरीक्षा	2.1	19
'संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एस आई पी एस)' की अनुपालना लेखापरीक्षा	2.2	34
अध्याय III: डाक विभाग		
डाक विभाग द्वारा सरकारी विभागों से जी एस टी की वसूली न करना	3.1	49
केरल डाक सर्किल द्वारा पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसियों की परिपक्वता आय से टी डी एस की कटौती न करना	3.2	50
डाक विभाग में अनियमित पदोन्नतियाँ	3.3	52

विवरण	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
अध्याय IV: दूरसंचार विभाग		
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सरकार के साथ राजस्व साझेदारी की लेखापरीक्षा	4.1	55
खंड - ख		
अध्याय V: संचार मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
बी एस एन एल द्वारा पैसिव बुनियादी ढांचे के साझाकरण में कम बिलिंग	5.1	73
बी एस एन एल में उच्च आकार के पी आई जे एफ केबलों का उपयोग न होने के कारण निष्फल व्यय	5.2	76
बी एस एन एल द्वारा लाइसेंस शुल्क न काटने के कारण हानि	5.3	79
बी एस एन एल द्वारा पैसिव बुनियादी ढांचा साझाकरण प्रभार की कम बिलिंग	5.4	80
जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग न करने के कारण हानि	5.5	82
संविदागत बकाया की गैर-वसूली	5.6	84
खराब परियोजना प्रबंधन और ठेकेदारों को अनुचित लाभ के कारण राजस्व की हानि और निधि का अवरुद्ध होना	5.7	86
परिशिष्ट एवं अनुलग्नक		
परिशिष्ट	93	
अनुलग्नक	116	
शब्दावली	159	

प्राक्कथन

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2022-23 की अवधि में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में सामने आए परन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुपालना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इसमें पाँच अध्याय हैं। **अध्याय I** लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मंत्रालयों / विभागों की रूपरेखा प्रदान करता है और लेखापरीक्षा का अवलोकन करता है। **अध्याय II, III और IV** क्रमशः इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), संचार मंत्रालय (एम ओ सी) के अन्तर्गत डाक विभाग (डी ओ पी) तथा दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) की अनुपालना लेखापरीक्षा से उत्पन्न निष्कर्षों / टिप्पणियों से संबंधित है। **अध्याय V** संचार मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सम्बन्ध में हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों पर सिफारिशों के साथ निष्कर्षों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

अध्याय-II: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई):

क. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन के एन): राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन के एन) एक उच्च गति सूचना नेटवर्क है जो सभी विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और कृषि संस्थानों को जोड़ता है और इसे मार्च 2010 में कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीसीआई) द्वारा दस वर्ष की अवधि के लिए 1500 संस्थानों को जोड़ने के लिए ₹5,990 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, इस परियोजना में चार विस्तार हुये, अर्थात् 31 मार्च 2024 तक, जिसमें अंतिम विस्तार में परियोजना परिव्यय को संशोधित करके ₹6,548.20 करोड़ कर दिया गया।

परियोजना ने स्वीकृत व्यय के भीतर अपनी कनेक्टिविटी की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। हालांकि, सरकारी बजटीय सहायता की अवधि के बाद परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर काम नहीं किया गया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल (आई पी) पॉलिसी के कार्यान्वयन व प्रवर्तन तथा प्रयोक्ता संस्थानों के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिये समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने का कार्य अभी चल रहा है ताकि एनकेएन के तहत दिये गये हार्डवेयर का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, संस्थानों द्वारा अपर्याप्त बैंडविड्थ उपयोग और उपयोग विवरण के आधार पर किराए पर लिए गए / हटाए गए लिंक की अपर्याप्त निगरानी से परियोजना के लिए वित्तीय संसाधनों पर बोझ पड़ा। वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए एम सी) के निष्पादन में भी कमियां देखी गईं। मंत्रालय पूर्वोत्तर भारत में अतिरिक्त सुनिश्चित करने के लिए तीन सेवा प्रदाताओं से लंबी दूरी का नेटवर्क प्रदान करने के अपने स्वयं के सैद्धांतिक विचार को लागू नहीं कर सका।

सिफारिशें:

- i. मंत्रालय एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित करने पर विचार कर सकता है जो प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) रिपोर्ट की सुविधा के साथ संपूर्ण नेटवर्क विवरण प्राप्त करता है। नेटवर्क उपयोग और संबंधित लागतों को अनुकूलित करने के लिए आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।
- ii. समझौता जापनों और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उपयोग नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आवधिक सूचना प्रणाली (आई एस) सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
- iii. मंत्रालय समान परियोजनाओं में आकलन और बजट निर्धारण के लिए डी पी आर तैयार करते समय अंतिम मील मानचित्रण सुनिश्चित कर सकता है।
- iv. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि डी पी आर में समान परियोजनाओं के लिए कनेक्टिविटी के अंतिम मील तक बैंडविड्थ आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड शामिल हों।

ख. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एस आई पी एस): इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई एस डी एम) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने (जुलाई 2012) संशोधित-विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एस आई पी एस) शुरू की। इस योजना में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) में पूंजीगत व्यय के रूप में व्यवसाय द्वारा किए गए निवेश पर 20 प्रतिशत और गैर-एस ई जेड में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, पूंजीगत उपकरणों पर उत्पाद प्रभार/ प्रतिपूरक प्रभार (सी वी डी) की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह योजना दिसंबर 2018 तक या प्रोत्साहन प्रतिबद्धता ₹10,000 करोड़ तक प्राप्त करने, जो भी पहले हो, आवेदन हेतु खुली थी। आवेदकों द्वारा कुल ₹36,991 करोड़ (अप्रैल 2023) का निवेश किया गया और ₹2,136 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। हालाँकि, निवेश सीमित वर्टिकल्स में था।

कई संशोधनों के साथ नियोजन की कमियाँ नीतिगत स्थिरता को प्रभावित करती हैं। मंत्रालय के भीतर और बाहर, विभिन्न चरणों में आवेदनों के मूल्यांकन, सत्यापन और प्रोत्साहनों के संवितरण में देरी ने कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की। हमने मूल्यांकन के साथ-साथ दावों के सत्यापन में भी चूक देखी। पोर्टल के विकास में देरी और आवेदकों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण निगरानी में बाधा उत्पन्न हुई।

सिफारिशें:

- i. मंत्रालय समय पर मूल्यांकन और दावों के संवितरण के लिए संबद्ध एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रख सकता है।
- ii. मंत्रालय एम-एस आई पी एस पोर्टल के द्वारा निगरानी में सुधार कर सकता है।

अध्याय-III: डाक विभाग (डी ओ पी):

हमने पाया कि डाक विभाग ने निम्नलिखित मुद्दों पर प्रासंगिक प्रावधानों और स्थापित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कोष में ₹17.22 करोड़ का नुकसान हुआ।

- क. बुक नाउ पे लेटर (बी एन पी एल) योजना के तहत सरकारी विभागों से डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट सामग्री पर जीएसटी की वसूली न करने से 15 डाक सर्किलों में जुलाई 2022 से सितंबर 2023 के बीच ₹13.57 करोड़ का नुकसान हुआ।
- ख. केरल डाक सर्किल द्वारा 2019-20 (01 सितंबर 2019) से 2022-23 (मई 2023) के बीच डाक जीवन बीमा (पी एल आई)/ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) पॉलिसियों के पूर्ण होने पर प्राप्त आय से ₹3.65 करोड़ की टी डी एस कटौती न करना।
- ग. डी ओ पी के सात (7) डाक सर्किलों में अनियमित पदोन्नति जिसमें 40 एल डी सी और तीन (3) एम टी एस जिन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि भी पूरी नहीं की थी, उन्हें विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। परिणामस्वरूप, इन अधिकारियों को प्रवेश संवर्ग में पुष्टि की समाप्ति / घोषणा से पहले क्रमशः कनिष्ठ लेखाकार और एल डी सी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया।

सिफारिशें:

- i. विभाग एक ऐसी प्रणाली विकसित कर सकता है, जिसमें जी एस टी नियमों और इसके संशोधनों पर निर्देश वास्तविक समय के आधार पर क्षेत्रीय इकाइयों को जारी किए जाएं और बिना किसी देरी के कार्यान्वित किए जाएं, जिससे सरकारी कोष को होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
- ii. डी ओ पी सभी संवर्गों में भर्ती नियमों की गहन समीक्षा कर सकता है तथा स्थापित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन कर सकता है।

अध्याय-IV: दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

क. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सरकार के साथ राजस्व हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा: दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) अपने संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए), लाइसेंसिंग वित्त प्रभाग और वायरलेस वित्त प्रभाग (डब्ल्यू एफ डी) के कार्यालयों के माध्यम से राजस्व हिस्सेदारी और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन, संग्रह और लेखांकन के लिए जिम्मेदार है। 2017-22 की अवधि के दौरान, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा किया जाने वाला राजस्व औसतन सालाना ₹13,947 करोड़ है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्शन 16 के अनुसार सी ए जी के लिए यह अनिवार्य है कि वह स्वयं को संतुष्ट करें कि भारत सरकार को उसका

पूरा और सही हिस्सा प्राप्त हो गया है। प्रस्तुत रिपोर्ट में छह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के संबंध में देखे गए निष्कर्षों पर चर्चा की गई है, जिनका मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2017-18 से दूरसंचार विभाग द्वारा पूरा किया गया था।

हमने पाया कि अधिकांश मूल्यांकन में देरी हुई; मूल्यांकन के लिए निर्धारित अवधि 12 महीने के बजाय औसतन 20 महीने लगे। नमूना-जांच किए गए मूल्यांकनों में से 9.23 प्रतिशत में कम मूल्यांकन और बकाया राशि की कम वसूली पाई गई जो कुल मिलाकर ₹2,463.67 करोड़ हो गई। हमने निर्देशों में अस्पष्टता और आदेशों व निर्देशों के अपर्याप्त अनुपालन के अलावा लंबित बकाया राशि की वसूली न होने, मूल्यांकन में त्रुटियों और अनुचित लेखांकन को भी देखा। इनमें से अधिकांश निष्कर्ष स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के मूल्यांकन से संबंधित थे। इसके अलावा, राजस्व प्रबंधन सॉफ्टवेयर सरस (एल एफ राजस्व और एस यू सी के मूल्यांकन के लिए प्रणाली) जनवरी 2021 में राजस्व हिस्सेदारी के मूल्यांकन और संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें कमियाँ थीं।

सिफारिशें:

- i. दूरसंचार विभाग को संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए) और लाइसेंसिंग वित्त मूल्यांकन (एल एफ ए) प्रभाग के कार्यालयों में मानव संसाधन प्रबंधन (एच आर एम) को मजबूत करना चाहिए ताकि समय पर और सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।
- ii. दूरसंचार विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेशों और निर्देशों में अस्पष्टता न हो तथा जहां भी ऐसा हो, उसका समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।
- iii. दूरसंचार विभाग को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के ऑनलाइन मूल्यांकन, संग्रहण और लेखांकन को सुव्यवस्थित करने के लिए डेटा को अद्यतन और समन्वयित करके राजस्व प्रबंधन प्रणाली (सरस) को मजबूत करना चाहिए।

अध्याय-V: एम ओ सी के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

हमने दूरसंचार विभाग के तहत पी एस यू, बी एस एन एल एल और आई टी आई की ओर से अनुबंध की शर्तों का पालन न करने, उचित परिश्रम की कमी, गैर-बिलिंग और दोषपूर्ण योजना को पाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1944.92 करोड़ की हानि हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- i. बी एस एन एल मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल) के साथ मास्टर सेवा करार (एम एस ए) को लागू करने में विफल रहा और बी एस एन एल के साझा पैसिव बुनियादी ढांचे पर इस्तेमाल की गई अतिरिक्त तकनीक के लिए बिल नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप मई 2014 से मार्च 2024 के बीच सरकारी कोष में ₹1757.76 करोड़ तथा उसपर दंडात्मक ब्याज की हानि हुई।

- ii. बी एस एन एल द्वारा दोषपूर्ण योजना और अपने स्वयं के खरीद नियमावली के प्रावधानों से विचलन के परिणामस्वरूप बड़े आकार के पॉलीइथिलीन इंसुलेटेड जेली युक्त (पी आई जे एफ) भूमिगत केबलों की अविवेकपूर्ण खरीद हुई, जिसमें से ₹80.64 करोड़ मूल्य के केबल अप्रयुक्त रह गए, जिससे व्यय निष्फल हो गया।
- iii. बी एस एन एल ने 22 सर्किलों (28 सर्किलों में से) में, करार में निर्धारित शर्तों के अनुसार दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं (टी आई पी) को भुगतान किए गए राजस्व हिस्से से लाइसेंस प्रभार के हिस्से की कटौती नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए ₹38.36 करोड़ की हानि हुई।
- iv. बी एस एन एल द्वारा आर जे आई एल के साथ एम एस ए में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन न करने और वृद्धि खंड को लागू न करने के परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे के साझाकरण प्रभार के रूप में ₹29 करोड़ (जी एस टी सहित) के राजस्व की हानि हुई।
- v. बी एस एन एल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर डक्ट हायरिंग चार्ज से संबंधित बिलों का सत्यापन और प्रसंस्करण नहीं किया। परिणाम स्वरूप, उसे जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण ₹5.43 करोड़ की हानि हुई।
- vi. करार में निर्धारित अग्रिम भुगतान प्राप्त होने से पहले परियोजना पर काम शुरू करने और करार के विवाद समाधान खंड को लागू करने में बी एस एन एल की विफलता के परिणामस्वरूप ₹4.80 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। इसके अलावा, देयता खंड को शामिल न करने से ₹2.31 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि हुई।
- vii. आई टी आई लिमिटेड द्वारा अपने नियमावली का पालन न करने, विक्रेता को अनुचित लाभ पहुंचाने और (अनुबंध निष्पादन गारंटी) सी पी जी का संग्रह न करने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹28.93 करोड़ का नुकसान हुआ और ₹6.93 करोड़ का अवरोध हुआ।

अध्याय	प्रस्तावना
I	

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, वित्त और संचार (एफ एंड सी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में वर्ष 2022-23 के दौरान संचार मंत्रालय (एम ओ सी) (दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और डाक विभाग (डी ओ पी)), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) और वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग (डी ई ए) और व्यय विभाग (डी ओ ई)) के सहित इन मंत्रालयों के तहत 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और चार वैधानिक स्वायत्त निकाय शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं, जिन्हें निम्नलिखित पाँच अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है,

अध्याय 1 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों / विभागों की रूपरेखा तथा लेखापरीक्षा का अवलोकन प्रदान करता है।

अध्याय II, III और IV में क्रमशः इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय के अन्तर्गत डाक विभाग (डी ओ पी) तथा दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) की लेखापरीक्षा से उत्पन्न निष्कर्ष/टिप्पणियां शामिल हैं।

अध्याय V में संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण टिप्पणियां शामिल हैं।

1.2 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को प्रतिवेदन करने का अधिकार क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से लिया गया है। सी ए जी, सी ए जी (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13 और 17 के तहत भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित और सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले निकायों को अधिनियम की धारा 19(2) के तहत लेखापरीक्षा के लिए वैधानिक रूप से लिया जाता है। अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जनहित में अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) की लेखापरीक्षा सी ए जी को सौंपी गई है। इसके अलावा, केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सी ए बी), जिन्हें भारत की संचित निधि से अनुदानों / ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सी ए जी द्वारा की जाती है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के दौरान, अनुपालना लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन सामयिकता, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अलावा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन, गबन के पूर्व उदाहरण, दुर्विनियोजन, गबन आदि के साथ-साथ पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल हैं। लेखापरीक्षा के बाद, इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, जहां आवश्यक हो, अनुपालना को व्यक्त (स्पष्ट) करने पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निपटान किया जाता है।

अनुपालना हेतु लंबित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा पैराग्राफ के रूप में आगे संसाधित किया जाता है तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव से प्रतिक्रिया मांगी जाती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार), दिल्ली का कार्यालय, सी ए जी का क्षेत्रीय कार्यालय है, जो सी ए जी कार्यालय के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत, अपने लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के मंत्रालयों / विभागों की लेखापरीक्षा की योजना बनाता है और उसका संचालन करता है।

क. लेखापरीक्षा इकाइयों: रूपरेखा

महानिदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार), दिल्ली के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लेखापरीक्षित संस्थाओं के संक्षिप्त विवरण की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गयी है।

1.4 संचार मंत्रालय (एम ओ सी)


भारत सरकार के अधीन संचार मंत्रालय (एम ओ सी) में दो विभाग शामिल हैं, नामतः दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और डाक विभाग (डी ओ पी)। डी ओ टी दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है और डी ओ पी भारत में डाक सेवाएँ प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है। एम ओ सी को 2016 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अलग करके बनाया गया था।

1.4.1 दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

दूरसंचार विभाग दूरसंचार क्षेत्र में नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुसंधान एवं विकास के लिए ज़िम्मेदार है। विभाग आवृत्ति का आवंटन भी करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार का प्रबंधन करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दूरसंचार विभाग का अनुदान और व्यय चित्र 1.1 में दिया गया है।

चित्र 1.1: दूरसंचार विभाग का अनुदान / विनियोजन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)




स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दूरसंचार विभाग के विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में दूरसंचार विभाग के अनुदान में भारी वृद्धि (85 प्रतिशत) देखी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय ₹1,22,509.06 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 184 प्रतिशत अधिक था, जिसका मुख्य कारण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन (यू एस ओ) लेवी (पिछले वर्षों में एकत्रित लेकिन हस्तांतरित नहीं की गई राशि सहित) को यू एस ओ निधि में हस्तांतरित करना और बी एस एन एल / एम टी एन एल में पूंजी निवेश करना था। पैरा 1.4.1.1 में यू एस ओ निधि के बारे में विस्तार से बताया गया है।

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार हैं। लाइसेंस शुल्क लाइसेंस धारकों द्वारा अर्जित राजस्व के प्रतिशत के रूप में है। स्पेक्ट्रम राजस्व के मुख्य घटक स्पेक्ट्रम की नीलामी से एकत्रित राशि और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए गए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार का विवरण चित्र 1.2 में दिया गया है।

चित्र 1.2: 2018-19 से 2022-23 के दौरान लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दूरसंचार विभाग के केंद्रीय लेनदेन का विवरण (एस सी टी)

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक लाइसेंस शुल्क के संग्रह में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, इसी अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम राजस्व के संग्रह में 36 प्रतिशत (₹24,720.36 करोड़) की उल्लेखनीय कमी आई। यह मुख्य रूप से दूरसंचार क्षेत्र के सुधारों और सहायता पैकेज (सितंबर 2021) के कारण हुआ, जो 21 जून 2022 से लागू था, जिसके तहत भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एस यू सी) माफ कर दिया गया था।

1.4.1.1 दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आरक्षित निधि: सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ)

ग्रामीण टेलीफोनी को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार (जी ओ आई) ने 01 अप्रैल 2002 से संसद के एक अधिनियम द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) का गठन किया। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) को पूरा करने के लिए संसाधनों को यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) के माध्यम से विभिन्न लाइसेंसों के तहत सभी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व के प्रतिशत के रूप में जुटाया जाना था। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के पैरा 9बी के अनुसार यू एस ओ एफ के लिए प्राप्त धनराशि पहले भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी और केंद्र सरकार समय-समय पर बजट में विनियोजन के माध्यम से इस तरह की आय को निधि में जमा कर सकती है जिसका उपयोग केवल यू एस ओ को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यू एस ओ एफ के माध्यम से कार्यान्वयन के तहत महत्वपूर्ण योजनाएं भारतनेट परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) और द्वीप समूह के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सी टी डी पी), लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिज़म (एल डब्ल्यू ई) चरण II आदि हैं।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 44) में यू एस ओ निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। पिछले पांच वर्षों में निधि से प्राप्ति और व्यय का विवरण चित्र 1.3 के अनुसार है।

चित्र 1.3: यू एस ओ एफ से प्राप्ति और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति (यूनिवर्सल एक्सेस लेवी)	यू एस ओ निधि में अंतरण		निधि में वास्तविक अंतरण	वास्तविक प्राप्तियों के संदर्भ में लघु अंतरण	संचयी लघु अंतरण	निधि से वास्तविक संवितरण	यू जी एफ ए के अनुसार निधि में शेष राशि
		बी ई	आर ई					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2)-(5)	(7)	(8)	(9)=(8)-(5)
वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक प्रारंभिक शेष*						48,426.76		
2018-19	6,911.50	10,000.00	5,000.00	4,788.22	2,123.28	50,550.04	4,788.22	0.00
2019-20	7,961.53	8,350.00	3,000.00	2,926.00	5,035.53	55,587.57	2,926.00	0.00
2020-21	9,471.23	8,000.00	7,200.00	7,200.00	2,271.23	57,856.80	7,200.00	0.00
2021-22	10,376.23	9,000.00	8,300.00	8,300.00	2,076.23	59,933.03	8,300.00	0.00
2022-23	12,692.68	9,000.00	3010.00	53,500.00	(40,807.32)	19,125.71	3,500.00	50,000.00

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (यू जी एफ ए) और वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के संघ सरकार के बजट दस्तावेजों का व्यय विवरण;

* 31-01-2024 तक यू एस ओ के तहत संभावित निधि के रूप में उपलब्ध यू ए एल राशि को दर्शाने वाले विवरण के अनुसार शेष राशि, 01-07-2024 को यू एस ओ एफ वेबसाइट से प्राप्त की गई

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार ने यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) जो यू एस ओ एफ में अंतरण के लिए आवश्यक होगा, का पूर्वानुमान (बी ई) काफी सटीकता से लगाया था; हालांकि संशोधित अनुमानों को बी ई की तुलना में कम कर दिया गया था। बी ई ₹9,000 करोड़ और आर ई ₹3010 करोड़ के प्रतिकूल वित्तीय वर्ष 2022-23 में यू एस ओ एफ में ₹53,500 करोड़ का अंतरण करने के साथ यह प्रवृत्ति उलट गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹12,692.68 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों के संदर्भ में यू ए एल का नामित निधि में कुल ट्रांसफर बहुत अधिक था।

मंत्रालय ने कहा कि यह अंतरण, बार-बार की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन में किया गया था, जिसमें यू एस ओ एफ के संग्रह के कम अंतरण को दर्शाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लोक लेखा समिति की उड़नचासवां प्रतिवेदन (15वां लोकसभा) के साथ-साथ आई टी (39वां प्रतिवेदन) पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की गई।

लोक लेखा समिति (15वां लोकसभा का 14वां और 49वां प्रतिवेदन) की सिफारिश की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि सरकार को चाहिये कि वह यूनिवर्सल सर्विस लेवी के रूप में एकत्रित पूरी राशि को यू एस ओ निधि में जमा करे, खासकर तब जब निधि में प्राप्त राशि का उपयोग केवल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन को पूरा करने के लिए किया जाना हो। अंतरण के लिए लंबित बड़ी राशि और तुलनात्मक रूप से कम उपयोग दर को देखते हुए, मंत्रालय यूनिवर्सल एक्सेस लेवी को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर सकता है।

1.4.1.2 दूरसंचार क्षेत्र की नियामक रूपरेखा

क. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 20 फरवरी 1997 को संसद के एक अधिनियम द्वारा दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्कों में निर्धारण / संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, जिसका अधिकार पहले केंद्र सरकार के पास था। ट्राई का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता हो, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करने का बढ़ावा देता हो, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता हो और सभी तक तकनीकी लाभ की पहुंच को सक्षम बनाता हो।

ट्राई प्रसारण और केबल सेवाओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मामले में या तो स्वयं या लाइसेंसकर्ता अर्थात् डी ओ टी, एम ओ सी या सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) के संदर्भ में डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व पर सिफारिशें भी करता है। यह हितधारकों को निर्देश जारी करने से पहले उनके साथ चर्चा के लिए परामर्श पत्र प्रकाशित करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, ट्राई ने 18 परामर्श पत्र और 16 सिफारिशें जारी की हैं।

अन्य नियामकों जैसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) की तरह ट्राई को गैर-सरकारी स्रोतों से नई प्रतिभाओं की भर्ती करने और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं है।

यह निकाय पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अधिनियम की धारा 22(1)(क)(ख) में कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि नामक एक निधि होगी और सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार इसमें जमा किए जाएंगे।

ट्राई ने वर्ष के दौरान प्राप्त ₹254.72 करोड़ (राजस्व और पूंजीगत) के अनुदान-सहायता में से ₹195.11 करोड़ की राशि का उपयोग किया है। 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट (पैरा 4.25) में ट्राई ने सुझाव दिया है कि यदि लाइसेंस शुल्क का एक छोटा हिस्सा ट्राई को प्रशासनिक शुल्क के रूप में दिया जाता है, तो अनुदान-सहायता के रूप में सरकारी समर्थन की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था ट्राई को एक स्वतंत्र नियामक के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करेगी।

ख. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी एस ए टी)

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी एस ए टी) की स्थापना 24 जनवरी 2000 को ट्राई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एक लाइसेंसकर्ता और एक लाइसेंसधारी के बीच, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच, एक सेवा प्रदाता और एक उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी भी विवाद का निपटान करने और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील सुनने और

निपटान करने के लिए की गई थी। चित्र 1.4 दर्शाता है कि टी डी एस ए टी में अपीलों का निपटान लंबित मामलों के अनुरूप नहीं है।

चित्र 1.4: 2021-23 की अवधि के दौरान टी डी एस ए टी में लंबित अपीलों का विवरण

प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति	लंबित अपीलों का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान दायर की गई नई अपीलें	वर्ष के दौरान निपटाई गई अपीलें	वर्ष के अंत में लंबित अपीलों का अंतिम शेष
2021-22	118	18	5	131
2022-23	131	13	13	131

1.4.1.3 डी ओ टी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

डी ओ टी के अधीन 11 पी एस यू हैं। 31 मार्च 2023 तक इन पी एस यू में सरकार द्वारा निवेश की गई कुल पूंजी ₹40,751.47 करोड़ थी (विवरण परिशिष्ट I के अनुसार है)। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत महत्वपूर्ण पी एस यू का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:


क. भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल)

अक्टूबर 2000 में गठित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करती है। बी एस एन एल एक प्रौद्योगिकी-उन्मुख कंपनी है और विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं जैसे लैंडलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, स्थानीय लूप में वायरलेस (डब्ल्यू एल एल) और मोबाइल सम्प्रेषण के लिए विश्वव्यापी व्यवस्था (जी एस एम), ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, लीज्ड सर्किट और लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। मार्च 2023 के अंत में बी एस एन एल में सरकारी निवेश ₹38,886.44 करोड़ था।

बी एस एन एल वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) के माध्यम से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं जैसे 4 जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ को किराये पर लेना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैंडविड्थ का विस्तार करना आदि को क्रियान्वित कर रहा है।

पिछले पांच वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन चित्र 1.5 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल राजस्व और हानि क्रमशः ₹20,698.90 करोड़ और ₹6,662.20 करोड़ थी।

चित्र 1.5: पिछले पांच वर्षों के दौरान बी एस एन एल का प्रदर्शन



(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बी एस एन एल की वार्षिक रिपोर्ट और ट्राई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)


कंपनी के राजस्व के मुख्य स्रोत सेलुलर, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज़ ऑपरेशन थे। चित्र 1.5 से पता चलता है कि पिछले पाँच वर्षों में वायरलेस के साथ-साथ वायरलाइन ग्राहक आधार में कमी आई है, हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान घाटे में कमी का मुख्य कारण कर्मचारी लाभ व्यय में कमी और सेलुलर आय में वृद्धि है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, परिचालन से राजस्व वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹17,761 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹19,128 करोड़ हो गया, जो सरकार द्वारा ₹3.2 लाख करोड़ के पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के कारण 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करता है।

ख. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) की स्थापना 1986 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी और यह दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। एम टी एन एल इन दो महानगरों में स्थिर लाइन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रहा है। एम टी एन एल एक सूचीबद्ध कंपनी है और मार्च 2023 के अंत में ₹354.38 करोड़ मूल्य के 56.25 प्रतिशत शेयर सरकार के पास हैं और बाकी अन्य शेयरधारकों के पास हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,474.02 करोड़ था और इसे ₹2,910.74 करोड़ की हानि हुई। पिछले पांच वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन चित्र 1.6 में दिया गया है।

चित्र 1.6: पिछले पांच वर्षों के दौरान एम टी एन एल का निष्पादन



स्रोत: एम टी एन एल की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्राई द्वारा प्रदर्शन संकेतक

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वायरलेस और वायरलाइन दोनों उपभोक्ताओं की संख्या में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के राजस्व में निरंतर गिरावट आ रही है।

एम टी एन एल के पास समुद्री केबल परियोजना स्थापित करने और आई टी समाधान प्रदान करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) भी है।


दूरसंचार विभाग के अंतर्गत शेष पी एस यू का विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

1.4.2 डाक विभाग (डी ओ पी)

भारत का डाक नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है, जिसमें 1.59 लाख से अधिक डाकघर हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यह देश के दूरदराज कोनों तक अपनी सेवाएं पहुंचाता है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि डाक का प्रसंस्करण, संचरण और वितरण है, यह धन प्रेषण, बैंकिंग, बीमा, पासपोर्ट सेवाओं और आधार नामांकन सह अद्यतन सेवाओं सहित विविध खुदरा सेवाओं का कार्य भी करता है। यह सैन्य और रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन, कोयला खदान कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत शामिल किए गए उद्योगों को पेंशन वितरित करने का भी कार्य करता है। डी ओ पी को केंद्र सरकार के कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सामाजिक लाभ भुगतान के वितरण की जिम्मेदारी भी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डी ओ पी की राजस्व प्राप्तियां, वसूलियां और राजस्व व्यय चित्र 1.7 में दिखाए गए हैं।

चित्र 1.7: डी ओ पी की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डी ओ पी के विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹13,196 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹10,918 करोड़ हो गईं। राजस्व व्यय जोकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹27,994 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹32,596 करोड़ हो गया, में वृद्धि के कारण घाटा बढ़ता रहा। राजस्व व्यय में वृद्धि का श्रेय वेतन और भत्ते, आकस्मिकता, बोनस, पेंशन प्रभार आदि जैसे कार्य चालन व्यय में वृद्धि को दिया जाता है।

डाक विभाग के पास इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नामक केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, इसे अगस्त 2016 में निगमित किया गया था, इसके पास 31 मार्च 2023 तक ₹1,655.00 करोड़ का पूंजीगत निवेश है (विवरण परिशिष्ट I के अनुसार है)। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

1.5 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के अलावा सभी मामले) में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।


एम ई आई टी वाई भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुंच, डिजिटल विभाजन कम करने, डिजिटल

समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान एम ई आई टी वाई द्वारा किए गए व्यय की तुलना में प्राप्त अनुदान का विवरण चित्र 1.8 में दिया गया है।

चित्र 1.8: अनुदान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एम ई आई टी वाई के विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम ई आई टी वाई का कुल अनुदान ₹14,620.05 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम ई आई टी वाई का व्यय ₹9,220.29 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़त दर्शाता है।

एम ई आई टी वाई के अंतर्गत पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। 31 मार्च 2023 के अंत में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई कुल पूंजी ₹2.00 करोड़ थी (विवरण परिशिष्ट I के अनुसार है)। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के अंतर्गत संलग्न कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

1.6 वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ)

वित्त मंत्रालय कराधान, वित्तीय विधान, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र और राज्य के वित्त तथा संघीय बजट से संबंधित है। मंत्रालय में छह विभाग नामतः व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व

विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग शामिल है।


कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (एफ एंड सी) को आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए) और व्यय विभाग (डी ओ ई) की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है।

1.6.1 आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए)

डी ई ए मुद्रास्फीति, मूल्य नियंत्रण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आधिकारिक विकास सहायता और केंद्रीय बजट की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक मुद्दों पर सलाह के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.9 में दी गई है।

चित्र 1.9: आर्थिक कार्य विभाग का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डी ई ए के विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, डी ई ए का कुल अनुदान ₹20,502.28 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत कम था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹47,734.07 करोड़ के प्रति वित्तीय वर्ष 2022-23 में डी ई ए का व्यय ₹12,133.71 करोड़ था जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत कम था। बचत मुख्य रूप से 'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश' और 'सस्ती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो' में निवेश के कम भौतिकीकरण और 'एन आई आई एफ अवसंरचना ऋण वित्तीयपोषण मंच में पूंजी निवेश' में निवेश के गैर-भौतिकीकरण के कारण हुई।

डी ई ए के अन्तर्गत चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। 31 मार्च 2023 के अंत तक इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा निवेश की गई कुल पूंजी ₹3,587.52 करोड़ थी (विवरण परिशिष्ट I के अनुसार है)। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

1.6.1.1 क्षेत्र की नियामक रूपरेखा

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सेबी)

सेबी 12 अप्रैल 1992, को स्थापित एक वैधानिक नियामक संस्था है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए भारतीय पूंजी और प्रतिभूति बाजार की निगरानी और विनियमन करना, नियमन और दिशानिर्देश तैयार करना है।

सेबी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से कोई अनुदान सहायता / सब्सिडी नहीं मिली और वह अपने स्वयं के संसाधनों से काम करने में सक्षम थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेबी की कुल आय ₹1,404.36 करोड़ थी और इसने ₹851.33 करोड़ का व्यय किया।

ख. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आई एफ एस सी ए)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आई एफ एस सी ए) को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है।

आई एफ एस सी ए का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक संपर्क विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही पूरे क्षेत्र और समग्र रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में कार्य करना है।

आई एफ एस सी ए ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ₹73.68 करोड़ के अनुदान में से ₹58.59 करोड़ की राशि का उपयोग कर लिया है, जिससे ₹15.09 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान शेष रह गया है।


1.6.2 व्यय विभाग (डी ओ ई)

डी ओ ई केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए नोडल विभाग है। यह वित्तीय आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों / अवलोकनों की निगरानी और केंद्र सरकार के लेखों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत और कीमतों को नियंत्रित करने, सार्वजनिक व्यय के आउटपुट और परिणामों को अनुकूलित करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा करने में केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की सहायता करता है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों में वित्तीय सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों में व्यय प्रबंधन की देखरेख और वित्तीय नियमों / विनियमों / आदेशों का प्रशासन, प्रमुख योजनाओं / परियोजनाओं की पूर्व-स्वीकृति मूल्यांकन, बड़ी मात्रा में राज्य को हस्तांतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों का प्रबंधन सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय विभाग के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.10 में दी गई है।

चित्र 1.10: व्यय विभाग का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यय विभाग के विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2021-22 के ₹459.01 करोड़ के अनुदान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान ₹476.89 करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹371.15 करोड़ के व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय ₹366.03 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में अनुदान में मामूली वृद्धि और व्यय में मामूली कमी आई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बचत मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने, आई टी पेशेवरों / परामर्शदाताओं की नियुक्तियाँ न करने, आई टी उपकरणों की डिलीवरी (सुपुर्दगी) में देरी और ग्रुप 'ए' अधिकारियों के प्रशिक्षण को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

1.7 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई)


सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद 1999 में यह मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमूनाकरण विधियों पर आधारित हैं। मंत्रालय के दो विंग हैं- सांख्यिकी विंग (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) और कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन एस ओ) नामक सांख्यिकी विंग में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ) शामिल हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग के तीन प्रभाग हैं, अर्थात्, (i) बीस सूत्री कार्यक्रम (ii) अवसंरचना निगरानी और परियोजना निगरानी और (iii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन दो विंगों के अलावा, भारत सरकार (एम ओ एस पी आई) के एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया

गया है और एक स्वायत्त संस्थान, अर्थात् भारतीय सांख्यिकी संस्थान को संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अनुदान और व्यय चित्र 1.11 में दिया गया है।

चित्र 1.11: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अनुदान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विनियोग लेखे

जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान ₹5,398.09 करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यह ₹3,737.00 करोड़ था, इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यय ₹3,716.31 करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान यह ₹2,691.83 करोड़ था। विभाग बचत का मुख्य कारण कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति, औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए लंबित प्रस्ताव और कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों, उपचुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होना बताता है।

ख. लेखापरीक्षा का अवलोकन: अनुवर्ती

1.8 लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूलियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (एफ एंड सी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन सभी मंत्रालयों और सी पी एस ई में निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से ₹445.94 करोड़ की राशि की वसूली को इंगित किया गया। इसमें से विभागों / लेखापरीक्षित इकाइयों

ने ₹169.23 करोड़ की वसूली स्वीकार की और ₹167.48 करोड़ की वसूली की। कुछ प्रमुख उदाहरण जिनके कारण लेखापरीक्षा के दौरान वसूली हुई, नीचे संक्षेप में वर्णित हैं:

क. लेखापरीक्षा के दौरान, डाक विभाग द्वारा ए टी एम / डेबिट कार्ड वार्षिक रखरखाव प्रभार (ए एम सी) और एस एम एस अलर्ट प्रभार का संग्रह न करने का मामला सामने आया। सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में मंत्रालय ने 01 जुलाई 2023 से ए एम सी और एस एम एस अलर्ट प्रभार पर ऑटो-डेबिट कार्यक्षमता लागू की, जिससे ग्राहकों से ₹43.7 करोड़ की वसूली हुई।

ख. एक अन्य मामले में, 13 मई 2005 से पहले खोले गए 17 पी पी एफ एच यू एफ खाते जिनकी अवधि पूर्ण हो चुकी थी कोडल प्रावधान के अनुसार बंद नहीं किए गए और जी पी ओ अहमदाबाद में अवधि पूर्ण होने के बाद भी जारी रहे। इसके कारण ₹56.72 लाख का ब्याज अनियमित रूप से जमा हुआ, जिसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद मार्च 2022 में वसूल किया गया।

ग. लेखापरीक्षा में पाया गया कि समीर, चेन्नई ने एम ई आई टी वाई से प्राप्त अनुदान सहायता निधि में से अव्ययित शेष राशि को बैंकों में अल्पावधि सावधि जमा के रूप में रखा, जिस पर उसे ब्याज मिला। समीर चेन्नई ने ब्याज के रूप में ₹1.32 करोड़ कमाए, लेकिन उसने केवल ₹67.39 लाख ही प्रेषित किए, जिसके कारण ₹64.13 लाख कम प्रेषित हुए। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई और राशि एम ई आई टी वाई को भेज दी गई।

घ. लेखापरीक्षा में पाया गया कि बी एस एन एल ने 2015-16 से 2023-24 के दौरान मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का बिल बनाते समय बुनियादी ढांचे के बंटवारे के लिए वार्षिक वृद्धि प्रभार लागू नहीं किया था। लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, बी एस एन एल ने कम बिल बनाई गई राशि के लिए इनवाइस बनाए और पांच सर्किलों में ₹15.87 करोड़ वसूल किए।

1.9 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों / विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पी ए सी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मसौदा पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रिया पैराग्राफ की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, मसौदा पैराग्राफों में संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने और निर्धारित समय के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है।

संबंधित मंत्रालयों / विभागों ने अध्याय II से V में शामिल 13 लेखापरीक्षा पैराग्राफों (जून 2024) में से तीन (3) के उत्तर नहीं भेजे। शेष पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है और उन्हें उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

क. सिविल विभाग:

लोक लेखा समिति की सिफारिश पर, कार्यालय लेखा महानियंत्रक ने वर्ष 2011 में ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (ए पी एम एस) पोर्टल शुरू किया है, जो कि सी ए जी लेखापरीक्षा पैराग्राफों (सार्वजनिक उपक्रम पर समिति द्वारा जांच किए गए पैराग्राफों को छोड़कर) पर कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन), पी ए सी टिप्पणियों / सिफारिशों पर एक्शन टेकन रिप्लाइ (ए टी आर) और ₹100 करोड़ और उससे अधिक के अतिरिक्त व्यय या बचत पर व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई एन) के प्रस्तुतीकरण की प्रभावी निगरानी के लिए एक वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली है।

मार्च 2024 तक संघ सरकार (वित्त और संचार) की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 61 पैराग्राफों के संबंध में ए टी एन जो एम ओ सी, एम ई आई टी वाई और एम ओ एफ से संबंधित थे, विभिन्न चरणों में लंबित थे। वर्षवार विवरण परिशिष्ट III में दर्शाया गया है।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे गए लेखों और अभिलेखों की जांच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए।

सिविल पैरा के विपरीत, जिन्हें ए पी एम एस पोर्टल पर अपलोड और जांचा जा रहा है, एफ एंड सी लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा दायरे में आने वाले मंत्रालयों / विभागों के पी एस यू के लेखापरीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई, जिसे सी ओ पी यू द्वारा निपटाया जाता है, को भौतिक रूप से प्राप्त किया जा रहा है और उसकी जांच की जा रही है। इसके कारण, वाणिज्यिक पैरा के संबंध में ए टी एन की एक बड़ी संख्या लंबित है और मंत्रालयों / विभागों से उत्तर न मिलने और उचित निगरानी तंत्र की कमी के कारण कुछ पैरा 1999 से पहले के हैं।

सचिवों की समिति की बैठक में (जून 2010) यह निर्णय लिया गया कि लंबित ए टी एन / सी ए जी लेखापरीक्षा पैरा पर ए टी आर और सी ओ पी यू की सिफारिशें अगले तीन महीने के भीतर निपटान के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इस निर्णय की सूचना देते समय (जुलाई 2010), वित्त मंत्रालय ने भविष्य में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

मार्च 2024 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल एम ओ सी, एम ई आई टी वाई और एम ओ सी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा

से पता चला कि 69 अनुच्छेदों (बी एस एन एल के 53 पैरा सहित) के संबंध में ए टी एन लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट IV** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

1.11 एम ओ सी / एम ई आई टी वाई / एम ओ एफ के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की स्थिति

वर्ष 2022-23 के लिए इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रालयों / विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त निकायों (ए बी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के संबंध में लेखा प्रस्तुत करने, प्रमाणन और संसद में प्रस्तुत करने की स्थिति का विवरण **परिशिष्ट V** में दिया गया है।

1.12 प्रमाणन लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2022-23 के लिए पी एस यू के वार्षिक खातों के प्रमाणीकरण के दौरान संबंधित पी एस यू को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत टिप्पणियाँ जारी की गईं। इसके अलावा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत लेखापरीक्षा किए गए केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सी ए बी) के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) को वित्तीय वर्ष 2022-23 में संसद में पेश किए गए प्रमाणित अंतिम लेखों (आई एफ एस सी ए को छोड़कर) में संलग्न किया गया था। बताई गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ **परिशिष्ट VI** में संलग्न हैं।

खंड - क

अध्याय

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

II

(एम ई आई टी वाई)

2.1 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन के एन) परियोजना' पर विषय विशेष अनुपालना लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन के एन) एक ऑप्टिकल फाइबर आधारित उच्च गति सूचना नेटवर्क है जो सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और कृषि संस्थानों को जोड़ता है, ताकि विभिन्न राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाताओं (एन एल डी-एस पी)¹ से बैंडविड्थ किराए पर लेकर और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पी ओ पी)² पर नेटवर्किंग उपकरण प्रदान करके ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान कर सके। हालाँकि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जैसे स्थानों पर कनेक्टिविटी ई आर एन ई टी से किराए पर लिए गए उपग्रह कनेक्शन के माध्यम से प्रदान की जाती है।

एन के एन को मार्च 2010 में बुनियादी ढांचे पर कैबिनेट कमेटी (सी सी आई) द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई, तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की समग्र देखरेख में 1500 संस्थानों³ को जोड़ने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए ₹5,990 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ लागू करने की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, परियोजना को चार विस्तार मिले, अर्थात् 31 मार्च 2024 तक, अंतिम विस्तार में परियोजना परिव्यय को संशोधित कर ₹6,548.20 करोड़ कर दिया गया। 31 मार्च 2023 तक 1,780 संस्थान जुड़े हुए थे।

2.1.2 डिजाइन और नेटवर्क वास्तुकला


नेटवर्क कनेक्टिविटी का आधार 2.5 जी बी पी एस से शुरू होता है, जो देश भर में विभिन्न पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पी ओ पी) पर क्रमिक रूप से 10 जी बी पी एस तक बढ़ जाता है। नेटवर्क में सुपर कोर लोकेशन, कोर लोकेशन और एज / संस्थान लिंक शामिल हैं। सुपर कोर पी ओ पी को उन स्थानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सीधे लिंक के माध्यम से अन्य सुपर कोर लोकेशन से जुड़े होते हैं, कोर पी ओ पी वे स्थान होते हैं जो तीन सुपर कोर लोकेशन के माध्यम से सीधे जुड़े होते हैं और एज / संस्थाएँ एन के एन नेटवर्क पर अंतिम मील पी ओ पी हैं जो सीधे सुपर कोर या कोर लोकेशन से जुड़े होते हैं।

¹ भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल), रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आर टी सी आई एल) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी जी सी आई एल)।

² पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एक भौतिक स्थान है जो एन के एन से जुड़ने में सहायता करता है।

³ एम ई आई टी वाई (तत्कालीन डी आई टी) ने कैबिनेट समिति के नोट में परियोजना अनुमोदन और निधि आवंटन के बाद 24 महीने के भीतर 1,500 संस्थानों को जोड़ने की सूचना दी थी।

चित्र 2.1: नेटवर्क वास्तुकला



सात सुपर कोर स्थान⁴ हैं (पूरी तरह से जाली युक्त अर्थात सभी सात एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं) जो 10 जी बी पी एस लिंक सहित 24 कोर स्थानों⁵ के माध्यम से आगे फैले हुए हैं। अंतिम उपयोगकर्ता संस्थान 100 एम बी पी एस/ 1 जी बी पी एस / 10 जी बी पी एस की गति से एन के एन से जुड़े हैं।

एन के एन का बैंक बोन कई बैंडविड्थ प्रदाताओं द्वारा तैयार किया गया था और एज लिंक किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया गया था।


2.1.3 संगठनात्मक संरचना

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) (पूर्व में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग- डी आई टी) को अपेक्षित कैबिनेट अनुमोदन प्राप्त करने, परियोजना कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने और परियोजना की समग्र निगरानी का काम सौंपा गया था। एन के एन के संचालन का काम विभिन्न समितियों के सहयोग से एम ई आई टी वाई द्वारा गठित (अप्रैल 2008) एक उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) को सौंपा गया था।

⁴ बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई।

⁵ अगरतला, आइजोल, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गंगटोक, गांधीनगर, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोहिमा, लखनऊ, रायपुर, पणजी, पटना, पुडुचेरी, पुणे, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम।

चित्र 2.2: एन के एन की संगठनात्मक संरचना



भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति, जिसमें भारत सरकार के 13 विभागों के सचिव और अन्य अधिकारी⁶ शामिल हैं, एन के एन के लिए सक्षम एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी), एक विशेषज्ञ समूह है जिसे ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के लिए एक खाका तैयार करने का काम सौंपा गया है, जिसमें इसकी वास्तुकला, तरीके और साधन तथा ऐसे नेटवर्क के वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं। एच एल सी के तत्वावधान में कार्यकारी समिति⁷, सुरक्षा सलाहकार समिति, मॉडल परियोजना मूल्यांकन समिति, बैंडविड्थ वार्ता समिति आदि जैसी कई अन्य समितियाँ भी बनाई गई हैं।

महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) मुख्य अन्वेषक हैं, जबकि प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएं निगमित (एन आई सी एस आई) इस परियोजना के सह-अन्वेषक हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र⁸ (एन आई सी) इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (कोर नेटवर्क स्थापित करने वाली) है, जबकि एन आई सी एस आई⁹ निधि प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही है और

⁶ क. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, ख. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ग. सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, घ. सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, ङ. सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, च. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, छ. सचिव, कानूनी मामलों का विभाग, ज. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, झ. सचिव, अंतरिक्ष विभाग, ञ. सचिव, दूरसंचार विभाग, ट. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठ. सचिव, पृथ्वी विज्ञान विभाग, ड. सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और डी जी डी आर डी ओ, ढ. डी जी (आई सी एम आर), ण. सी ई ओ- नीति आयोग (तत्कालीन सचिव योजना आयोग) त. अध्यक्ष, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एन टी आर ओ), थ. आई आई टी, चेन्नई, द. डी जी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

⁷ कार्यकारी समिति एन के एन के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।

⁸ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, जो भारत सरकार के प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में कार्य करता है; जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान प्रदान करना है।

⁹ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित (एन आई सी एस आई), एन आई सी, एम ई आई टी वाई, सरकारों और सरकारी संगठनों (जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) की कई ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए आई टी समाधान प्रदान करने और खरीदने वाली एक कंपनी है।

खरीद में सहायता कर रही है तथा आई टी सहायता प्रदान कर रही है। परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि एन आई सी एस आई को एम ई आई टी वाई द्वारा जारी की जाती है।

2.1.4 बजट आबंटन और व्यय

एम ई आई टी वाई द्वारा अनुदान सहायता के रूप में जारी स्वीकृत वित्तीय परिव्यय, तथा परियोजना की स्वीकृति (मार्च 2010) के बाद से व्यय का विवरण नीचे दिया गया है। (जारी की गई धनराशि को एन आई सी एस आई द्वारा समर्पित बैंक खाते में रखा जाना आवश्यक था।)

तालिका 2.1: वर्षवार बजट आबंटन एवं व्यय तथा संस्थाओं की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत परिव्यय (कैबिनेट नोट)	आबंटित राशि		कुल जारी राशि ¹⁰	व्यय (लेखा बही) ¹¹	जोड़े गए संस्थानों की संख्या
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान			
2009-10 से 2016-17	5,658.00	2,370.00	3,333.03	3,313.44	3,270.03	1,635
2017-18	166.00	150.00	142.62	142.62	196.01	20
2018-19	166.00	150.00	320.00	320.00	178.08	42
2019-20	-	160.00	274.64	274.64	399.34	33
2020-21	-	400.00	584.00	584.00	517.94	16
2021-22	-	500.00	500.00	500.00	490.18	11
2022-23	-	650.00	485.25	485.00	484.63	23
कुल योग	5,990.00	4,380.00	5,639.54	5,619.70	5,536.21	1,780

(स्रोत: एन आई सी/एन के एन डिवीजन एम ई आई टी वाई)

वर्ष 2009-10 से 2016-17 के बीच 91.85 प्रतिशत संस्थानों को शामिल किया गया तथा कुल व्यय का 59.06 प्रतिशत¹² व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय में तेजी आई और वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी इसमें बढ़ोतरी जारी रही, लेकिन अगले दो वर्षों में इसमें गिरावट आई। वर्ष 2020-23 के दौरान कुल व्यय का 26.96 प्रतिशत व्यय हुआ तथा 2.81 प्रतिशत संस्थानों को जोड़ा गया।

¹⁰ जारी की गई राशि में अर्जित ब्याज भी शामिल था जिसे बाद के अनुदानों में समायोजित किया गया। अर्जित ब्याज अब 2017-18 से भारत के समेकित कोष में जमा किया जा रहा है।

¹¹ व्यय की राशि में 31 मार्च 2023 तक विभिन्न पार्टियों को दी गई ₹17.80 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल नहीं है।

¹² इसमें बैंडविड्थ, हार्डवेयर, प्रशासनिक लागत आदि पर विभिन्न आवर्ती व्यय शामिल हैं।

बैंडविड्थ के लिए प्रावधान कुल व्यय का 68.52 प्रतिशत है, जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वर्ष 2010-22 के लिए अनुमोदित परिव्यय के प्रति शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष	परिव्यय	व्यय
कोर/ वितरण/ अंतिम नोड्स के लिए बैंडविड्थ	3,561.00	3461.63
हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/राउटर/स्विच/एन ओ सी/डी आर/डी सी/पी ओ पी आदि।	904.00	777.69
सुविधा प्रबंधन लागत / प्रशासनिक लागत / अनुसंधान आदि।	832.00	478.95
इंटरनेट + बाहरी कनेक्टिविटी	540.00	292.89
पायलट परियोजनाएं	20.00	20.69
आकस्मिकता	133.00	19.73
कुल	5,990.00	5051.58 ¹³

(स्रोत: एन आई सी/एन के एन डिवीजन एम ई आई टी वाई)

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल किया गया है, जिसमें सांख्यिकीय जानकारी मार्च 2023 तक अद्यतन की गई है। आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड की संवीक्षा को पहले की अवधि तक बढ़ाया गया है। 25 जुलाई 2022 को मंत्रालय के साथ एक एंटी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। जुलाई-अक्टूबर 2022 के बीच फील्ड ऑडिट किया गया था। 14 मार्च 2023 को मंत्रालय के साथ एक एक्जिट कॉन्फ्रेंस किया गया था।

एन के एन नेटवर्क की कार्यप्रणाली को समझने और उसका मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षा पद्धति में एम ई आई टी वाई, एन आई सी एस आई, एन आई सी मुख्यालय और चयनित राज्यों¹⁴ की 13 एन आई सी इकाइयों के अभिलेखों / दस्तावेजों की संवीक्षा शामिल थी।

2.1.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्य:

लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:

1. क्या योजना जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद शामिल है सरकारी विनियमों के अनुरूप है और क्या इसका क्रियान्वयन परिचालन में मितव्ययिता और दक्षता प्राप्त करने के लिए किया गया है।

¹³ 31 सेवा भागीदारों को अग्रिम के रूप में प्रदान की गई ₹12.46 करोड़ की राशि भी 31 मार्च 2022 तक बकाया पड़ी हुई है, जिसे कुल व्यय के आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है।

¹⁴ आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

- II. क्या एन के एन कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा था और अंतिम उपयोगकर्ता को वांछित सेवाएं प्रदान कर रहा था।
- III. परियोजना संचालन की प्रभावी निगरानी और सहायता प्रणाली के अस्तित्व की जांच करना।

2.1.7 लेखापरीक्षा मानदंड:

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानदंड :

- ❖ प्रशासनिक अनुमोदन, बुनियादी ढांचे पर कैबिनेट समिति के लिए नोट, व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) जापन और डिजाइन दस्तावेज (यानी डी पी आर)।
- ❖ उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी), तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी), कार्यकारी समिति, मॉडल परियोजना मूल्यांकन समिति, बैंडविड्थ वार्ता समिति और इसी प्रकार की अन्य संबंधित समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- ❖ सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर), 2005 और इसका संशोधित संस्करण जी एफ आर 2017।
- ❖ परियोजना शुरू करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य संबंधित रिकॉर्ड, आंतरिक दिशानिर्देश, नीतियां और प्रक्रियाएं।

2.1.8 लेखापरीक्षा अवलोकन

2.1.8.1 एन के एन के लिए योजना

2.1.8.1 (क) एन के एन की वित्तीय स्थिरता के लिए योजना

एन के एन परियोजना को बुनियादी ढांचे पर कैबिनेट समिति (सी सी आई) द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया था।

हमने पाया (सितंबर 2022) कि परियोजना योजना में संस्थानों को प्रदान की गई कनेक्टिविटी परियोजना अवधि के बाद आत्मनिर्भर आधार पर जारी रखने के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं था। कई एच एल सी बैठकों¹⁵ में एन के एन के लिए निधि के मुद्दे पर चर्चा की गई और परियोजना की वित्तीय स्थिरता पर ध्यान दिया गया। फरवरी 2017 में 19^{वीं} एच एल सी ने एन के एन के लिए निधि की कमी पर चर्चा की और परियोजना के लिए निधि जुटाने के वैकल्पिक माध्यम की पहचान करने को कहा। हालाँकि, चर्चाएँ कोई वास्तविक रूप नहीं ले सकीं। हमने पाया कि परियोजना के पूरा होने के बाद, नेटवर्क (एन के एन) के प्रचालन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) को बैंडविड्थ शुल्क के

¹⁵ मार्च 2009, नवंबर 2012, जुलाई 2015, मार्च 2016 और फरवरी 2017।

भुगतान, उपकरणों के रखरखाव के लिए ए एम सी प्रभार, खराब हो चुके पुर्जों की खरीद आदि पर आवर्ती लागतें हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि एन के एन के अगले चरण में अंतिम मील कनेक्टिविटी की लागत उपयोगकर्ता मंत्रालयों / विभागों द्वारा वित्त पोषित की जाएगी और कोर की लागत एम ई आई टी वाई द्वारा वित्त पोषित की जाएगी।

2.1.8.2 परियोजना प्रबंधन

2.1.8.2 (क) परियोजना की समय उपलब्धि

एन के एन परियोजना का उद्देश्य 10 वर्षों के भीतर ₹5,990 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय के साथ 1,500 संस्थानों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करना था। प्रत्येक जिला मुख्यालय (600 जिलों को कवर करते हुए) में पूर्ण अतिरेक के साथ कम से कम एक जी बी पी एस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पी ओ पी) प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 600 जिलों में से, 12 वर्षों की अवधि के दौरान 489 जिलों को शामिल किया गया।

1500 संस्थानों के लक्ष्य के मुकाबले, 1780 को शामिल किया गया। चूंकि यह समावेशन स्वैच्छिक आधार पर था, योजना को अपेक्षा से बेहतर प्रतिक्रिया मिली। हालाँकि योजना से हटकर, यद्यपि नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ जिला पी ओ पी की स्थापना के लिए ₹600 करोड़ निर्धारित किए गए थे, 489 जिलों में किसी भी संस्थान को जिला पी ओ पी के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की गई। मार्च 2023 तक किया गया व्यय (₹5536.21 करोड़) स्वीकृत परिव्यय के भीतर था।

2.1.8.2 (ख) पूर्वोत्तर में सुपर कोर के लिए ट्रिपल कनेक्टिविटी और अतिरेक का प्रावधान न होना

एन के एन के डिजाइन और वास्तुकला के अनुसार, कोर पी ओ पी को अलग-अलग (तीन) एन एल डी से कई लिंक का उपयोग करके आपस में जोड़ा जाना था जिससे नेटवर्क का जाल बनाया जा सके ताकि एकल बिंदु पर विफलता से बचा जा सके। उच्च स्तरीय समिति को (फरवरी 2017) अवगत कराया गया कि सुपर कोर पूरी तरह से जाल में बंधे हुए थे और कोर पी ओ पी आम तौर पर तीन अलग-अलग तरीकों से सुपर कोर से जुड़े हुए थे।

हमने देखा (सितंबर 2022) कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य मुख्यालयों¹⁶ में सात कोर पी ओ पी थे, जो योजना डिजाइन के अनुसार तीन सुपर कोर के साथ ट्रिपल कनेक्टिविटी के विपरीत केवल दोहरी कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़े थे।

इसके अलावा, प्रभावी अतिरेक के लिए, दोनों लिंक कम से कम समान क्षमता के होने चाहिए। इन सात कोर कनेक्शनों में से केवल दो (अगरतला और शिलांग) में दोनों लिंक 10 जी बी पी एस पर थे।

¹⁶ अगरतला, आइजोल, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा और शिलांग।

शेष पांच कनेक्शनों में एक लिंक 10 जी बी पी एस बैंडविड्थ और दूसरा लिंक 2.5 जी बी पी एस बैंडविड्थ वाला था। परियोजना को चौथा विस्तार मिलने के बाद भी तथा 13 वर्ष से अधिक समय से चालू रहने के बाद भी इन लिंक का उन्नयन नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने में चुनौतियाँ थीं। इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुपर कोर के लिए ट्रिपल कनेक्टिविटी आज तक स्थापित नहीं की जा सकी। यह भी कहा गया कि 10 जी बी पी एस तक लिंक के उन्नयन के लिए कई अनुरोधों के बाद भी, बी एस एन एल केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2.5 जी बी पी एस बैंडविड्थ प्रदान करने में सक्षम है।

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

क. इस क्षेत्र में पहले से ही तीन एन एल डी सक्रिय थे;

ख. चुनौतियाँ और प्रासंगिक बाधाएँ ज्ञात थीं और अन्य एन एल डी की खोज न करने का कोई कारण नहीं बताया गया था।

इस प्रकार, एन के एन के डिजाइन और वास्तुकला के उल्लंघन में ट्रिपल कनेक्टिविटी का प्रावधान न होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एन के एन नेटवर्क बाधित हो सकता है और इससे जुड़े संस्थानों में डेटा का निर्बाध प्रवाह प्रभावित हो सकता है।

2.1.8.2 (ग) उपयोगकर्ता संस्थानों के साथ समझौता ज़ापन (एम ओ यू)

i. समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर न होना

समझौता ज़ापन (एम ओ यू) दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक करार है जो समझौते के उद्देश्यों व उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना है। एम ओ यू दोनों पक्षों के हितों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें समान अवसर प्रदान करता है।

हमने देखा (मार्च 2023) कि एन के एन में शामिल 1,757 संस्थानों¹⁷ में से (मार्च 2022 तक), केवल 1,117 संस्थानों ने दिसंबर 2022 तक एन आई सी के साथ समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह तब हुआ जब परियोजना एक दशक से अधिक समय से चल रही थी। समझौता ज़ापन को निष्पादित करने की विफलता से उपयोगकर्ता संस्थानों को उपकरण / बुनियादी ढांचे के सुरक्षित और बेहतर उपयोग / रखरखाव के प्रति किसी भी बाध्यकारी जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया।

मंत्रालय ने जवाब दिया (अगस्त 2023) कि वह सभी संस्थानों (जिन्होंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं) के साथ समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर करने के लिए लगातार संपर्क में है। अब तक कुल 1,158

¹⁷ 31 मार्च 2023 तक शामिल संस्थानों की संख्या बढ़कर 1,780 हो गई है, जबकि जुलाई 2023 तक 1,158 संस्थानों ने एन आई सी के साथ समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं (जुलाई 2023)। मंत्रालय ने एन के एन के अगले चरण में एन के एन कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अनिवार्य मानदंड सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

मंत्रालय को उपयोगकर्ता संस्थानों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तथा उसके अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

ii. एम ओ यू में मुआवजे का प्रावधान न होना

समझौता ज्ञापन [उप-खण्ड 4.1 (एफ)] में यह प्रावधान किया गया है कि उपयोगकर्ता अपने परिसर में स्थापित एन के एन परियोजना से सम्बंधित सम्पूर्ण उपकरणों (उपयोगकर्ता और परियोजना निष्पादन एजेंसी (पी ई ए) और/या उसके उप-ठेकेदारों दोनों के स्वामित्व में) की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

हमने पाया (अक्टूबर 2022) कि एम ओ यू में उपयोगकर्ता के परिसर में उपयोग की जा रही परियोजना की परिसंपत्तियों/संपत्तियों को किसी दुर्घटना जैसे कि आग लगने/क्षति की स्थिति में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई खंड नहीं था। जून 2015 में तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी) की बैठक में आग लगने की घटनाओं पर चर्चा की गई थी, हालांकि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं देखी गई। उच्च स्तरीय समिति ने सुरक्षा ऑडिट के मुद्दे पर जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अग्नि अभ्यास (फायर ड्रिल) करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

हमने पाया कि मार्च 2013 से अगस्त 2020 के बीच आग लगने के कारण राउटर्स के क्षतिग्रस्त होने की 10 घटनाएं हुईं। 10 राउटर्स में से, चार मामलों में राउटर्स को एन आई सी द्वारा बदल दिया गया और शेष मामलों में यूजर डिवाइस पर लिंक को बहाल कर दिया गया। इन राउटर्स को ₹1.52 करोड़ की लागत से खरीदा गया था। हालांकि, एन के एन परिसंपत्तियों का कोई बीमा कवरेज नहीं पाया गया है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि मुआवजा खंड के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को नोट कर लिया गया है और इसे एन के एन के अगले चरण में शामिल किया जाएगा।

2.1.8.2 (घ) एन के एन कनेक्टिविटी प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता संस्थानों द्वारा आई पी एड्रेस उपयोग नीति पर हस्ताक्षर करने का गैर-प्रवर्तन

उपयोगकर्ताओं की जागरूकता, जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए मंत्रालय द्वारा आई पी एड्रेस उपयोग नीति (जुलाई 2011) तैयार की गई ताकि सुरक्षा जोखिमों/खतरों के उल्लंघन और एन के एन कनेक्टिविटी के दुरुपयोग को कम किया जा सके।

हमने पाया कि एन के एन में शामिल 1,757 संस्थानों (मार्च 2022 तक) में से कुल 1,474 संस्थानों ने आई पी एड्रेस उपयोग नीति (आई पी पॉलिसी) (सितंबर 2022) पर हस्ताक्षर किए हैं और नेटवर्क

में शामिल 283 संस्थानों ने उक्त नीति पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा, नेटवर्क के किसी भी सुरक्षा/आई टी ऑडिट के अनिवार्य होने या किए जाने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वह आई पी नीति पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी जुड़े संस्थानों (जिन्होंने आज तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं) के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। अब तक कुल 1,632 संस्थानों ने आई पी नीति (जुलाई 2023) पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने एन के एन के अगले चरण में एन के एन कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के लिए आई पी नीति पर हस्ताक्षर को अनिवार्य मानदंड के रूप में सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एन आई सी, सी ई आर टी - आई एन के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

इस प्रकार, यद्यपि मंत्रालय द्वारा 2011 में एक आई पी नीति तैयार की गई थी, लेकिन सभी संस्थानों को इस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं था और जहां हस्ताक्षर किए भी गए, वे केवल कागजों तक ही सीमित रह गए क्योंकि अनुपालन की जांच के लिए कोई सुरक्षा ऑडिट नहीं किया गया था।

मंत्रालय को उपयोगकर्ता संस्थानों द्वारा आई पी नीति पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करना चाहिए तथा समय-समय पर सूचना प्रणाली (आई टी) सुरक्षा ऑडिट करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

2.1.8.2 (ड) संस्थाओं द्वारा बैंडविड्थ उपयोग

तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी) ने एन के एन बैंडविड्थ के उपयोग के मुद्दे पर चर्चा (मई 2012) की और जुड़े हुए संस्थानों द्वारा एन के एन बैंडविड्थ के कम उपयोग पर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा, टी ए सी ने उन लिंक को डाउनग्रेड करने की सिफारिश की (जनवरी 2018) जहां छह महीने की अवधि में बैंडविड्थ का उपयोग लगातार पाँच प्रतिशत से कम था। इसने उच्च डाउनटाइम / उपयोग न किए गए लिंक / उपयोगकर्ता संस्थान में बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता वाले लिंक को हटाने की भी सिफारिश की।

संस्थानों के लिंक (एज लिंक) 100 एम बी पी एस, 1 जी बी पी एस व 10 जी बी पी एस बैंडविड्थ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए 1,414 लिंक की बैंडविड्थ उपयोग रिपोर्ट की संवीक्षा (सितंबर 2022) के दौरान, हमने पाया कि 455 संस्थानों के लिए बैंडविड्थ का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था, जबकि 38 संस्थानों के लिए यह पाँच प्रतिशत से भी कम था {अनुलग्नक 2.1(क)}। हालांकि, किसी भी संस्थान को कम बैंडविड्थ पर डाउनग्रेड नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान आठ लिंक (100 एम बी पी एस) बिना डाउनग्रेड/डी-हायर किए केवल दो एम बी या उससे कम बैंडविड्थ का उपयोग कर सके {अनुलग्नक 2.1(ख)}।

अभिलेखों की संवीक्षा से यह बात सामने आई (अगस्त 2022) कि तीन संस्थानों¹⁸ के लिंक को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन संस्थानों में बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता थी, जबकि वे कई वर्षों से एन के एन पर जुड़े हुए थे। इस प्रकार, आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की निगरानी किए बिना संस्थानों को एन के एन कनेक्टिविटी प्रदान की गई, जिससे उन संस्थानों में स्थापित महंगे एंड पॉइंट उपकरणों के अवरोध के अलावा लिंक शुल्क पर अनावश्यक व्यय हुआ। इस प्रकार ऐसे लिंक को किराए पर लेने पर किया गया व्यय निष्फल हो गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को इस आश्वासन के साथ स्वीकार (अगस्त 2023) कर लिया कि लिंक के बेहतर उपयोग के लिए सुधारात्मक उपाय पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और बैंडविड्थ के उपयोग में सुधार हो रहा है। इसके अलावा, आबंटित बैंडविड्थ के उपयोग में सुधार न होने के कारण दो लिंक (जी ई सी, रामनगर और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, बेल्लारी) को हटा दिया गया।

2.1.8.3 परियोजना लागत का प्रबंधन

2.1.8.3 (क) परियोजना विस्तार में देरी के कारण परिहार्य व्यय

एन के एन को शुरू में मार्च 2020 तक 10 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। एन के एन परियोजना के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाताओं से बैंडविड्थ / नेटवर्क सेवाओं की खरीद के लिए दरों को अंतिम रूप देने के लिए बैंडविड्थ वार्ता समिति (बी एन सी) का गठन (जुलाई 2008) किया गया था। बी एन सी ने दिसंबर 2019 तक दरों को अंतिम रूप (सितंबर 2010) दिया, जिसे बाद में जून 2015 में संशोधित किया गया।

हमने देखा (सितंबर 2022) कि मूल परियोजना अवधि पूरी होने के बाद अप्रैल 2020 में 31 मार्च 2021 तक विस्तार की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, 01 जनवरी 2020 (पूर्वव्यापी) से 31 मार्च 2021 तक संशोधित दरों को अंतिम रूप देने के लिए जुलाई 2020 में एन आई सी एस आई द्वारा बी एन सी का गठन किया गया था। बी एन सी ने दूरसंचार सेवाओं के लिए कीमतों में गिरती प्रवृत्ति और राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदाताओं (एन एल डी-एस पी) द्वारा अगले दो-तीन वर्षों के लिए बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए मौजूदा लिंक के समान बुनियादी ढांचे के उपयोग पर विचार करते हुए दरों में कमी की सिफारिश (अगस्त 2020) की। हालांकि, एन एल डी ने दलील दी (सितंबर 2020) कि उन्होंने पुराने (और उच्चतर) टैरिफ ढांचे के आधार पर 01 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर (जी एस टी) पहले ही जमा कर दिया है। तदनुसार, समिति ने 01 जनवरी 2020 की निर्धारित तिथि के स्थान पर 01 अप्रैल 2020 से नई दर लागू करने का निर्णय (सितंबर 2020) लिया।

¹⁸ i) राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, वडोदरा - प्रारंभ मई 2011, समाप्त नवंबर 2014;
ii) सरकारी मेडिकल कॉलेज, धर्मपुरी - प्रारंभ मार्च 2013, समाप्त जून 2016 और
iii) गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता- प्रारंभ जून 2011, समाप्त मई 2017।

हालाँकि, 01 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक की सेवा अवधि के लिए खरीद आदेश पूर्वव्यापी रूप से जनवरी से मार्च 2021 में ही दिए गए थे। इस प्रकार बी एन सी के गठन में हुई देरी तथा संशोधित घटी हुई दरों को तीन महीने (जनवरी 2020 से मार्च 2020) स्थगित करके लागू करने के कारण ₹ 25.85 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ (अनुलग्नक 2.2)।

मंत्रालय ने घटनाओं के क्रम की पुष्टि (अगस्त 2023) की, लेकिन देरी के कारण नहीं बताए।

2.1.8.3 (ख) सही दरें लागू न करने के कारण अधिक व्यय

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी¹⁹ द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए (सितंबर, 2010) ताकि एन के एन कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए सेवा शुल्क (लिनक प्रभार) पर बैंडविड्थ / नेटवर्क सेवाएं प्रदान की जा सके।

करार में एन एल डी-कोर लिनक (10 जी बी पी एस और 2.5 जी बी पी एस) की दरें दूरी स्लैब (250 किलोमीटर के गुणकों) और इंटर-सिटी एज लिनक (1 जी बी पी एस और 100 एम बी पी एस) के आधार पर दो दूरी स्लैब में निर्धारित की गई थीं। करार के अनुसार (कोर लिनक के लिए), सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रभार्य दूरी (सी डी) को देश भर में जुड़े बिंदुओं के बीच रेडियल दूरी को 1.25 के कारक से गुणा करके प्रभार्य दूरी में परिवर्तित करके प्राप्त किया जाना था।

हमने पाया (सितंबर 2022) कि 10 मामलों में सेवा शुल्क का भुगतान प्रभार्य दूरी स्लैब लगाने की बजाय सेवा प्रदाताओं द्वारा दावा की गई दूरी पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एन एल डी-एस पी को ₹37.80 करोड़ (अनुलग्नक 2.3) की राशि के लिनक प्रभार का अधिक भुगतान हुआ। विशेष बात यह है कि एक ही स्थान अर्थात् जम्मू और श्रीनगर के बीच दो लिनकों के लिये प्रभार्य दूरी फार्मूला लागू न होने के कारण दो अलग-अलग दूरी स्लैब (बी एस एन एल और पी जी सी आई एल) पर भुगतान किया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि लेखापरीक्षा में बताए गए लिनक पहाड़ी इलाकों में थे और अलग-अलग सेवा प्रदाताओं को एक ही अंतिम बिंदु के लिए अलग-अलग दूरी मिल सकती थी, क्योंकि फाइबर पथ अलग-अलग होगा। इसने आगे कहा कि जम्मू-श्रीनगर लिनक के लिए दर पी जी सी आई एल के सेवा समझौते में उल्लिखित थी, जबकि बी एस एन एल के लिए दर का उल्लेख सेवा करार में नहीं किया गया था और इस प्रकार बी एस एन एल को उसके द्वारा उद्धृत दूरी के अनुसार सेवा शुल्क का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंडविड्थ वार्ता समिति (बी एन सी) द्वारा प्रभार्य दूरी की गणना के प्रयोजनों के लिए जम्मू-श्रीनगर को अंतिम बिंदु के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बी एन सी ने एन के एन परियोजना के तहत समग्र नेटवर्क के लिए सूत्र और दरों पर बातचीत की थी, न कि विशिष्ट लिनक के लिए। इसके अलावा, बी एन सी दस्तावेज़

¹⁹ एन आई सी और एन आई सी एस आई संयुक्त रूप से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी आई ए) हैं।

में विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं किए गए शहरों के पी ओ पी के युग्म के बीच की दूरी की गणना एन आई सी एस आई द्वारा प्रभाय दूरी सूत्र का उपयोग करके की जा रही थी। इसलिए, मंत्रालय / एन आई सी एस आई सेवा शुल्क के भुगतान के लिए निर्धारित सूत्र का पालन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप एन एल डी-एस पी को ₹37.80 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

2.1.8.3 (ग) लिंक को बंद करने में अत्यधिक देरी के कारण व्यर्थ व्यय हुआ

बैंडविथ/नेटवर्क सेवा प्रदान करने के लिए एन के एन सेवा करार पर चार सेवा प्रदाताओं के साथ हस्ताक्षर (सितंबर 2010) किये गए। जिसके खंड 17.2 (समाप्ति अधिकार) के अनुसार, "पी आई ए" सेवा साझेदार के साथ किसी भी लिंक को तीन महीने की नोटिस अवधि के बाद समाप्त कर सकता है।

हमने पाया (सितंबर 2022) कि 2015-16 और 2016-17 के दौरान छह जिला लिंक (बी एस एन एल द्वारा संचालित) को हटा दिया गया और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी जी सी आई एल) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि, प्रतिस्थापन लिंक प्रदान किए जाने के बाद भी, बी एस एन एल लिंक को फरवरी 2017 में बंद किया गया, जिसमें 245 दिनों से लेकर 594 दिनों तक का अत्यधिक समय लगा। उक्त देरी के परिणामस्वरूप लिंक प्रभार (अनुलग्नक 2.4) पर ₹1.01 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित मुद्दे पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा।

2.1.8.3 (घ) अविवेकपूर्ण अनुबंध प्रबंधन के कारण अनियमित व्यय

जी एफ आर 2017 (नियम 225, 174) के अनुसार अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार अनुबंध की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करार के उचित निष्पादन के बिना शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

ए एम सी सेवाओं के दायरे के अनुसार, अनुबंध बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के मरम्मत और स्पेयर के प्रतिस्थापन सहित व्यापक आधार पर होगा। वार्षिक रखरखाव सेवा के दायरे में उपयोगकर्ता विभाग के परिसर में उपकरणों का रखरखाव और सुचारू संचालन शामिल है।

हमने (सितंबर 2022) एन के एन परियोजना के नेटवर्किंग उपकरणों के लिए एन आई सी एस आई द्वारा निष्पादित आठ वार्षिक रखरखाव अनुबंधों (ए एम सी) से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएं देखीं :

1. बोली प्रक्रिया समय पर अर्थात् मौजूदा अनुबंधों के समाप्त होने से पहले शुरू नहीं की गई। आठ में से पांच अनुबंधों में, वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए एम सी) प्रदान करने / उसके नवीनीकरण के लिए बोलियाँ ए एम सी/वारंटी की मौजूदा वैधता अवधि समाप्त होने के बाद सरकारी ई मार्केटप्लेस

(जी ई एम) पोर्टल पर प्रकाशित की गई। एक मामले में, बोली को 90 दिनों के बोली जीवन चक्र की समाप्ति के बाद अंतिम रूप दिया गया जो जी एफ आर 2017 के नियम 174 का उल्लंघन है।

2. एन आई सी एस आई ने वर्ष 2019-20 से 2022-23²⁰ के दौरान नेटवर्किंग उपकरणों के लिए कोई रखरखाव सहायता/सेवा अनुबंध नहीं किया। हालांकि, बाद की अवधि²¹ के लिए ए एम सी बोलियों को अंतिम रूप देने के बाद, प्राप्त दर को गैर-अनुबंधित पूर्व अवधि के लिए भी लागू किया गया और चयनित विक्रेताओं को उक्त पूर्व अवधि के लिए कोई सेवा प्रदान किए बिना भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹7.85 करोड़ (अनुलग्नक 2.5) का अनियमित भुगतान हुआ क्योंकि यह भुगतान उन सेवाओं के लिए अनुबंध अवधि से अलग अवधि (पूर्व) के लिए किया गया था जो एन आई सी एस आई द्वारा प्राप्त नहीं की गई थीं/चयनित विक्रेता द्वारा प्रदान नहीं की गई थीं।
3. नेटवर्किंग उपकरणों (क्रमांक 2 से अलग) के लिए ए एम सी जून 2018 में समाप्त हो गई थी और जुलाई 2018 से नवंबर 2018 तक की अवधि किसी भी ए एम सी द्वारा कवर नहीं की गई थी। एन आई सी एस आई ने 29 नवंबर 2018 से 28 नवंबर 2019 की अवधि के लिए ₹13.68 करोड़ की लागत पर ए एम सी को अंतिम रूप दिया (नवंबर 2018) और मेसर्स आर्सेनल इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ए एम सी अनुबंध प्रदान किया। यह देखा गया कि एन आई सी एस आई ने मेसर्स आर्सेनल इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को पिछली कवर न की गई ए एम सी अवधि के लिए ₹5.66 करोड़ का भुगतान किया, जिससे जी एफ आर 2017 के नियम 136 (1) (vii) का उल्लंघन हुआ। एन आई सी ने उत्तर दिया कि नए विक्रेता ने पिछली अवधि के लिए भी रखरखाव सेवाएं प्रदान की थीं और तदनुसार खरीद आदेश और ₹5.66 करोड़ का बाद का भुगतान (जुलाई 2019) पूर्वव्यापी रूप से बोली से प्राप्त कीमत पर छूट गई अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पहले के विक्रेताओं की ए एम सी दरों की तुलना में, एन आई सी एस आई ने एक गैर-मौजूद विक्रेता को ₹2.21 करोड़ (अनुलग्नक 2.6) की अनुचित राशि का भुगतान किया।
4. इसके अलावा, एन आई सी एस आई ने नए अनुबंधों को अंतिम रूप दिए जाने तक ए एम सी/सहायता (उनके अनुबंधों के विस्तार के माध्यम से) जारी रखने के लिए मौजूदा ए एम सी विक्रेताओं की सहमति लेने में कोई पहल नहीं की, जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों जैसी समान परिस्थितियों में एन आई सी एस आई में सामान्य बात थी।

²⁰ 35 दिनों से लेकर 233 दिनों तक की अवधि के लिए

²¹ अपूरित ए एम सी अवधि के बाद ए एम सी अवधि का प्रारंभ

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि ए एम सी के लिए प्रक्रिया में देरी हुई और इसे जी ई एम के माध्यम से मूर्त रूप दिया गया। इसने आगे कहा कि एन आई सी एस आई ने आश्वासन दिया कि अनुबंध की समाप्ति से पहले बोलियों पर कार्रवाई की जाएगी और बोली दस्तावेजों में ए एम सी की विशिष्ट अवधि का उल्लेख किया जाएगा। इसने यह भी कहा कि 1-7-2018 से 28-11-2018 की अवधि के लिए पी ओ नहीं रखा जा सका क्योंकि नेटवर्किंग वस्तुओं के ए एम सी के लिए सेवाएं जी ई एम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थीं और पिछली तारीख से अनुबंध रखने का कोई प्रावधान नहीं था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया है और भविष्य में जी एफ आर के प्रावधानों का अनुपालन करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, जब ऐसी सेवाएँ जी ई एम पर उपलब्ध नहीं थीं, तो जी ई एम के बाहर से ए एम सी सेवाओं की खरीद करने के लिए उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। एन आई सी एस आई ने सामान्य वित्तीय सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए विक्रेता को ए एम सी प्रभार के रूप में ₹2.21 करोड़ का अधिक भुगतान किया और खराब अनुबंध प्रबंधन के परिणामस्वरूप विक्रेताओं को ₹7.85 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

2.1.9 निष्कर्ष

एन के एन परियोजना की लेखापरीक्षा से पता चला कि परियोजना ने स्वीकृत व्यय के भीतर ही अपनी उपलब्धि हासिल कर ली है। हालांकि, सरकारी सहायता की अवधि के बाद परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर काम नहीं किया जा सका। उपयोगकर्ता संस्थानों के साथ इसकी इंटरनेट प्रोटोकॉल (आई पी) नीति और समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) का कार्यान्वयन और प्रवर्तन अभी भी प्रगति पर है। इसके अलावा, संस्थानों द्वारा त्रुटिपूर्ण बैंडविड्थ उपयोग और उपयोग विवरण के आधार पर किराए पर लिए गए / हटाए गए लिंक की त्रुटिपूर्ण निगरानी ने परियोजना के लिए वित्तीय संसाधनों पर बोझ डाला। वार्षिक रखरखाव अनुबंधों (ए एम सी) के निष्पादन में भी कमियां पाई गईं। मंत्रालय पूर्वोत्तर भारत में तीन सेवा प्रदाताओं से लंबी दूरी का नेटवर्क उपलब्ध कराने के अपने सैद्धांतिक विचार को लागू नहीं कर सका।

2.1.10 सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि :

- i. मंत्रालय एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित करने पर विचार कर सकता है जो प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) रिपोर्ट की सुविधा के साथ संपूर्ण नेटवर्क विवरण प्राप्त करता है। नेटवर्क उपयोग और संबंधित लागतों को अनुकूलित करने के लिए आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।
- ii. समझौता ज्ञापनों और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उपयोग नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आवधिक सूचना प्रणाली (आई एस) सुरक्षा ऑडिट के लिए कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

- iii. मंत्रालय समान परियोजनाओं में आकलन और बजट निर्धारण के लिए डी पी आर तैयार करते समय अंतिम मील मानचित्रण सुनिश्चित कर सकता है।
- iv. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि डी पी आर में समान परियोजनाओं के लिए कनेक्टिविटी के अंतिम मील तक बैंडविड्थ आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड शामिल हों।

2.2 'संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम एस आई पी एस)' की अनुपालना लेखापरीक्षा

2.2.1 परिचय


2.2.1.1 योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई एस डी एम) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने (जुलाई 2012) संशोधित-विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एस आई पी एस) शुरू की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। इस योजना में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) में पूंजीगत व्यय के रूप में व्यवसाय द्वारा किए गए निवेश पर 20 प्रतिशत और गैर-एस ई जेड में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, पूंजीगत उपकरणों पर उत्पाद शुल्क / प्रतिकारी शुल्क (सी वी डी) की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.2.1.2 एम - एस आई पी एस डिजाइन - आवेदन मूल्यांकन और प्रोत्साहन संवितरण तंत्र

आवेदन प्राप्ति और दावे के अनुमोदन की प्रक्रिया निम्नलिखित चार्ट द्वारा दर्शाई गई है:

चार्ट-1



संभावित निवेशकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदनों को कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (पी एम यू²²) / मूल्यांकन एजेंसी द्वारा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर संसाधित और मूल्यांकित किया जाता है तथा परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर तकनीकी मूल्यांकन समिति²³ (टी ई सी) की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

मूल्यांकन एजेंसी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी²⁴ की अंतिम मंजूरी के लिए एम - एस आई पी एस मूल्यांकन समिति द्वारा संसाधित किया जाता है। इसके बाद, निवेशक / आवेदक को अंतिम मंजूरी के बारे में सूचित किया जाता है।

एक बार जब निवेशक निवेश कर देता है, तो वह प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र हो जाता है। प्रोत्साहन का दावा करने के लिए, निवेशक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र एम ई आई टी वाई / सत्यापन एजेंसी²⁵ को प्रस्तुत करता है। सत्यापन के बाद सत्यापन एजेंसी मंत्रालय को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके बाद, मंत्रालय आवेदक को संवितरण दावे की प्रक्रिया करता है और सभी पूर्व-संवितरण औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आवेदक को भुगतान किया जाता है। आवेदक निगरानी प्रयोजनों के लिए मंत्रालय को तिमाही प्रगति प्रतिवेदन (क्यू पी आर) भी प्रस्तुत करते हैं।

यह योजना दिसंबर 2018 तक या प्रोत्साहन प्रतिबद्धता के ₹10,000 करोड़ तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, आवेदन के लिए खुली थी। प्रोत्साहनों के अंतिम संवितरण की अवधि 2026-27 तक थी। इस प्रकार, प्रारंभिक अनुमोदन के बाद निवेशों के फलित होने के लिए पाँच से दस वर्ष की अवधि का अनुमान लगाया गया।

2.2.2 लेखापरीक्षा का दायरा

हमने मई 2022 से सितंबर 2022 के दौरान जुलाई 2012 से मार्च 2022 तक की अवधि को शामिल करते हुए एम ई आई टी वाई के औद्योगिक संवर्धन - इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण (आई पी एच डब्ल्यू) प्रभाग में लेखापरीक्षा की। हमने लेखापरीक्षा के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई) (लेखापरीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत) के रिकॉर्ड की भी जांच की। हमने संवीक्षा के लिए 24 मामलों के नमूने लिये।

²² प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पी डब्ल्यू सी) और एकसेंचर सर्विसेज (पी) लिमिटेड ने पी एम यू के रूप में काम किया

²³ एम एस आई पी एस आवेदनों के पी एम यू मूल्यांकन में अन्य बातों के साथ-साथ फरवरी 2016 से आवेदन का तकनीकी मूल्यांकन भी शामिल होगा।

²⁴ शक्तियों के प्रत्यायोजन पर 29 अगस्त 2014 को जारी डी ओ ई, ओ एम जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया के अनुसार -(i) ₹ 100 करोड़ तक - विभाग सचिव, (ii) ₹ 100 करोड़ से अधिक और ₹ 500 करोड़ तक - प्रभारी मंत्री, (iii) ₹ 500 करोड़ से अधिक और ₹ 1,000 करोड़ तक - प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री (iv) ₹ 1,000 करोड़ से अधिक - कैबिनेट।

²⁵ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई)

2.2.3 मुख्य तथ्य

योजना जुलाई 2012 में शुरू हुई।

मार्च 2023 तक की स्थिति

	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
आवेदन प्राप्त हुए 530	संवितरण का लक्ष्य ₹10,000	प्रतिबद्ध निवेश ₹52,096
स्वीकृत आवेदन 315	दावे प्राप्त हुए ₹3,243 दावे संवितरित किए गए ₹2,136	किया गया निवेश ₹36,991 ²⁶

2.2.3.1 आवेदनों की स्थिति, निवेश और प्रोत्साहन

मार्च 2023 तक एम - एस आई पी एस के तहत आवेदनों की स्थिति नीचे दी गयी है:

तालिका 2.3: आवेदनों की स्थिति

स्वीकृत / अनुशंसित आवेदन	मूल्यांकन के अंतर्गत आवेदन	बंद / लंबित आवेदन	कुल आवेदन
315 / 3	2	210 ²⁷	530

मार्च 2023 तक ₹52,096 करोड़ निवेश और ₹39,447 करोड़ के पात्र पूंजीगत व्यय के लिए 315 आवेदकों को मंजूरी दी गई, जिसमें ₹9,631 करोड़ का प्रोत्साहन शामिल होगा। ₹3,243 करोड़ के प्रोत्साहन का दावा किया गया, जिसमें से ₹2,136 करोड़ संवितरित²⁸ किए गए। आवेदकों द्वारा किया गया कुल निवेश ₹36,991 करोड़ (अप्रैल 2023 तक) था। कुल मिलाकर, व्यवसाय में नियोजित निवेश का 71 प्रतिशत से अधिक निवेश हुआ और सरकार ने 2014-23 के दौरान प्रस्तुत दावों का 65 प्रतिशत संवितरित किया।

हमारे लेखापरीक्षा नमूने में ₹10,693 करोड़ के स्वीकृत पूंजीगत निवेश वाले 24 आवेदकों ने मार्च 2022 तक ₹7,434 करोड़²⁹ का पूंजीगत निवेश किया। पाँच कंपनियों³⁰ में से तीन³¹ को वर्ष 2023 के अंत से पहले निवेश में अंतर को पूरा करना था। शेष 19 कंपनियों के पास निवेश करने का समय है; समय सीमा 2024 से 2027 के बीच है। हमने देखा (सितंबर 2022) कि निवेश में कमी का कारण मूल्यांकन

²⁶ अप्रैल 2023 तक

²⁷ इसमें सितंबर 2015 के दौरान प्राप्त दो बड़ी परियोजना आवेदन शामिल हैं (अर्थात, मैसर्स ट्विनस्टार डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसकी लागत ₹23,384 करोड़ है और मैसर्स मुंद्रा सोलर लिमिटेड, जिसकी लागत ₹13,985 करोड़ है) जिन्हें न तो एम ई आई टी वाई द्वारा अनुमोदित/अनुशंसित किया गया और न ही बंद किया गया।

²⁸ इसमें सी वी डी / ई डी जैसे शुल्कों की ₹ 18.5 करोड़ की प्रतिपूर्ति शामिल थी। एम ई आई टी वाई आयात और अन्य व्यय (स्वदेशी) के संदर्भ में डेटा नहीं रखता है और कुल पूंजीगत व्यय के लिए समग्र संवितरण को बनाए रखता है।

²⁹ मार्च 2022 तक प्राप्त दावे और संवितरित प्रोत्साहन के आधार पर आवेदकवार निवेश विवरण (24 नमूना मामले) तैयार किया गया।

³⁰ सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, विंध्य टेलीलिंक लिमिटेड और हैवेल्स इंडिया लिमिटेड।

³¹ सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और हैवेल्स इंडिया लिमिटेड।

/ सत्यापन / संवितरण में प्रक्रियात्मक देरी (जैसा कि पैरा 2.2.4.2(क) और पैरा 2.2.4.2(ख) में बताया गया है) और दिशानिर्देशों में लगातार बदलाव (जैसा कि पैरा 2.2.4.1 (क) में विस्तृत है) है, जिससे अनुमोदन की प्रक्रिया में बाधा आई और देरी हुई।

तालिका 2.4: बजट, प्रोत्साहन के दावे और प्रोत्साहन के संवितरण का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	निधि जारी	संवितरित प्रोत्साहन	प्रोत्साहन का दावा
2014-15 ³²	15.00	15.00	12.05	12.05	31.68
2015-16	15.00	15.00	4.78	4.78	3.09
2016-17	15.00	17.50	16.13	16.13	47.41
2017-18	256.50	136.86	135.89	135.89	190.11
2018-19	500.00	334.91	318.67	318.67	632.20
2019-20	500.00	499.00	463.67	463.67	586.78
2020-21	500.00	216.00	215.79	215.79	333.51
2021-22	604.62	602.22	588.71	588.71	841.39
2022-23	750.00	405.00	380.31	380.31	577.15
कुल	3,156.12	2,241.49	2,136.00	2,136.00	3,243.32

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 में शुरू हुई थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसमें तेजी आई और वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसमें तेजी आई। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2023) कि कोविड-19 महामारी के दौरान कंपनियों द्वारा निवेश में काफी देरी हुई है और आने वाले वर्षों में और अधिक निवेश की उम्मीद है।

2.2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.4.1 एम - एस आई पी एस के लिए योजना

2.2.4.1 (क) योजना दिशानिर्देशों में बारंबार संशोधन

हमने पाया कि एम-एस आई पी एस (आवेदन और मूल्यांकन) के संचालन के लिए दिशा-निर्देश अक्टूबर 2012 में अधिसूचित किए गए थे, जबकि प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए दिशा-निर्देश 20 महीने बाद जून 2014 में जारी किए गए थे। इसके संचालन के दौरान, एम-एस आई पी एस में 19 संशोधन किए

³² यद्यपि योजना जुलाई 2012 में अधिसूचित की गई थी, परन्तु योजना के लिए धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 से ही जारी की गई।

गए। इनमें से कुछ बदलाव वास्तव में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिसंबर 2018 के बाद अधिसूचित किए गए थे। योजना में किए गए प्रमुख संशोधन नीचे सारणीबद्ध हैं:

तालिका 2.5: योजना में प्रमुख संशोधन

अधिसूचना		जुलाई 2012 (मूल)	अगस्त 2015 (संशोधन I)	जनवरी 2017 (संशोधन II)
शामिल किए गए उद्योग क्षेत्र		29	29 + 15 = 44	44
समय अवधि	आवेदन	अधिसूचना से तीन वर्ष	अधिसूचना से पांच वर्ष	दिसंबर 2018
	निवेश / प्रोत्साहन दावा	अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	अनुमोदन की तिथि से पांच वर्ष

प्रमुख संशोधनों के अतिरिक्त, व्यय पात्रता मानदंड, समयसीमा बाद के चरणों के लिए एम-एस आई पी एस प्रोत्साहनों की प्रयोज्यता, संबंधित पक्ष लेनदेन (आर पी टी) आदि के संबंध में योजना दिशानिर्देशों में कई बार संशोधन किया गया, जिससे अनुमोदन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई और परिणामस्वरूप निवेश में देरी हुई। वास्तव में, मंत्रालय को निवेश/प्रोत्साहन दावे की अवधि को 10 वर्ष (2012 में निर्धारित) से घटाकर 2017 में पांच वर्ष करना पड़ा, जबकि योजना पहले से ही पांच वर्षों से चल रही थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि कोविड-19 महामारी के कारण निवेश में देरी हुई और 2027 तक निवेश किया जाएगा। इसके अलावा, दावा आवेदन प्रस्तुत करना आवेदक कंपनियों का विशेषाधिकार था और उसके बाद ही एम ई आई टी वाई प्रोत्साहनों के संवितरण की प्रक्रिया कर सकता है।

2.2.4.1 (ख) सीमित क्षेत्रों में निवेश का संकेन्द्रण

इस योजना का ढांचा 44 क्षेत्रों (श्रेणी ए, बी, सी, डी और ई) में निवेश और बड़े पैमाने पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था।

हमने पाया (सितंबर 2022) कि योजना के तहत उपलब्ध 44 क्षेत्र में से केवल 23 क्षेत्र के लिए ही आवेदनों को स्वीकृति दी गई तथा निवेश और प्रोत्साहनों का संवितरण केवल 17 क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। मार्च 2022 तक शेष 21 क्षेत्रों के लिए कोई आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया। अगस्त 2015 में जोड़े गए 15 अतिरिक्त क्षेत्रों में से केवल चार³³ क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन स्वीकृत किए गए।

³³ ए19- उपभोक्ता उपकरण, ए25- इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण, बी13- जैविक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और ई- इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए विशेष रूप से कच्चा माल

तालिका 2.6: पाँच श्रेणियों के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित मामलों की सूची

कार्यक्षेत्र		क्षेत्र नाम	स्वीकृत मामलों की संख्या	संवितरित मामलों की संख्या	संवितरित राशि (₹ करोड़ में)	संवितरण (प्रतिशत में)
वर्ग और कुल	स्वीकृत आवेदन/ किया गया संवितरण					
ए (25)	16 / 12	इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों	197	71	1,150.02	65.50
बी (15)	5 / 3	मध्यवर्ती	78	34	539.46	30.70
सी (2)	1 / 1	इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएँ	35	08	63.31	3.60
डी (1)	0 / 0	कच्चा माल (इलेक्ट्रॉनिक)	0	0	00	00
इ (1)	1 / 1	इलेक्ट्रॉनिक्स का पुनः विनिर्माण	3	01	2.89	0.20
कुल (44)	23 / 17		313	114	1,755.68	100

स्वीकृत आवेदनो में से 226 (72 प्रतिशत) केवल छह क्षेत्रों³⁴ में केंद्रित हैं और कुल ₹1,518.23 करोड़ (कुल का 86 प्रतिशत) का संवितरण पांच क्षेत्रों³⁵ के लिए किया गया (अनुलग्नक-2.7)। संवितरण का 38 प्रतिशत कुल ₹676.65 करोड़ के तीन आवेदकों मुंद्रा सोलर फोटोवोल्टिक्स लिमिटेड (₹313.73 करोड़), सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (₹205.25 करोड़) और स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (₹157.67 करोड़) को दिया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि यह योजना इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए थी और कई एम एन सी ने पहली बार भारत में निवेश किया है और इस योजना के तहत प्रोत्साहन की मांग की है। मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में नहीं बताता है क्योंकि एम-एस आई पी एस की परिकल्पना की गई थी और बाद में उद्योग संघों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर इसका विस्तार किया गया था। इसे अधिकतम क्षेत्र शामिल करने चाहिए थे। विषम कवरेज (विस्तार) ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल करने के लक्ष्य को बाधित किया।

³⁴ ए13- ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, बी8- इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटक, ए1- दूरसंचार उत्पाद, सी- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएँ, ए10- औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और ए19- उपभोक्ता उपकरण

³⁵ बी2- सेमीकंडक्टर वेफरिंग, ए1- दूरसंचार उत्पाद, ए13- ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ए19- उपभोक्ता उपकरण, और बी8- इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटक

2.2.4.1 (ग) परिचालन व्यय पर विचार न करना

योजना डिजाइन की मांग है कि योजना कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार सभी लागतों की गणना की जाए क्योंकि यह योजना के लिए सटीक वित्तीय नियोजन और लेखांकन में सहायता करता है।

हमने पाया कि आवेदनों के मूल्यांकन और सत्यापन तथा तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी एम यू) के रूप में काम करने वाली एजेंसियों की नियुक्ति पर व्यय की योजना अनुमोदन के समय परिकल्पित नहीं की गई थी। इसलिए ये भुगतान एक अलग एम-एस आई पी एस बजट शीर्ष के बजाय एक सर्वव्यापी शीर्ष अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स/आई टी/एच डब्ल्यू विनिर्माण के संवर्धन व्यावसायिक सेवाओं से किए जा रहे थे। 2022-23 तक व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹54.44 करोड़ का व्यय किया गया। मंत्रालय ने (अप्रैल 2023) में अवलोकन स्वीकार किया।

2.2.4.2 योजना के कार्यान्वयन में देरी

2.2.4.2 (क) मूल्यांकन में देरी

हमने पाया कि आवेदनों को 185 दिनों के भीतर स्वीकृति देने के योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत आवेदनों को मंजूरी देने में काफी देरी हुई। आवेदनों³⁶ को मंजूरी देने में लगने वाला औसत समय 491 दिन था। 85 प्रतिशत आवेदनों (267 आवेदनों के लिए) के मामले में मंजूरी के लिए लगने वाला समय 185 दिनों से अधिक था, जिनमें से 148 आवेदक, जो जमा किए गए आवेदनों का 47 प्रतिशत है, के मामले में एम ई आई टी वाई को 301 दिनों से अधिक समय लगा।

तालिका 2.7: आवेदन मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया में देरी

क्रमांक	आवेदन स्वीकृति में विलंब (> 185 दिन)	आवेदनों की संख्या	विलंबित आवेदन (प्रतिशत में)
1	60 दिन से कम	29	9
2	61-120 दिन	28	9
3	121-180 दिन	19	6
4	181-240 दिन	28	9
5	241-300 दिन	15	5
6	301 दिन या उससे अधिक	148	47
	कुल	267	85

³⁶ 313 स्वीकृत आवेदनों के संबंध में

आवेदन प्राप्त होने से लेकर प्रोत्साहन राशि संवितरित होने तक 24 नमूना मामलों की स्थिति **अनुलग्नक 2.8** में दी गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि 14 मामलों में देरी का कारण मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में की गई देरी तथा मूल्यांकन समिति की बैठकें आयोजित करने और उसके बाद अनुमोदन में हुई देरी थी। देरी 52 दिनों से लेकर 1075 दिनों तक की थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि देरी निम्नलिखित कारणों से हुई:

- क) आवेदकों से पूर्ण दस्तावेज प्राप्त न होना।
- ख) मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्रसंस्करण और परीक्षण में एम ई आई टी वाई द्वारा विलंब।
- ग) मूल्यांकन की प्रक्रिया तैयार करने में देरी।
- घ) मूल्यांकन समिति की बैठक तभी हुई जब समीक्षा के लिए पांच-छह प्रतिवेदन उपलब्ध थे, जिससे मूल्यांकन में देरी हुई।

आई टी पर संसदीय स्थायी समिति ने अनुदान पर मांगों (2020-21) पर अपनी पांचवीं रिपोर्ट (17^{वीं} लोकसभा) में निहित समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी 18^{वीं} रिपोर्ट में आवेदनों के निपटान की धीमी गति पर ध्यान दिया। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि निवेश प्रस्तावों का तेजी से निपटान किया जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों की क्रियाशीलता में लगातार कमी हो रही है, जिसका कुछ क्षेत्रों में छह महीने से भी कम होने का अनुमान है।

मंत्रालय ने संसदीय स्थायी समिति को बताया कि परियोजनाओं के अनुमोदन में देरी आंशिक रूप से आवेदकों द्वारा परियोजनाएं शुरू करने के लिए तैयार न होने के कारण हुई है, तथा कई आवेदकों ने भूमि की उपलब्धता और वित्तीय समापन (अपनी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता) के लिए अनुपालन की तत्परता सुनिश्चित किए बिना, केवल योजना के तहत अपने आवेदन सुरक्षित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

2.2.4.2 (ख) प्रोत्साहनों के सत्यापन और संवितरण में देरी

परियोजना अनुमोदन (और पूंजीगत व्यय) के संबंध में निवेश करने के बाद, निवेशक प्रोत्साहन के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता है। अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एक बार दावा प्राप्त होने के बाद, सत्यापन एजेंसी को 15 दिनों के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। उसके बाद, एम ई आई टी वाई के कार्यक्रम प्रभाग द्वारा सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर संवितरण दावे का निपटान किया जाना था।

24 सैंपल मामलों के संबंध में, निवेशकों ने 2014-15 से 2021-22 के बीच 69 दावा मामले प्रस्तुत किए। हमने 47 (अर्थात् 68 प्रतिशत) दावों में सत्यापन में देरी पाई, जो दावों के सत्यापन की निर्धारित

अवधि 15 दिनों के बाद पूरे हुए। इसके परिणामस्वरूप प्रोत्साहन राशि जारी करने में देरी हुई। मंत्रालय दावे के सत्यापन के 60 दिनों के भीतर 69 संवितरण दावा मामलों में से केवल 12 (अर्थात् 17 प्रतिशत मामले) में ही स्वीकृति आदेश जारी कर सका, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 2.8: एम-एस आई पी एस के तहत दावे के संवितरण में देरी

क्रम संख्या	दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से सत्यापन की तिथि तक लिया गया समय	दावा आवेदनों की संख्या	सत्यापन की तिथि से स्वीकृति की तिथि तक लिया गया समय	दावा आवेदनों की संख्या
1	0 से 15 दिन	22	0 से 15 दिन	3
2	16 से 30 दिन	17	16 से 30 दिन	0
3	31 से 45 दिन	4	31 से 45 दिन	4
4	46 से 60 दिन	2	46 से 60 दिन	5
5	60 दिन से अधिक	24	60 दिन से अधिक	57
	कुल 24 आवेदकों द्वारा दावा	69	कुल 24 आवेदकों द्वारा दावा	69

मंत्रालय ने अपने उत्तर में सत्यापन और संवितरण में देरी के कारणों के रूप में प्रक्रियागत मुद्दों पर प्रकाश डाला जैसे:

- ❖ आवेदक से पूर्ण आवेदन/दस्तावेज प्राप्त होने में देरी।
- ❖ सत्यापन एजेंसी, कार्यक्रम प्रभाग और एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व स्पष्टीकरण मांगा गया।
- ❖ योजना के प्रारंभ में सत्यापन की प्रक्रिया को तैयार न करना।
- ❖ दावे के अनुमोदन के बाद आवेदक द्वारा दस्तावेज (क्षतिपूर्ति बांड, प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष तक वाणिज्यिक उत्पादन में बने रहने का वचन, सत्यनिष्ठा अनुपालन वचन आदि) प्रस्तुत करने में देरी।
- ❖ एकीकृत वित्त प्रभाग (आई एफ डी) की सहमति प्राप्त करने में समय लगता है।

मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं था। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आई एफ डी की सहमति निर्धारित समय के भीतर ली जानी चाहिए। हालांकि यह माना गया कि दस्तावेजों को देरी से जमा करना एक चुनौती है, लेकिन इसके लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई। इससे आवेदकों को दस्तावेजी आवश्यकताओं और अनुमोदन प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित बातचीत और कार्यशालाओं की आवश्यकता की ओर इशारा किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय ने एजेंसियों की ओर से देरी को संबोधित करने में अपनी विफलता पर कोई टिप्पणी नहीं की।

2.2.4.3 मूल्यांकन और सत्यापन में चूक

हमने मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण खामियां पाई, जैसा कि निम्नलिखित केस अध्ययनों से पता चलता है:

केस स्टडी 1: परिहार्य हितों का टकराव तथा सत्यापन एजेंसी के चयन में देरी

सितंबर 2013 में, एम-एस आई पी एस दिशानिर्देश अधिसूचना के लगभग एक साल बाद, भारत सरकार के एम ई आई टी वाई (पूर्ववर्ती डी आई टी) ने एम-एस आई पी एस के तहत कार्यक्रम प्रबंधन सेवाओं के लिए दो एजेंसियों, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पी डब्ल्यू सी) और एक्सचर सर्विसेज (पी) लिमिटेड को पैनेल में शामिल किया। उन्हें सितंबर 2013 और सितंबर 2017 के बीच आवेदनों के प्रसंस्करण और मूल्यांकन का काम सौंपा गया था। मंत्रालय ने पी एम यू और मूल्यांकन एजेंसी का काम एक ही एजेंसियों को सौंप दिया, जिससे इस अवधि के दौरान 171 मूल्यांकन आवेदनों के प्रसंस्करण में हितों का टकराव हुआ, जिससे बचा जा सकता था।

मंत्रालय का उत्तर (अप्रैल 2023) हितों के टकराव के मुद्दे पर मौन था।

सत्यापन एजेंसी के चयन में देरी का विवरण नीचे दिया गया है:

इस योजना को जुलाई 2012 में अधिसूचित किया गया था। हालांकि, मंत्रालय ने अक्टूबर 2014 में एक सत्यापन एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की, दिसंबर 2016 में रुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) को अंतिम रूप दिया और जून 2017 में प्रस्ताव के लिये अंतिम अनुरोध (आर एफ पी) जारी किया। इसके अतिरिक्त, मई 2017 में, इसने लंबित संवितरण मामलों को सत्यापित करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई) को नामित किया।

इस प्रकार, स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी की नियुक्ति में पांच वर्ष की देरी हुई। मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि तात्कालिकता के कारण आई एफ सी आई को नामांकन के आधार पर सत्यापन कार्य दिया गया ताकि लंबित मामलों को निपटाया जा सके और उसके बाद आई एफ सी आई को एकल निविदा के आधार पर चुना गया। मंत्रालय के उत्तर में लेखापरीक्षा अवलोकन के बारे में नहीं बताया गया है, जिसमें ई ओ आई और आर एफ पी के लिए मानदंड को अंतिम रूप देने में मंत्रालय द्वारा की गई देरी को दर्शाया गया है, जिसमें लगभग पाँच वर्षों का समय लग गया और मंत्रालय ने बीच की अवधि में सत्यापन कार्य को आगे बढ़ाया।

केस स्टडी 2: अनुचित पूंजीगत व्यय

एम-एस आई पी एस दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2012) के पैरा 2.3 (डी) में उन मदों का विवरण दिया गया है जो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल किए जाने के योग्य थे, जिसमें परामर्श सेवाओं पर व्यय शामिल नहीं था। हालांकि मूल्यांकन समिति ने (अक्टूबर 2017) पूंजीगत व्यय के रूप में ₹8.95 करोड़ की परामर्श सेवाओं को शामिल किया, जिस पर मंत्रालय द्वारा (सितम्बर 2019) सत्यापन एजेंसी आई एफ सी आई (जून 2019) की सिफारिश पर ₹1.79 करोड़ संविरित किए गए। मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2012) के पैराग्राफ 2.3(ई) के अनुसार, उपयोगिताओं पर व्यय भी पूंजीगत व्यय का हिस्सा है और उक्त परामर्श प्रभार सामान्य उपयोगिताओं (अर्थात् संपीडित हवा के लिए कंप्रेसर जैसी उपयोगिता मशीनें) के लिए हैं। यह भी कहा गया कि एम-एस आई पी एस दिशा-निर्देश परामर्श प्रभार पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में मौन हैं।

मंत्रालय का उत्तर विरोधाभासी है, जिसमें दावा किया गया है कि परामर्श प्रभार उन उपयोगिताओं के लिए भी था, जिन्हें पूंजीगत व्यय माना गया था, जबकि यह भी स्वीकार किया गया है कि दिशानिर्देश ऐसे परामर्श प्रभार के बारे में मौन हैं।

केस स्टडी 3: सत्यापन एजेंसी को अनुचित लाभ

हमने देखा (अगस्त 2022) कि आई एफ सी आई ने सत्यापन कार्य को पहले से ही अपने पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी ए) फर्मों को आउटसोर्स किया। उनकी सेवाओं के लिए, 2017-18 और 2021-22 के दौरान आई एफ सी आई ने सी ए फर्मों को ₹1.55 करोड़ का भुगतान किया, जबकि मंत्रालय ने इसी अवधि के लिए आई एफ सी आई को ₹14.18 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, आई एफ सी आई ने सी ए फर्मों को भुगतान से संबंधित "आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय" के लिये प्रतिपूर्ति के नाम पर आवेदकों से ₹1.76 करोड़ एकत्र किए। हालाँकि, आवेदकों द्वारा सत्यापन एजेंसी को इस तरह के भुगतान के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, आवेदकों से ₹1.76 करोड़ की आई एफ सी आई की वसूली अनियमित थी और इसमें मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी नहीं थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि योजना नई है और इसमें समय के साथ कई (लगभग 19) संशोधन हुए हैं, जिसके लिए अलग तरह की तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है। आई एफ सी आई ने आवेदकों की सहायता के लिए योजना / दिशानिर्देशों से अच्छी तरह परिचित विक्रेताओं / सी ए फर्मों को विकसित करने में मदद की।

मंत्रालय का उत्तर, आवेदकों से आई एफ सी आई द्वारा लिए गए अनधिकृत अतिरिक्त भुगतान के बारे में लेखापरीक्षा के तर्क को संबोधित नहीं करता। आवेदकों से सी ए फर्मों को देय राशि की वसूली जोकि ₹1.76 करोड़ प्रोत्साहनों के भुगतान में कटौती के बराबर थी। इसके अलावा, मंत्रालय का यह तर्क कि योजना नई थी, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि पिछले अवतार अर्थात् एस आई पी एस को पहले ही एम ई आई टी वाई द्वारा लागू किया जा चुका था।

केस स्टडी 4: अपूर्ण मूल्यांकन

स्टरलाइट ने चरण I और चरण II के लिए क्रमशः ₹238.89 करोड़ और ₹670.56 करोड़ के संवितरण दावे प्रस्तुत किए, जिनमें से ₹115.29 करोड़ और ₹515.41 करोड़ के पूंजीगत व्यय सही पाए गए। एम ई आई टी वाई द्वारा क्रमशः ₹28.82 करोड़ और ₹128.85 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई।

किए गए व्ययों (पूंजीगत व्यय) पर लागत की उचितता (संवितरण दिशानिर्देशों के खंड 5) का आकलन करने के लिए, मूल्यांकन एजेंसी और तत्पश्चात् एम ई आई टी वाई चार्टर्ड इंजीनियर (सी ई) सर्टिफिकेट, आवेदक से अंडरटेकिंग और साइट विजिट पर निर्भर थी। इस मामले में, सी ई ने कहा कि कीमत और लागत की उचितता से संबंधित उनका प्रमाणपत्र प्रचलित बाजार मूल्य के अनुरूप है, जो केवल कंपनी द्वारा प्रस्तुत वाउचर पर आधारित था। इस प्रकार, सी ई द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / साइट विजिट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आवेदन के प्रारंभिक मूल्यांकन के समय भी सलाहकार (मैसर्स एक्सचेंजर) द्वारा कोई लागत तुलना नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2023)।

2.2.4.4 योजना की निगरानी

2.2.4.4 (क) एम-एस आई पी एस पोर्टल के विकास में देरी

दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2012) के पैरा 5.1 के अनुसार प्रारंभिक और अनुवर्ती आवेदनों सहित सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) को मॉड्यूल विकसित करने का काम सौंपा गया था (नवंबर 2012)। सी-डैक, नोएडा ने मार्च 2013 में एम-एस आई पी एस के लिए ई-पोर्टल तैयार किया। हालांकि, चरण-I के लिए पी एम यू (मैसर्स एक्सचेंजर) द्वारा उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू ए टी) 11 महीने की देरी (फरवरी 2014) के बाद किया गया था। इस बीच, योजना के तहत पहला आवेदन जनवरी 2013 में भौतिक रूप में प्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त हुआ था।

पोर्टल के चरण-II के लिए सी-डैक ने जनवरी 2016 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन सी-डैक को कार्य आदेश अगस्त 2017 में 20 महीने की देरी के बाद जारी किया गया और यू ए टी की रिपोर्ट मई 2018 में सी-डैक को भेजी गई। इस प्रकार, मंत्रालय की सक्रिय तैयारी की कमी के कारण पोर्टल

के विकास में देरी हुई और जब तक ऑनलाइन मूल्यांकन और जांच मॉड्यूल एम ई आई टी वाई द्वारा स्वीकार किए गए, तब तक योजना के तहत 153 आवेदन पहले ही स्वीकृत हो चुके थे और 59 आवेदन एम ई आई टी वाई द्वारा मूल्यांकन के अधीन थे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि एम-एस आई पी एस के लिए पी एम यू सितंबर 2013 में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2014 में पी एम यू द्वारा यू ए टी किया गया था। इसके अलावा, पोर्टल का विकास योजना के सुचारू संचालन के लिए प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक अतिरिक्त गतिविधि थी।

मंत्रालय का उत्तर, एम ई आई टी वाई की ओर से अपर्याप्त निगरानी के बारे में लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है। योजना दिशा-निर्देश (अक्टूबर 2012) में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने थे। इस प्रकार, पोर्टल केवल एक अतिरिक्त गतिविधि नहीं थी, बल्कि बाधा रहित और पारदर्शी योजना कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण थी।

2.2.4.4 (ख) आवेदकों द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करने/न प्रस्तुत करने के कारण एम - एस आई पी एस की अपर्याप्त निगरानी

एम - एस आई पी एस दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2012) के पैरा 12.3 में प्रावधान है कि "जिस आवेदक की परियोजना स्वीकृत हो गई है, उसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परियोजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यू पी आर) पी एम यू डी ई आई टी वाई को प्रस्तुत करनी होगी, जिसे आवेदकों को जारी किए गए स्वीकृति पत्र में भी शामिल किया गया था। इस प्रकार, क्यू पी आर स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एम ई आई टी वाई के लिए एकमात्र निगरानी तंत्र था।

एम - एस आई पी एस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत क्यू पी आर की संवीक्षा के दौरान, हमने पाया कि:

आवेदकों द्वारा नियमित रूप से क्यू पी आर प्रदान नहीं किए जा रहे थे, जैसा कि **अनुलग्नक 2.9** में विस्तृत रूप से बताया गया है। आवेदकों द्वारा बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के एम-एस आई पी एस पोर्टल पर क्यू पी आर अपलोड किए जा रहे थे और प्रस्तुत किए गए कुल क्यू पी आर में से 10 प्रतिशत क्यू पी आर बिना हस्ताक्षर के अपलोड थे। इस प्रकार, पोर्टल डेटा को एम ई आई टी वाई द्वारा सहायक दस्तावेज़ों के सत्यापन के बिना आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे क्यू पी आर के आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।

शुरुआत में, आवेदक को निवेश के संबंध में परियोजना के लिए अलग लेखा बही रखनी थी। बाद में इस आवश्यकता को 'अलग रिकॉर्ड' में बदल दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अलग लेखों, जिनसे आवेदक के अनुसार वास्तविक व्यय की निगरानी की जा सकती थी, की अनुपस्थिति में, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग पर योजना के वास्तविक प्रभाव का आकलन करने में पारदर्शिता की कमी आई।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि सिस्टम द्वारा क्यू पी आर (तिमाही समाप्त होने के 30 दिन बाद) न भरने पर ईमेल द्वारा आवेदकों को नोटिस भेजे जा रहे थे। जिस समय इस योजना को अधिसूचित किया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अपने शुरुआती दौर में था इसलिए योजना की सख्त निगरानी से उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि मूल्यांकन एजेंसी ने क्यू पी आर की नवीनतम स्थिति पर आवंटित आवेदकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकनों का आंशिक उत्तर प्रस्तुत किया है। क्यू पी आर के माध्यम से अपर्याप्त निगरानी को स्वीकार करते हुए, इसने अलग लेखों के रखरखाव के संबंध में खंड को कमजोर करने पर अवलोकन का उत्तर नहीं दिया। उचित क्यू पी आर न होने से योजना का मात्रात्मक प्रभाव मूल्यांकन प्रभावित हुआ और आवेदकों द्वारा अलग लेखे बनाए रखने की आवश्यकता को कमजोर करने से समस्या और भी जटिल हो गई।

2.2.4.4 (ग) एम - एस आई पी एस पोर्टल पर गलत / अपूर्ण डेटा

आवेदनों के शीघ्र निपटान और योजना कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एम - एस आई पी एस पोर्टल विकसित किया गया। एम-एस आई पी एस पोर्टल की संवीक्षा के दौरान, हमने पाया (सितंबर 2022) कि:

- एम-एस आई पी एस पोर्टल के अनुसार, 93 आवेदन 'बंद' दर्शाए गए हैं हालाँकि, एम ई आई टी वाई द्वारा मार्च 2022 तक उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, कुल 208 आवेदन बंद कर दिए गए थे।
- एम-एस आई पी एस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा अपलोड की गई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर एक पृष्ठ की सूचना में उपलब्ध क्यू पी आर के विवरण में सही ढंग से नहीं दर्शायी गयी है।
- एम-एस आई पी एस पोर्टल पर चयनित 24 आवेदनों से संबंधित रिकार्ड की विस्तृत संवीक्षा करने पर यह देखा गया कि 69 प्रोत्साहन दावों में से 55 के संबंध में आई एफ सी आई द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट एम-एस आई पी एस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि केवल वे आवेदन जो 2020 के मध्य के बाद बंद हो गए थे, उनके समापन पत्र के साथ ही पोर्टल पर भी बंद कर दिए गए हैं। हालाँकि, जो आवेदन 2020 के मध्य से पहले बंद हो गए थे, उन्हें पोर्टल पर बंद नहीं किया जा सका क्योंकि बंद करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी तरह, 2020 के मध्य से, दावे पोर्टल पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं और ऐसे दावों की सभी सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही हैं। सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए आवेदकों को फिर से प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, आवेदक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किए गए क्यू पी आर आवेदक के एक पेजर सूचना टैब पर प्रतिबिंबित नहीं होते हैं।

उत्तर ने लेखापरीक्षा के इस तर्क को पुष्ट किया कि क्यू पी आर से संबंधित जानकारी एक पृष्ठ पर उपलब्ध जानकारी से भिन्न है और पोर्टल पर योजना का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार एम-एस आई पी एस पोर्टल विकसित करने का मूल उद्देश्य विफल हो गया है क्योंकि आवेदनों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अलावा, पोर्टल / डैशबोर्ड के माध्यम से योजना कार्यान्वयन का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि डेटाबेस अधूरा है और 2020 के मध्य से पहले की अवधि के लिए सही जानकारी प्रदान नहीं करता है।

2.2.5 निष्कर्ष

पूंजीगत व्यय पर निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति के माध्यम से बड़े पैमाने पर विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में एम-एस आई पी एस की शुरुआत की गई थी। आवेदकों द्वारा कुल ₹36,991 करोड़ (अप्रैल 2023) का निवेश किया गया तथा ₹2,136 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। हालाँकि, निवेश सीमित क्षेत्रों में था। नीतिगत स्थिरता को प्रभावित करने वाले कई संशोधनों के साथ नियोजन की कमियाँ व्याप्त थीं। मंत्रालय के भीतर और बाहर विभिन्न चरणों में आवेदनों के मूल्यांकन, सत्यापन और प्रोत्साहनों के संवितरण में देरी ने कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की। हमने मूल्यांकन के साथ-साथ दावों के सत्यापन में भी चूक देखी। पोर्टल के विकास में देरी और आवेदकों द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण निगरानी में बाधा उत्पन्न हुई।

2.2.6 सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि:

- i. मंत्रालय समय पर मूल्यांकन और दावों के संवितरण के लिए संबंधित एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रख सकता है।*
- ii. मंत्रालय एम-एस आई पी एस पोर्टल के द्वारा निगरानी में सुधार कर सकता है।*

अध्याय

III

डाक विभाग (डी ओ पी)

3.1 डाक विभाग द्वारा सरकारी विभागों से जी एस टी की वसूली न करना

डाक विभाग (डी ओ पी) माल और सेवा कर (जी एस टी) की प्रयोज्यता पर समय पर निर्देश जारी करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों से ₹13.57 करोड़ की राशि का जी एस टी की बिलिंग तथा वसूली नहीं की गई।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 12/2017 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार, डाक विभाग (डी ओ पी) द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान की जाने वाली एजेंसी सेवाओं को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी जी एस टी) अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत छूट दी गई थी।

वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) परिषद ने अपनी 47^{वीं} बैठक में सिफारिश (22 जून) की कि डी ओ पी की सभी कर योग्य सेवाएं 18 जुलाई 2022 से जी एस टी के अधीन होंगी। वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) ने डी ओ पी को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जी एस टी की प्रयोज्यता में संशोधन के बारे में सूचित (12 जुलाई 2022) किया। हालांकि, डी ओ पी ने दरों के युक्तिकरण और जी एस टी कार्यान्वयन में छूट वापस लेने के संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सात महीने की देरी के बाद फरवरी 2023 में निर्देश दिए।

हमने देखा (मई 2023) कि डाक विभाग के सर्किलों ने बुक नाउ पे लेटर (बी एन पी एल) योजना के तहत सरकारी ग्राहकों से स्पीड पोस्ट सामानों पर जी एस टी नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप 15 डाक सर्किलों³⁷ द्वारा जुलाई 2022 से सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए बिल नहीं बनाये गए और परिणामस्वरूप ₹13.57 करोड़ (अनुलग्नक 3.1) की जी एस टी राशि की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई 2023 से नवंबर 2023 तक), डाक सर्किलों ने उत्तर दिया (जून 2023 से नवंबर 2023 तक) कि डाक निदेशालय से फरवरी 2023 में निर्देश प्राप्त हुए थे और उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। यह भी कहा गया कि जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक की अवधि से संबंधित जी एस टी की वसूली डाक निदेशालय से निर्देश प्राप्त होने पर की जाएगी।

मंत्रालय ने, ऑडिट अवलोकन को स्वीकार करते हुए, कहा कि स्पीड पोस्ट (बी एन पी एल) सेवाओं पर सरकारी ग्राहकों से जी एस टी की वसूली के लिए निर्देश जारी (अगस्त 2024) कर दिए गए हैं और

³⁷ आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु।

अब तक ₹28,755/- की वसूली की जा चुकी है। इसके अलावा, डाक विभाग संबंधित सर्किल के साथ जी एस टी की वसूली के मामले का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है।

इसके अलावा, हमने यह भी पाया कि डाक निदेशालय के निर्देशों के बाद भी, चार डाक इकाइयों³⁸ में स्पीड पोस्ट बुकिंग पर जी एस टी लागू करने में एक महीने से लेकर सात महीने तक की देरी हुई।

इस प्रकार, डाक निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करने में देरी और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्देशों के कार्यान्वयन में और अधिक देरी के परिणामस्वरूप जुलाई 2022 से सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए ₹13.57 करोड़ की राशि के स्पीड पोस्ट सामानों पर जी एस टी नहीं लगाया गया, इसके अलावा जी एस टी प्राधिकारियों द्वारा दंडात्मक प्रावधान भी लगाए जा सकते हैं, इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

सिफारिश:

हम सिफारिश करते हैं कि विभाग एक ऐसा तंत्र विकसित करे, जिसमें जी एस टी नियमों और इसके संशोधनों पर निर्देश वास्तविक समय के आधार पर क्षेत्रीय इकाइयों को जारी किए जाएं और बिना किसी देरी के कार्यान्वित किए जाएं, जिससे सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

3.2 केरल डाक सर्किल द्वारा पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसियों की परिपक्वता आय से टी डी एस की कटौती न करना

केरल पोस्टल सर्किल ने पात्र पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसियों के पूर्ण होने पर देय राशि से टी डी एस की कटौती नहीं की, जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 डी ए के प्रावधानों और इसके संशोधनों के तहत आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 (01 सितंबर 2019) से 2022-23 (मई 2023) की अवधि के दौरान ₹3.65 करोड़ टी डी एस राशि की कटौती नहीं हुई।

डाक विभाग (डी ओ पी), संचार मंत्रालय डाक जीवन बीमा (पी एल आई) / ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता है। पी एल आई / आर पी एल आई डी ओ पी की एक योजना है जो सरकारी कर्मचारियों, कुछ क्षेत्रों के गैर - सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण जनता को प्रधान डाकघरों (एच ओ) / उप कार्यालयों (एस ओ) और शाखा कार्यालयों (बी ओ) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा प्रदान करता है।

2014 के वित्त विधेयक द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 डी ए, प्रस्तुत की गई थी (1 अक्टूबर 2014) और यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी निवासी को जीवन बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी राशि जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस शामिल है, का भुगतान करने

³⁸ एन एस एच भोपाल (सात महीने), टी टी नगर एच ओ भोपाल (चार महीने), एन एस एच एर्नाकुलम (एक महीने) और जी पी ओ श्रीनगर (तीन महीने)।

के लिये जिम्मेदार है जो बीमा पॉलिसियों के अलावा आई टी अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड 10 डी³⁹ के अंतर्गत आती हैं, उनके भुगतान के समय, उन पर दो प्रतिशत की दर से (बाद में वित्त विधेयक 2016 द्वारा इसे एक प्रतिशत में बदल दिया गया) आयकर काटेगा। वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2019 ने धारा 194 डी ए में और संशोधन किया और 1 सितंबर 2019 से आयकर कटौती की दर को "एक प्रतिशत" से बढ़ाकर "पाँच प्रतिशत" कर दिया। हालांकि जहाँ प्राप्तकर्ता को वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे भुगतान की राशि या ऐसे भुगतान की कुल राशि एक लाख रुपये से कम थी, इस धारा के तहत कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए थी।

केरल पोस्टल सर्कल में 2019-20 से 2022-23 की अवधि के लिए पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसियों के पॉलिसी धारकों को अवधि पॉलिसी पूर्ण होने पर प्राप्त राशि के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2023) से पता चला कि पूर्ण होने पर प्राप्त राशि पर पाँच प्रतिशत की दर से टी डी एस की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 194 डी ए के प्रावधान का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 01 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी और 2019-20 (01 सितंबर 2019) से 2022-23 (मई 2023) की अवधि के दौरान पूर्ण हुई 13,404 पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसियों के संबंध में ₹3.65 करोड़ के टी डी एस की कटौती नहीं हुई।

इंगित किए जाने पर, पी एल आई निदेशालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2023) और पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसियों के भुगतान पर टी डी एस की प्रयोज्यता के संबंध में सभी सर्कल प्रमुखों को स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश (22 सितंबर 2023) जारी किए। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा (मार्च 2024) कि सिस्टम (मैकैमिश सॉफ्टवेयर) के माध्यम से लागू टी डी एस काटने का प्रावधान विक्रेता द्वारा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एस आर एस) की तैयारी के स्तर पर है और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (यू ए टी) सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद सिस्टम में तैनात किया जाएगा। इस बीच, सभी सर्किलों को मैकैमिश सिस्टम में इसके शामिल होने तक लागू टी डी एस मैनुअल रूप से काटने के निर्देश जारी किए गए हैं।

लेखापरीक्षा के अवलोकन की पुष्टि करने के अलावा विभाग के उत्तर में कहा गया है कि न केवल केरल में, बल्कि पूरे भारत में, 2014 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 डी ए में संशोधन और सन्निवेश के बावजूद, मैकैमिश सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग डी ओ पी में पी एल आई / आर पी एल आई योजना के संचालन के लिए किया जाता है, को अद्यतन नहीं किया गया है और एक सरकारी विभाग स्वयं ही (अर्थात् डी ओ पी) भारत सरकार के वित्त अधिनियमों और उनमें संशोधन का उल्लंघन कर रहा है।

³⁹ यदि जीवन बीमा पॉलिसी 01.04.2012 को या उसके बाद जारी की गई है और वार्षिक प्रीमियम की राशि बीमा राशि के दस प्रतिशत से अधिक है, तो अवधि पूर्ण होने पर प्राप्त राशि कर योग्य है। यह प्रावधान किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किसी भी राशि पर लागू नहीं होगा।

इस प्रकार लेखापरीक्षा में तत्काल मामले में उल्लेख किया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194 डी ए तथा इसके संशोधन जिसके तहत 01 अप्रैल 2012 को अथवा उसके बाद जारी पी एल आई / आर पी एल आई पॉलिसियों के पूर्ण होने पर प्राप्त राशि जिसमें एक लाख रुपये से अधिक की राशि शामिल है, में से पांच प्रतिशत की दर से टी डी एस काटने के प्रावधान का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 (01 सितम्बर 2019) से 2022-23 (मई 2023) की अवधि के दौरान ₹3.65 करोड़ की टी डी एस राशि की कटौती नहीं हुई।

3.3 डाक विभाग में अनियमित पदोन्नतियाँ

डाक विभाग (डी ओ पी) में स्थायीकरण के बिना अनियमित पदोन्नति

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) के कार्यालय ज्ञापन (मार्च 1988) के अनुसार, कर्मचारी सेवाकाल में केवल एक ही स्थायीकरण होगा, जो प्रवेश ग्रेड में होगा। इसके अलावा, जुलाई 2014 में जारी डी ओ पी टी कार्यालय ज्ञापन (ओ एम) में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को जिस सेवा में नियुक्त किया गया है उसमें समाहित होने के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

डाक निदेशालय के डाक लेखा विंग ने 11 अक्टूबर, 2010 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी भर्ती नियम (आर आर) {कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक ग्रेड II और अवर श्रेणी लिपिक} 2010 को सर्किल डाक लेखा कार्यालयों को भेजा। आर आर ने अवर श्रेणी लिपिक (अ श्रे लि) और कनिष्ठ लेखाकार (क ले) की भर्ती के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है:

- ❖ कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती
- ❖ निर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति
- ❖ 12वीं कक्षा या समकक्ष मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति
- ❖ वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर सॉर्टर्स / अ श्रे लि की पदोन्नति या
- ❖ मल्टी - टास्किंग स्टाफ की पदोन्नति।

यद्यपि 35 प्रतिशत कनिष्ठ लेखाकार और पाँच प्रतिशत अवर श्रेणी लिपिक की भर्ती क्रमशः अ श्रे लि और एम टी एस से पदोन्नति द्वारा की जानी है, लेकिन अ श्रे लि और एम टी एस के लिए पदोन्नति के लिए विभागीय योग्यता परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा आर आर में निर्धारित नहीं की गई थी।

हमने पाया (जुलाई 2022 और मई 2024 के बीच) कि डी ओ पी ने निर्देशों का उल्लंघन करते हुए छह डाक सर्किलों⁴⁰ में 40 अ श्रे लि और एक डाक सर्किल⁴¹ में तीन एम टी एस, जिन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि भी पूरी नहीं की थी, को कनिष्ठ लेखाकार और अवर श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। परिणामस्वरूप, जिन कर्मचारियों ने प्रवेश संवर्ग में दो से इक्कीस महीने के बीच की अवधि के लिए सेवा प्रदान की थी, उन्हें प्रवेश संवर्ग में परिवीक्षा स्थायीकरण के पूरा होने / घोषणा से पहले विभागीय परीक्षा देने की अनुमति दी गई और उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें कनिष्ठ लेखाकार (क ले) संवर्ग और अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग के रूप में पदोन्नत किया गया। छह सर्किलों में अ श्रे लि से क ले संवर्ग में इस तरह की पदोन्नति का वित्तीय निहितार्थ ₹98.80 लाख⁴² था।

डाक सर्किल {डाक लेखा एवं वित्त (पी ए एंड एफ)} कार्यालयों में इस मुद्दे को इंगित किए जाने पर उत्तर दिया गया (सितंबर 2023) कि पदोन्नति डाक निदेशालय द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन करते हुए डी ओ पी के आदेशों के अनुसार दी गई थी, और प्रासंगिक भर्ती नियमों के अनुसार कोई रोक नहीं थी तथा कोई भी स्नातक अ श्रे लि से क ले संवर्ग में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा दे सकता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें (ड्राफ्ट आर आर) निर्दिष्ट विभागीय परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा अर्थात् प्रवेश ग्रेड में परिवीक्षा की पूर्णता और अ श्रे लि पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा को शामिल किया जा रहा है, संशोधित आर आर को अंतिम रूप देने में लगभग दो से तीन वर्ष का समय लग सकता है। साथ ही, सभी डाक लेखा कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके कार्यालयों के कर्मचारियों को कनिष्ठ लेखाकार में पदोन्नति प्राप्त करने से पहले अ श्रे लि पद (सेवा के प्रवेश ग्रेड) में परिवीक्षा अवधि (उनकी योग्यता के बावजूद) पूरी करनी होगी ताकि भविष्य में किसी भी कठिनाई से बचा जा सके।

उत्तर में कनिष्ठ लेखाकार और अवर श्रेणी लिपिक की पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों में कमियों को स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें निर्दिष्ट विभागीय परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा को शामिल नहीं किया गया है, जो कि डी ओ पी टी कार्यालय ज्ञापन (मार्च 1988) के विपरीत है।

⁴⁰ कर्नाटक (18), तमिलनाडु (8), हरियाणा (3), जम्मू-कश्मीर (1), पंजाब (3) और केरल (7)

⁴¹ दिल्ली (3)

⁴² कर्नाटक (₹44.60 लाख), तमिलनाडु (₹29.72 लाख), हरियाणा (₹5.00 लाख), जम्मू और कश्मीर (₹0.35 लाख) पंजाब (₹3.04 लाख) और केरल (₹16.09 लाख)

इस प्रकार प्रवेश संवर्ग में पुष्टि के बिना अवर श्रेणी लिपिक (अ श्रे लि) से कनिष्ठ लेखाकार (क ले) और मल्टी - टास्किंग स्टाफ (एम टी एस) से अवर श्रेणी लिपिक (अ श्रे लि) के पद पर पदोन्नति अनियमित है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुरूप नहीं है।

सिफारिश:

हम सिफारिश करते हैं कि डी ओ पी सभी संवर्गों के भर्ती नियमों की गहन समीक्षा करे तथा स्थापित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन करे।

अध्याय	दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)
IV	


4.1 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सरकार के साथ राजस्व साझेदारी की लेखापरीक्षा

4.1.1 परिचय

सरकार दूरसंचार लाइसेंसधारियों से उनके राजस्व के हिस्से के रूप में लाइसेंस शुल्क, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एस यू सी) वसूलती है। औसतन, 2017-2022 के दौरान ये लेवी सालाना ₹13,947 करोड़ थे, जो भारत सरकार के कुल गैर - कर राजस्व संग्रह का 3.04 प्रतिशत से 4.83 प्रतिशत है।

2017-22 के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा एकत्र किए गए सकल राजस्व, समायोजित सकल राजस्व, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का विवरण नीचे चित्र 4.1 के अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से सभी पैरामीटर बढ़ती प्रवृत्ति पर हैं।

चित्र 4.1: दूरसंचार विभाग द्वारा एकत्रित राजस्व हिस्सेदारी



(स्रोत: संबंधित वर्ष की ट्राई प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट)

स्पेक्ट्रम: मोबाइल उद्योग और अन्य क्षेत्रों को वायु तरंगों पर संचार के लिए आवंटित रेडियो आवृत्तियाँ। दूरसंचार में, विभिन्न आवृत्तियों की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है जिन्हें आवृत्तियों के आधार पर बैंड में विभाजित किया जाता है।

सकल राजस्व: सकल राजस्व किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता का कुल राजस्व है, जिसमें संबंधित व्यय का कोई समायोजन नहीं होता है।

समायोजित सकल राजस्व: समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मदों को सकल राजस्व (जी आर) से बाहर रखा जाता है:

- i) पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (पी एस टी एन) / पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पी एल एम एन) / उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन (जी एम पी सी एस) से संबंधित कॉल शुल्क (एक्सेस शुल्क) जो वास्तव में भारत में अन्य पात्र / हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया जाता है।
- ii) रोमिंग राजस्व अन्य पात्र / हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिया गया, तथा
- iii) सेवा के प्रावधान पर सेवा कर और सरकार को वास्तव में भुगतान किया गया बिक्री कर, यदि सकल राजस्व में बिक्री कर और सेवा कर शामिल किया गया हो।

लाइसेंस शुल्क: दूरसंचार के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के विशेषाधिकार के लिए सरकार को दिया जाने वाला शुल्क।

स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क: ये वे शुल्क हैं जो दूरसंचार के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करने हेतु सरकार को चुकाए जाते हैं।

4.1.2 पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति - 1994 के तहत निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संचार नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति दी गई। वर्ष 2012-13 से सभी सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क की एक समान दर लागू की गई जो वर्तमान में समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत है। इसमें दो तत्व शामिल हैं, अर्थात् तीन प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क और पांच प्रतिशत की दर से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड (यू एस ओ एफ) में योगदान के रूप में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी। लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, मोबाइल (वायरलेस) सेवाएं प्रदान करने वाले लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एस यू सी) का भुगतान करना होता है, जो ऑपरेटर को आवंटित स्पेक्ट्रम की आवृत्ति बैंड और मात्रा से जुड़ा होता है।

राजस्व हिस्सेदारी का मूल्यांकन, संग्रह और लेखा दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) के संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए), लाइसेंसिंग वित्त मूल्यांकन (एल एफ ए) प्रभाग और वायरलेस वित्त प्रभाग (डब्ल्यू एफ डी)

के कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। दूरसंचार विभाग ने मौजूदा दूरसंचार राजस्व रिपोर्टिंग, मूल्यांकन और भुगतान तंत्र को आसान, स्वचालित और डिजिटल बनाने के लिए 2021 में एक वेब-आधारित राजस्व प्रबंधन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सरस (लाइसेंस शुल्क राजस्व और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन के लिए प्रणाली) को शुरू किया।

4.1.3 लेखापरीक्षा

4.1.3.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या:

उद्देश्य I दूरसंचार विभाग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभागों के समय पर और सटीक मूल्यांकन के लिए पर्याप्त प्रणालियां स्थापित करेगा।

उद्देश्य II यह आकलन करना कि क्या सरस के परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के मूल्यांकन, भुगतान एवं लेखांकन का डिजिटलीकरण हो रहा है।

4.1.3.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा में प्रयुक्त मानदंड हैं:

- ❖ समय-समय पर संशोधित लाइसेंस समझौतों के प्रावधान।
- ❖ लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के संग्रहण पर दूरसंचार विभाग/ट्राई द्वारा जारी विभिन्न निर्देश।
- ❖ इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय।
- ❖ दूरसंचार विभाग द्वारा जारी आदेश/परिपत्र/निर्देश।

4.1.3.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 20 जुलाई, 2020 के आदेश के तहत, 2016-17 तक दूरसंचार विभाग द्वारा जारी प्रारंभिक मूल्यांकन और मांग नोटिस के आधार पर सात⁴³ प्रमुख निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) से वसूली योग्य राशि पर निर्णय दिया⁴⁴। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इस प्रकार मूल्यांकित मांग के लिए, दिनांक 01 सितंबर, 2020 के निर्णय के अनुसार आगे

⁴³ 1. मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, 2. मेसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां, 3. मेसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लिमिटेड, 4. मेसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड और इसकी सहयोगी कंपनी मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड, 5. मेसर्स टेलीनॉर (इंडिया) कम्युनिकेशन लिमिटेड (मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ विलय), 6. मेसर्स क्वाइंट टेलीवैचर्स लिमिटेड, 7. मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड।

⁴⁴ बकाया राशि के अलावा अक्टूबर 2019 तक के ब्याज/जुर्माने/जुर्माने पर ब्याज पर भी फैसला सुनाया गया।

कोई विवाद या पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। इस प्रकार, दूरसंचार विभाग 2016-17 तक किए गए मूल्यांकन को फिर से नहीं खोल सकता।

तदनुसार, हमने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक दूरसंचार विभाग द्वारा पूर्ण किए गए आकलन और 2017-18 से 2021-22 तक संचार लेखा नियंत्रक कार्यालयों द्वारा छह⁴⁵ सेवा प्रदाताओं से संबंधित स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन की लेखापरीक्षा की।

4.1.3.4 लेखापरीक्षा पद्धति

हमने राजस्व हिस्सेदारी के आकलन की लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक (लाइसेंसिंग वित्त आकलन प्रभाग) के साथ दिनांक 02 अगस्त, 2022 को एक प्रवेश बैठक आयोजित की। इसके अलावा, शाखा लेखापरीक्षा कार्यालय दलों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित संचार लेखा नियंत्रक कार्यालयों के प्रमुखों के साथ भी प्रवेश बैठकें आयोजित की गईं।

हमने दूरसंचार विभाग के लाइसेंसिंग वित्त मूल्यांकन प्रभाग और संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों से प्राप्त दस्तावेजों और डेटा की जाँच की, साथ ही जहाँ भी आवश्यक पाया गया, दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी की भी जाँच की। लेखापरीक्षा दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को उप महानिदेशक (लाइसेंसिंग वित्त मूल्यांकन प्रभाग) के साथ एक एक्जिट मीटिंग के साथ समाप्त हुई।

राजस्व हिस्सेदारी (2019) को परिभाषित करने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों को लेखापरीक्षा द्वारा संदर्भित किया गया है और उन्हें ध्यान में रखा गया है।

4.1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष


4.1.4.1 मूल्यांकन में समयबद्धता

राजस्व साझेदारी व्यवस्था के अंतर्गत, दूरसंचार सेवा प्रदाता स्व-मूल्यांकन के आधार पर अपनी अनंतिम बकाया राशि तिमाही आधार पर तथा अंतिम बकाया राशि वार्षिक आधार पर संचार लेखा नियंत्रक को भेजते हैं।

राजस्व हिस्सेदारी के आकलन और भुगतान की प्रक्रिया नीचे चित्र 4.2 में दर्शाई गई है:

⁴⁵ भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (बी ए एल/बी एच एल), रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल), वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वी आई एल) और दो सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा प्रदाता कंपनियाँ अर्थात् बी एस एन एल और एम टी एन एल।

चित्र 4.2: राजस्व हिस्सेदारी के आकलन और भुगतान की प्रक्रिया



दूरसंचार विभाग ने (अक्टूबर 2014 में) निर्धारित किया था कि लाइसेंसिंग वित्त मूल्यांकन (एल एफ ए) प्रभाग को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बकाया का मूल्यांकन अगले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक पूरा करना चाहिए। तदनुसार, संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए) को उस विशेष वर्ष के लिए सत्यापन कार्य दिनांक 31 दिसंबर तक पूरा करना चाहिए। दूरसंचार विभाग ने फरवरी 2012 में पहले ही निर्धारित कर दिया था कि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का अंतिम मूल्यांकन एल एफ ए प्रभाग से अंतिम समायोजित सकल राजस्व की प्राप्ति के तीन महिनों के भीतर सी सी ए द्वारा पूरा किया जाएगा।

हमने सी सी ए द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के कटौती सत्यापन को पूरा करने में महत्वपूर्ण देरी देखी। 282 मूल्यांकनों में से, हमने 276 मामलों (98 प्रतिशत) में 10 दिनों से लेकर तीन वर्ष से अधिक की देरी पाई। औसतन, कटौती सत्यापन को पूरा करने में सी सी ए को 386 दिन लगे। एल एफ ए प्रभाग ने अंतिम मूल्यांकन में औसतन 215 दिनों की देरी की। इस प्रकार, अंतिम मूल्यांकन के लिए लिया गया कुल समय एक वर्ष की निर्धारित अवधि के मुकाबले पूरा होने की नियत तिथि से औसतन एक वर्ष और आठ महीने की देरी से हुआ।

हमने आगे पाया कि सी सी ए और एल एफ ए प्रभाग दोनों में स्टाफ की कमी थी जिससे क्रमशः कटौती सत्यापन और आकलन में देरी हुई। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क आकलन और कटौती सत्यापन कार्य के लिए किसी भी संवर्ग में कोई समर्पित कर्मचारी सी सी ए में तैनात नहीं था। जैसा कि होता है, सी

सी ए बी एस एन एल कर्मचारियों के लिए पेंशन और टर्मिनल लाभों के निपटान, निष्पादन बैंक गारंटी और वित्तीय बैंक गारंटी के रखरखाव, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) सब्सिडी के वितरण, अदालती मामलों में भाग लेने जैसे कई काम करते हैं। औसतन, सी सी ए में रिक्तियां 39 प्रतिशत हैं। इसी तरह, एल एफ ए प्रभाग भी अधीनस्थ स्तरों पर कम कर्मचारियों के साथ काम करता है और नियमित मूल्यांकन कार्य आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा शुरू किया जाता है। कर्मचारियों की कमी के अलावा, सी सी ए द्वारा बताए गए देरी के अन्य कारणों में बार-बार अनुस्मारक के बावजूद दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दस्तावेज जमा करने में देरी, अत्यधिक काम, कोविड-19 स्थिति, दूरसंचार विभाग मुख्यालय के आदेशों के अनुपालन में कई मामलों में पुनः सत्यापन और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सरस में दस्तावेजों को अपलोड करने में आने वाली समस्याएं (वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे) शामिल हैं। एल एफ ए प्रभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि संशोधित कटौती सत्यापन रिपोर्टों पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अभ्यावेदन के आधार पर मांग नोटिस के संशोधन जैसे कारणों से देरी हुई। मंत्रालय ने देरी के कारणों को दोहराया (मार्च 2024) और सूचित किया कि टी एस पी द्वारा लाइसेंस समझौते के अनुसार लेखापरीक्षित दस्तावेजों को जमा करने से लेकर, सी सी ए द्वारा डी वी आर सत्यापन से लेकर अंतिम रूप देने और मांग नोटिस जारी करने तक सरस पर काम किया जा रहा है और मूल्यांकन पूरा करने की समय सीमा की निगरानी सरस पर की जा रही है।

इन कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए, हमने पाया कि देरी बार-बार हो रही है और प्रकृति में प्रणालीगत है। लाइसेंस शुल्क व्यवस्था 2007 से लागू है, लेकिन स्टाफिंग मुद्दे, हालांकि बार-बार दूरसंचार विभाग के ध्यान में लाए गए, आज तक अनसुलझे रहे, जिसके परिणामस्वरूप सी सी ए स्तर और एल एफ ए प्रभाग दोनों में मूल्यांकन कार्य का अत्यधिक बकाया हो गया। मूल्यांकन में देरी से सरकार को भी नुकसान हुआ क्योंकि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए सी सी ए द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जारी अनंतिम मांगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा रोक दिया गया था, जिसने आगे के पुनर्मूल्यांकन पर रोक लगा दी थी। ये अनंतिम मांगें दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक मांगों की तुलना में बहुत कम थीं, जैसा कि केस स्टडी 1 में बताया गया है।

केस स्टडी 1: विलंब के कारण सरकार को राजस्व की हानि

हमने पाया कि तीन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (01 सितंबर 2020) के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए केवल ₹119.24 करोड़ निर्धारित किए गए थे। यदि वर्ष 2017-18 का मूल्यांकन 31 मार्च 2019 तक पूरा हो गया होता, तो ₹696.50 करोड़ की पूरी राशि 01 सितंबर 2020 के निर्णय में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बताई गई देय राशियों में शामिल की जा सकती थी। इसके बजाय, केवल ₹119.24 करोड़ शामिल किए गए (इस शर्त पर कि मामले को पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से नहीं खोला जाएगा)। इस प्रकार, मूल्यांकन पूरा होने में देरी के कारण, दूरसंचार विभाग ने सेवा प्रदाताओं

के प्रति ₹577.26 करोड़ (₹696.50 करोड़ - ₹119.24 करोड़) की वसूली का मौका खो दिया। विवरण नीचे तालिका 4.1 में हैं।

तालिका 4.1: लाइसेंस शुल्क और एस यू सी की हानि का विवरण

प्रचालक का नाम	अक्टूबर 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुसार डी वी आर पूरा करने की नियत तिथि / वास्तविक तिथि	सी सी ए स्तर पर विलंब (महीनों में)	अक्टूबर 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुसार एल एफ ए प्रभाग द्वारा समायोजित सकल राजस्व को अंतिम रूप देने की नियत तिथि / वास्तविक तिथि	दूरसंचार विभाग (एल एफ ए प्रभाग) में देरी @ स्तर (महीनों में)	अंतिम (विलंबित) ए जी आर के आधार पर एस यू सी का संक्षिप्त मूल्यांकन (₹ करोड़ में)
वोडाफोन	31.12.2018/ 17.09.2019	09	31.03.2019/ 26.03.2021	15	545.59
एयरटेल	31.12.2018/ 12.02.2021	26	31.03.2019/ 31.03.2021	-	26.63
आइडिया सेलुलर	31.12.2018/ 31.07.2019	07	31.03.2019/ 30.03.2021	17	5.04
कुल					577.26

@ दूरसंचार विभाग (एल एफ ए प्रभाग) स्तर पर विलंब की गणना सी सी ए द्वारा डी वी आर प्रस्तुत करने के तीन महीने बाद से की गई है।

मंत्रालय ने जवाब दिया कि (मार्च 2024) ए जी आर से संबंधित मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में था, उस समय दू वि को सी सी ए से कई लॉट में डी वी आर प्राप्त हुए थे और उन्हें कई बार संशोधित किया गया था, जिससे मूल्यांकन में देरी हुई।

सिफारिश:

दूरसंचार विभाग को संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए) और लाइसेंसिंग वित्त मूल्यांकन (एल एफ ए) प्रभाग के कार्यालयों में मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए ताकि समय पर और सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

4.1.4.2 सरस का कार्यान्वयन

सरस को लाइसेंस की पूर्ण अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग के साथ सभी लेन-देन और संचार के लिए अखिल भारतीय उपयोग हेतु (जनवरी 2021) पेश किया गया था। इसमें उल्लिखित हैं:

- ❖ विभाग के साथ लाइसेंसधारियों का सीधा ऑनलाइन इंटरफेस।
- ❖ समायोजित सकल राजस्व विवरण, कटौती दावे, बैंक गारंटी, अभ्यावेदन, कटौती सत्यापन / मूल्यांकन रिपोर्ट / मांग नोटिस आदि सहित सभी अनुपालन संबंधी दस्तावेजों की ऑनलाइन फाइलिंग और दस्तावेज संग्रह।

- ❖ ऑनलाइन कटौती दावों की प्रस्तुति और सत्यापन तथा लाइसेंसधारी के साथ संचार, लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच और सत्यापन, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का आकलन और मांग नोटिस का डिजिटलीकरण।
- ❖ भारतकोश के साथ एकीकरण तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा निष्पादित सभी गतिविधियों का लेखापरीक्षा ट्रेल।

संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए) के विभिन्न कार्यालयों में हमने जो निम्नलिखित निष्कर्ष देखें, वे सरस के उपयोग में कमियों को दर्शाते हैं:

- i. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा सरस में दिखाए गए भुगतान और सी सी ए पंजाब के भुगतान पोर्टल में दर्ज भुगतान में ₹75.98 लाख का अंतर। कलेक्शन रजिस्टर और भारतकोश पोर्टल (₹38.17 करोड़) के बीच भुगतान विवरण में भी इसी तरह का अंतर - सी सी ए झारखंड।
- ii. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्पेक्ट्रम होल्डिंग के असंगत डेटा और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क दरों का अद्यतन न करना - गुजरात, केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सी सी ए (नीचे पैरा 4.1.4.3बी (2) में आगे चर्चा की गई है)। सी सी ए केरल ने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना पर विभिन्न दरों के आवेदन के लिए सरस सॉफ्टवेयर को जिम्मेदार ठहराया।
- iii. बैंक गारंटी मॉड्यूल के अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियों का कार्यान्वयन न होना - सी सी ए चेन्नई।

मंत्रालय ने (मार्च 2024) सरस और ई - लेखा के बीच अंतर के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराया। आगे बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एस यू सी मूल्यांकन केवल सरस के माध्यम से किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्पेक्ट्रम होल्डिंग और एस यू सी दरों को ठीक कर दिया गया है। बैंक गारंटी मॉड्यूल भी लागू किया गया है (फरवरी 2024) और डेटा को अपडेट करने के लिए सी सी ए कार्यालयों / सी जी सी ए कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

सरस पोर्टल को सरकारी वेबसाइट / पोर्टल / वेब एप्लीकेशन के विकास और होस्टिंग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय सरकारी वेबसाइट (जी जी आई डब्ल्यू)⁴⁶ के लिए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक था। सरस वेबसाइट के लिए जी जी आई डब्ल्यू प्रमाणन जनवरी 2024 में ही प्राप्त

⁴⁶ जी जी आई डब्ल्यू को भारत सरकार की वेबसाइटों को यू यू यू त्रयी अर्थात्, प्रयोग करने योग्य, उपयोगकर्ता-केंद्रित और सार्वभौमिक रूप से सुलभ की आवश्यक शर्तों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। वे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक संगठन, एस टी क्यू सी) मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन (से वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने का आधार भी बनाते हैं।

किया गया था। इस प्रकार, सरस पोर्टल को जनवरी 2024 तक जी जी आई डब्ल्यू के अनुसार सुरक्षा ऑडिट और प्रमाणन का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना प्रयोग किया गया था।

हमने निष्कर्ष निकाला कि अपर्याप्त योजना के कारण सरस के कार्यान्वयन में देरी हुई। पोर्टल जनवरी 2021 में लाइव हुआ जबकि बैंक गारंटी मॉड्यूल जैसे मॉड्यूल 2024 में लागू किए गए।

सिफारिश:

दूरसंचार विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेशों और निर्देशों में अस्पष्टता न हो तथा जहां भी ऐसा हो, उसका समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।

4.1.4.3 राजस्व हिस्सेदारी का कम मूल्यांकन

लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए 282 मूल्यांकनों में से 26 मूल्यांकनों में कम मूल्यांकन के मामले पाए गए, जो समीक्षा किए गए मूल्यांकनों का 9.23 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा में पाया गया कम मूल्यांकन ₹151.22 करोड़ था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 4.2 में दिखाया गया है। इनमें से अधिकांश निष्कर्ष स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के मूल्यांकन से संबंधित थे। इसके अलावा, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से ₹2312.45 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई।

तालिका 4.2: एल एफ एवं एस यू सी के कम मूल्यांकन का विवरण

क्र.सं.	कम मूल्यांकन के कारण	धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	दूरसंचार विभाग के निर्देशों में अस्पष्टता	10.64
2.	आदेशों और दरों का गलत अनुप्रयोग	100.12
3.	चूक की त्रुटि, अंकगणितीय त्रुटियाँ और अनुचित लेखांकन	40.46
4.	बकाया राशि की वसूली न होना	2,312.45
कुल योग		2,463.67

इन पर आगामी पैराग्राफों में विस्तार से चर्चा की गई है।

4.1.4.3 क दूरसंचार विभाग के निर्देशों में अस्पष्टता

4.1.4.3 क (1) वोडाफोन इंडिया लिमिटेड द्वारा माइक्रोवेव बैकहॉल वाहकों⁴⁷ का उपयोग

दूरसंचार विभाग ने माइक्रोवेव एक्सेस और बैकबोन (एम डब्ल्यू ए/एम डब्ल्यू बी) नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की दरें संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहकों

⁴⁷ माइक्रोवेव (एम डब्ल्यू) बैकहॉल स्पेक्ट्रम में दो प्रकार के एम डब्ल्यू वाहक होते हैं, अर्थात् माइक्रोवेव एक्सेस (एम डब्ल्यू ए) वाहक और माइक्रोवेव बैकबोन (एम डब्ल्यू बी) वाहक। एम डब्ल्यू ए वाहकों का उपयोग मोबाइल बैकहॉल नेटवर्क में किया जाता है और उन्हें अपेक्षाकृत कम दूरी के माध्यम से ट्रैफिक ले जाने के लिए शॉर्ट हॉल सिस्टम के लिए नियुक्त किया जाता है। एम डब्ल्यू बी वाहक आम तौर पर 10 गीगाहर्ट्ज से कम होते हैं और उन्हें 15 किलोमीटर की लिक लंबाई और पहाड़ी इलाकों में लंबे लिक के लिए नियुक्त किया जाता है।

के आधार पर समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्धारित कीं (नवंबर 2006 और नवंबर 2008)। हालाँकि, ये दरें केवल 11 वाहकों तक ही तय की गई थीं।

हमने पाया कि अगस्त 2018 में वोडाफोन इंडिया, जिसके पास सात एम डब्ल्यू ए कैरियर हैं, का विलय टी एस पी आइडिया सेल्युलर के साथ हो गया, जिसके पास आठ एम डब्ल्यू ए कैरियर हैं। इस तरह कंपनी के पास कुल 15 कैरियर रह गए। 11वें कैरियर से आगे के कैरियर के लिए एम डब्ल्यू ए दरों के अभाव में, दिल्ली में संचार लेखा नियंत्रक ने 2018-19 की तीसरी तिमाही के दौरान 11वें कैरियर के लिए दर लागू करते हुए मूल्यांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹10.64 करोड़ का स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क कम लगाया गया, जैसा कि अनुलग्नक 4.1 में दिया गया है।

मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2024) कि दूरसंचार विभाग ने जुलाई 2023 में जारी पत्र के माध्यम से मेसर्स वी आई एल द्वारा कैरियर सरेन्डर करने को पूर्वव्यापी रूप से रिकॉर्ड में ले लिया है, जो दिसंबर 2018 से प्रभावी है, जिससे टी एस पी को देयताओं से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया गया है। सी सी ए दिल्ली द्वारा संशोधित मांग उठाई गई है (मार्च 2024)। हालाँकि, अंतिम समायोजन का इंतजार किया जा रहा था।

4.1.4.3 ख आदेशों और दरों का गलत अनुप्रयोग

4.1.4.3 ख (1) भारती एयरटेल- न्यूनतम राशि का गलत अनुप्रयोग

सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए, दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए न्यूनतम राशि⁴⁸ की अवधारणा शुरू की (2016), जिसकी गणना किसी ऑपरेटर को (असाइनमेंट के सभी तरीकों के तहत) उसके सभी एक्सेस स्पेक्ट्रम बैंडों में सौंपे गए सभी स्पेक्ट्रम के भारत औसत⁴⁹ के आधार पर की जाएगी।

हमने पाया कि केरल के संचार लेखा नियंत्रक ने भारती एयरटेल लिमिटेड का मूल्यांकन करते समय वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम राशि पर विचार किया था।

इसने 2018-19 के लिए भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का आकलन ₹19.09 करोड़ किया, जबकि ₹25.57 करोड़ की न्यूनतम राशि पर विचार नहीं किया, इस आधार पर कि मामला टी डी सैट में लंबित है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की राशि ₹6.48 करोड़ कम आंकी गई।

⁴⁸ फ्लोर अमाउंट स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की वह न्यूनतम राशि है जिसका भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जाना है। इसकी गणना 2015-16 के वार्षिक एजीआर की तुलना 2016-17 से शुरू होने वाले आकलन वर्षों के वार्षिक एजीआर से करके की जाती है।

⁴⁹ भारत औसत, 08 अगस्त 2016 के एन आई ए संख्या 1000/06/2016-डब्ल्यू एफ (नीलामी) के अनुसरण में नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखने के बाद प्राप्त किया गया है और इसमें 2015-16 से पहले प्राप्त/आवंटित 2300 मेगाहर्ट्ज/2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम शामिल नहीं है।

मंत्रालय ने (मार्च 2024) उत्तर दिया कि न्यूनतम राशि पर विचार करते हुए संशोधित पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा दूरसंचार सेवा प्रदाता को संशोधित मांग नोटिस जारी किया गया है। अंतिम समायोजन प्रतीक्षित है।

4.1.4.3 ख (2) स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए दरों का गलत अनुप्रयोग

दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की भारत औसत दरें वायरलाइन सेवाओं से प्राप्त राजस्व को छोड़कर समायोजित सकल राजस्व के न्यूनतम तीन प्रतिशत तक होंगी। इस प्रकार सभी स्पेक्ट्रम बैंड में स्पेक्ट्रम एक्सेस के लिए न्यूनतम भारत औसत दर तीन प्रतिशत थी और अन्य ऑपरेटरों के साथ साझा करने के बाद, यह 3.5 प्रतिशत होनी चाहिए।

तथापि, सभी संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए) कार्यालयों ने इन निर्देशों को समान रूप से लागू नहीं किया, जिसके कारण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा देय स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का कम मूल्यांकन हुआ, जैसा कि तालिका 4.3 और अनुलग्नक 4.2 (क) और (ख) में दिया गया है।

तालिका 4.3: एस यू सी के संक्षिप्त मूल्यांकन का विवरण

दूरसंचार सेवा प्रदाता	सी सी ए	वर्ष	लेखापरीक्षा के अनुसार लागू दर	सी सी ए द्वारा लागू दर	अंतर (₹ करोड़ में)
भारती एयरटेल लिमिटेड / भारती हेक्साकॉम लिमिटेड	सी सी ए हरियाणा और सी सी ए केरल	2018-19	यदि भारत औसत दर 3 प्रतिशत से कम है, तो पहले भारत औसत दर को 3 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा तथा फिर अन्य ऑपरेटरों के साथ बैंडविड्थ साझा करने के मामले में संपूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।	हरियाणा सी सी ए: भारत औसत की गणना सम्पूर्ण बैंडविड्थ होल्डिंग के बजाय केवल साझा बैंडविड्थ पर 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर की गई। केरल सी सी ए: भारत औसत को 3 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया गया तथा तत्पश्चात् सम्पूर्ण बैंडविड्थ होल्डिंग पर इसे 0.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।	1.12
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	सात सी सी ए ⁵⁰	2016-17 की तीसरी एवं चौथी तिमाही से 2019-20		रिलायंस जियो: भारत औसत को 3 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया गया तथा फिर सम्पूर्ण बैंडविड्थ होल्डिंग पर इसे 0.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।	86.23

⁵⁰ बिहार, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, ओडिशा और मुंबई।

जबकि सी सी ए केरल ने इस कमी के लिए सरस सॉफ्टवेयर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस मुद्दे को कई बार दूरसंचार विभाग और संचार लेखा महानियंत्रक के समक्ष उठाया गया, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। प्रधान सी सी ए मुंबई ने भी इस बात को दोहराया।

मंत्रालय ने जवाब दिया (अप्रैल 2023) कि अक्टूबर 2022 के दौरान एक ज्ञापन जारी किया गया था जिसे मेसर्स आर जे आई एल द्वारा चुनौती दी गई थी (जनवरी 2023) जिसके बाद टी डी सैट ने आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी।

मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2024) कि दूरसंचार विभाग ने विशिष्ट बैंड पर 0.5 प्रतिशत लागू करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं (फरवरी 2024) जिसे मेसर्स आर जे आई एल के लिए साझा किया जा रहा है और, उन टी एस पी के लिए समग्र भारत औसत दर (डब्ल्यू ए आर) पर 0.5 प्रतिशत जो टी डी सैट मामले में पार्टी नहीं है। समग्र डब्ल्यू ए आर पर 0.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त एस यू सी के आवेदन के बाद निर्धारित राशि और विशिष्ट बैंड पर 0.5 प्रतिशत की दर से एस यू सी के बीच के अंतर को माननीय टी डी सैट में मामले के परिणाम के अधीन मुकदमे के तहत राशि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। फरवरी 2024 में मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप, मेसर्स आर जे आई एल के मामले में कम मूल्यांकन की गई ₹86.23 करोड़ की पूरी राशि मुकदमेबाजी में चली गई।

इस प्रकार, सी सी ए द्वारा दरों के अनुप्रयोग के संबंध में विसंगति, दिशानिर्देश जारी होने के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी बनी रही, जिसके परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का कम मूल्यांकन हुआ और मुकदमेबाजी जारी रही।

4.1.4.3 ख (3) दरों का गलत अनुप्रयोग

(i) हमने पाया कि महाराष्ट्र में संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय ने 2019-20 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा रखे गए माइक्रोवेव कैरियर्स पर गलत दरें लागू की थीं। सी सी ए कार्यालय ने एजीआर के 0.55 प्रतिशत के बजाय 0.35 प्रतिशत की दर लागू की, जिसके परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का ₹2.93 करोड़ कम मूल्यांकन हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक 4.3** में दिखाया गया है।

मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2024) कि मूल्यांकन संशोधित कर दिया गया है और दूरसंचार सेवा प्रदाता को फरवरी 2024 में संशोधित मांग नोटिस जारी कर दिया गया है।

(ii) दूरसंचार विभाग ने निर्धारित किया (अगस्त 2016) कि 2010 में 2100 मेगाहर्ट्ज में आवंटित स्पेक्ट्रम के लिए, जिन लाइसेंसधारियों का लाइसेंस समाप्त हो गया है, उनके लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की दर समायोजित सकल राजस्व का पांच प्रतिशत होगी, जो इस मुद्दे पर अदालती मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

हमने पाया कि पूर्वोत्तर-1 में संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (बी एच एल) के मामले में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान पांच प्रतिशत के बजाय चार प्रतिशत की एस यू सी दर लागू की। इसके परिणामस्वरूप भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के मामले में ₹1.07 करोड़ की राशि के स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का कम मूल्यांकन हुआ, जैसा कि अनुलग्नक 4.4 के विवरण में बताया गया है।

मंत्रालय ने जवाब दिया (मार्च 2024) कि पूर्वोत्तर-1 सर्कल ने बी एच एल के लिए मांग नोट संशोधित कर दिया है। दूरसंचार सेवा प्रदाता से वसूले जाने योग्य बकाया राशि का अंतिम समायोजन प्रतीक्षित है।

4.1.4.3 ख (4) स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की भारत औसत दर की गलत गणना

2021-2022 के दौरान, बी एस एन एल केरल सर्कल ने 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 1.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम सरेंडर किया। इसलिए, पूरे वर्ष के दौरान इसकी स्पेक्ट्रम होल्डिंग एक समान नहीं थी। इसके कारण, वर्ष 2021-22 के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भारत औसत चार तिमाहियों के भारत औसत के रूप में प्राप्त किया जाना था। हमने देखा (फरवरी 2023) कि केरल में संचार लेखा नियंत्रक ने 2021-22 के लिए मुख्य स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की न्यूनतम राशि की गणना के लिए 4.92 प्रतिशत (अनुलग्नक 4.5) के बजाय 4.43 प्रतिशत लेते हुए एक तिमाही (जून 2021 (पहली तिमाही)) के लिए भारत औसत दर की गलत गणना की, जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 के लिए का ₹2.29 करोड़ की बकाया राशि का कम मूल्यांकन हुआ। मंत्रालय ने कहा कि (मार्च 2024) सी सी ए केरल ने बी एस एन एल केरल सर्कल को मार्च 2023 में एक संशोधित कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी किया था।

4.1.4.3 ग चूक की त्रुटियाँ, अंकगणितीय त्रुटियाँ और अनुचित लेखांकन

4.1.4.3 ग (1) विनिमय दर लाभ की गैर मान्यता

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (पैरा संख्या 123) (अक्टूबर 2019) में लाइसेंस समझौते के अनुसार सकल राजस्व का हिस्सा बनने वाले विभिन्न घटकों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जब हानि को व्यय के रूप में दावा किया जा सकता है, तो विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव के कारण लाभ या प्राप्ति को भी सकल प्राप्ति, जो कि सकल राजस्व है, में शामिल किया जाना चाहिए।

भारती एयरटेल लिमिटेड और बी एच एल ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्ष 2018-19 के दौरान शुद्ध विनिमय लाभ के रूप में क्रमशः ₹9.40 करोड़ और ₹3.20 करोड़ का खुलासा किया था। हमने देखा कि प्रकटीकरण के बावजूद, दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए समायोजित सकल राजस्व के आकलन के समय विदेशी मुद्रा लाभ को वापस नहीं जोड़ा, जिसके

परिणामस्वरूप ₹0.38 करोड़⁵¹ के स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क सहित ₹1.39 करोड़ की राजस्व हिस्सेदारी कम हुई। मंत्रालय ने (मार्च 2024) जवाब दिया कि बी ए एल और बी एच एल को नए सिरे से मांग सूचना-पत्र जारी किए गए हैं। इन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से वसूल किए जाने वाले बकाए का अंतिम समायोजन प्रतीक्षित था।

4.1.4.3 ग (2) समायोजित सकल राजस्व की गणना करते समय त्रुटि

दूरसंचार विभाग की निर्धारित (नवंबर 2014) प्रक्रिया के तहत, समायोजित सकल राजस्व की गणना करते समय, वायरलाइन सेवाओं से प्राप्त राजस्व पर विचार नहीं किया जाएगा। विविध आय, दूरसंचार विभाग (एल एफ ए प्रभाग) द्वारा वापस जोड़ी गई राशि और दावा की गई कटौतियों को समायोजित सकल राजस्व विवरण में रिपोर्ट की गई वायरलेस और वायरलाइन सेवाओं के राजस्व के आधार पर विभाजित किया जाना आवश्यक है।

हमने देखा (अक्टूबर 2022) कि, संचार लेखा नियंत्रक लखनऊ ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (2018-19 और 2020-21) और भारती एयरटेल लिमिटेड (2019-20 और 2020-21) के लिए समायोजित सकल राजस्व की गणना करते समय त्रुटियां कीं, जिसके परिणामस्वरूप एक्सेस और माइक्रोवेव बैंकहॉल स्पेक्ट्रम के लिए ₹39.07 करोड़ (अनुलग्नक 4.6) की सीमा तक स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की कम मांग हुई।

मंत्रालय ने (मार्च 2024) बताया कि यू पी पूर्व सर्कल ने लेखापरीक्षा के कहने पर वी आई एल (2018-19 और 2020-21) और बी ए एल (2019-20 और 2020-21) को संशोधित मूल्यांकन जारी किया है। इन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से वसूली जाने वाली बकाया राशि का अंतिम समायोजन प्रतीक्षित था।

4.1.4.3 ग (3) अनुचित लेखांकन

दिनांक 08 अक्टूबर, 2002 के दूरसंचार विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यदि बैंक गारंटी (बी जी) की आय प्राप्त होती है, तो इसे "प्रमुख शीर्ष 8447-00-101-1205 दूरसंचार जमा- ब्याज रहित- अन्य टेलीफोन जमा" के अंतर्गत जमा किया जाना चाहिए, जब तक कि इसका निपटान न हो जाए। इसके अलावा, दिनांक 21 नवंबर, 2005 के दूरसंचार विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि, यदि बैंक गारंटी (बी जी) को देय राशि की वसूली के लिए लागू किया गया है, जो तिमाही अवैतनिक राशि से संबंधित है, या वार्षिक लाइसेंस शुल्क मूल्यांकन के अनुसार विभाग द्वारा जारी की गई मांग है, तो आय का समतुल्य हिस्सा संबंधित राजस्व शीर्षों में और शेष राशि "सुरक्षा जमा" में जमा की जाएगी। इसके बाद, जब सुरक्षा शीर्ष में पड़ी राशि को बकाया राशि में समायोजित किया जाता है, तो उचित जर्नल प्रविष्टियाँ पास करनी होती हैं।

⁵¹ न्यूनतम 3 प्रतिशत की दर से

हमने पाया कि संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए) के आठ कार्यालयों⁵² ने नवंबर 2019 और जुलाई 2022 के बीच वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की ₹309.77 करोड़ की बैंक गारंटी भुनाई थी। जुलाई 2022 में, एल एफ ए प्रभाग ने तिमाही बकाया के भुगतान के प्रति उपरोक्त बैंक गारंटी के समायोजन की अनुमति दी। हमने पाया कि समायोजित बैंक गारंटी की पूरी राशि संबंधित राजस्व शीर्षों के बजाय दूरसंचार जमा शीर्ष के अंतर्गत पड़ी थी। बकाया राशि के प्रति समायोजित राशि को भारत के समेकित निधि में जमा करने की आवश्यकता है क्योंकि लेखांकन उपचार में देरी से राजस्व प्राप्तियों को कम करके दिखाया गया है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2023) कि संबंधित सी सी ए से अनुपालन प्राप्त हो गया है और राशि संबंधित राजस्व शीर्षों में स्थानांतरित कर दी गई है (जनवरी 2023 से जून 2023)।

4.1.4.3 घ बकाया राशि की वसूली न होना

हमने पाया कि भारती एयरटेल लिमिटेड के एक मामले में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज (ओ टी एस सी) नहीं लगाया गया था। एम टी एन एल के मामले में 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए राजस्व की कम रिपोर्टिंग को दूरसंचार विभाग द्वारा वापस नहीं जोड़ा गया था, जबकि बी एस एन एल के मामले में इसे संशोधित आकलन में दूरसंचार विभाग द्वारा वापस जोड़ दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2,312.45 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाई, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

i. भारती एयरटेल लिमिटेड

एक्सेस स्पेक्ट्रम⁵³ के बंटवारे पर दिशा-निर्देश एक ही बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले दो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति देते हैं। दिशा-निर्देशों के पैरा 12 में कहा गया है कि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क वसूलने के उद्देश्य से, यह माना जाएगा कि लाइसेंसधारी पूरे लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में विशेष बैंड में अपने पूरे स्पेक्ट्रम को साझा कर रहे हैं। इसके अलावा, दिशा-निर्देशों के पैरा 8 (iii) में कहा गया है कि साझा करने के मामले में जहां एक लाइसेंसधारी के पास नीलामी/व्यापार या उदारीकृत स्पेक्ट्रम के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम है और दूसरे के पास प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम है, प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम के उदारीकरण के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करने के बाद ही साझा करने की अनुमति है।

हमने पाया कि भारती एयरटेल लिमिटेड के पास मुंबई एल एस ए में 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में 9.2 मेगाहर्ट्ज प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम और 2014 में नीलामी के जरिए हासिल छह मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। इसने 23 मई 2018 से टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के साथ पांच

⁵² आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कोलकाता, पंजाब, पूर्वोत्तर-1 और उत्तर प्रदेश (पूर्व)

⁵³ एक्सेस स्पेक्ट्रम में 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम शामिल हैं, जो वर्तमान में 2जी/3जी/4जी दूरसंचार सेवाओं की तैनाती के लिए उपयोग में हैं।

मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम साझा किया। चूंकि भारती एयरटेल लिमिटेड ने टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के साथ स्पेक्ट्रम साझा किया था, इसलिए साझाकरण दिशानिर्देशों⁵⁴ के पैरा 8(iii) के अनुपालन में एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क (ओ टी एस सी) देय थे। लेकिन मुंबई के संचार लेखा नियंत्रक ने भारती एयरटेल लिमिटेड से ओ टी एस सी बकाया नहीं वसूला। इसके परिणामस्वरूप आरक्षित/नीलामी मूल्य के बराबर ओ टी एस सी की वसूली नहीं हुई, जो कि ₹1,058.38 करोड़ थी (अनुलग्नक 4.7)। मंत्रालय ने जवाब दिया (मार्च 2024) कि चूंकि साझाकरण की अवधि के दौरान उल्लंघन का कोई मामला उसके संज्ञान में नहीं लाया गया, इसलिए यह पता लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम को बी ए एल और टी टी एम एल के बीच साझा नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, बी ए एल ने प्रशासनिक स्पेक्ट्रम को बरकरार रखा क्योंकि यह साझाकरण का हिस्सा नहीं था और इसलिए स्पेक्ट्रम/ओ टी एस सी के प्रशासनिक रूप से आवंटित हिस्से के उदारीकरण का मामला नहीं उठ सकता है।

मंत्रालय के जवाब से हमने पाया कि मंत्रालय ने एक्सेस स्पेक्ट्रम को साझा करने के उद्देश्य से स्पेक्ट्रम होल्डिंग को प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम और नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम में विभाजित किया है। मंत्रालय द्वारा दिया गया तर्क साझाकरण दिशा-निर्देशों के पैरा 12 के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क वसूलने के उद्देश्य से, यह माना जाएगा कि लाइसेंसधारक पूरे लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में विशेष बैंड में अपनी संपूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग को साझा कर रहे हैं।

ii. बी एस एन एल और एम टी एन एल

बी एस एन एल के पुनरुद्धार और बी बी एन एल के बी एस एन एल में विलय और बी एस एन एल की वित्तीय बाधाओं पर विचार करते हुए उसे बजटीय सहायता देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने इस विषय पर बी एस एन एल द्वारा दूरसंचार विभाग को देय बकाया राशि का पता लगाने के लिए 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क / ब्याज / जुर्माना / जुर्माने पर ब्याज के लिए बी एस एन एल बकाया का पुनर्मूल्यांकन (2022-23) किया।

हमने विभिन्न राजस्व धाराओं के अंतर्गत ₹898.24 करोड़ के लाइसेंस शुल्क और ₹336.84 करोड़ के स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क से संबंधित कम रिपोर्टिंग की ओर ध्यान दिलाया, जो 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए कुल ₹11,228.03 करोड़⁵⁵ था (अनुलग्नक 4.8)। इसे दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान अंतिम रूप दिए गए बी एस एन एल के वर्ष 2014-15 से 2019-20 के संशोधित आकलन में शामिल किया गया था। हालाँकि, एम टी एन एल के मामले में, दूरसंचार विभाग ने

⁵⁴ ओटीएससी शुल्क की गणना प्रशासनिक स्पेक्ट्रम के आवंटन की तिथि, स्पेक्ट्रम साझा करने की तिथि, नवीनतम स्पेक्ट्रम नीलामी में एल एस ए में साझा स्पेक्ट्रम की कीमत तथा नवीनतम नीलामी की तिथि और साझा करने की तिथि के अनुसार एस बी आई प्राइम लेंडिंग दर को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आनुपातिक आधार पर की गई है।

⁵⁵ बी एस एन एल के लिए बकाया राशि की गणना दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए संशोधित मूल्यांकन के अनुसार की गई है, जिसमें लेखापरीक्षा टिप्पणियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बकाया को स्पष्ट करने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखा गया है।

2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए राजस्व की कम रिपोर्टिंग को वापस नहीं जोड़ा, जो कि ₹172.62⁵⁶ करोड़ थी, जिसमें पुनर्मूल्यांकन के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत ₹13.81 करोड़ का लाइसेंस शुल्क और ₹5.18 करोड़ का स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल था (अनुलग्नक 4.9)।

मंत्रालय ने जवाब दिया (अप्रैल 2023) कि बी एस एन एल के लाइसेंस शुल्क बकाया का निपटान इक्विटी निवेश द्वारा किया जाना है, जिसके लिए सभी मामले हल हो चुके हैं। एम टी एन एल के लिए मंत्रालय ने जवाब दिया (मार्च 2024) कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए एम टी एन एल का पुनर्मूल्यांकन पूरा हो चुका है और मांग नोटिस जारी किए गए हैं। हालाँकि, अंतिम समायोजन प्रतीक्षित था।

सिफारिश:

दूरसंचार विभाग को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के ऑनलाइन मूल्यांकन, संग्रहण और लेखांकन को सुव्यवस्थित करने के लिए डेटा को अद्यतन और समन्वयित करके राजस्व प्रबंधन प्रणाली (सरस) को मजबूत करना चाहिए।

4.1.5 निष्कर्ष

अक्टूबर 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने दूरसंचार मूल्यांकन में समायोजित सकल राजस्व मुद्दे पर स्पष्टता लाई। इसके बाद, कटौती और मूल्यांकन के सत्यापन सहित दूरसंचार विभाग के राजस्व प्रबंधन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सरस की शुरुआत की गई। हालाँकि, हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि देरी से मूल्यांकन करना आम बात है। हमने नमूना-जाँच किए गए मूल्यांकनों में से 9.23 प्रतिशत में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का कम मूल्यांकन भी पाया। हालाँकि मंत्रालय ने हमें कई मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बकाया राशि का अंतिम समायोजन अभी भी प्रतीक्षित था।

⁵⁶ एम टी एन एल के लिए बकाया राशि की गणना लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार की गई है।

खंड - ख


अध्याय	संचार मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
V	

5.1 बी एस एन एल द्वारा पैसिव बुनियादी ढांचे के साझाकरण में कम बिलिंग

बी एस एन एल ने पैसिव बुनियादी ढांचे के साझाकरण में अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के लिए मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को बिल नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1757.76 करोड़ का नुकसान हुआ।

बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय ने मई 2014 में मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल) (इंफ्रा शेयरिंग ऑपरेटर - आई एस ओ) के साथ देश के विभिन्न भागों में स्थित बी एस एन एल के पैसिव बुनियादी ढांचे को 15 वर्षों की अवधि के लिए साझा करने हेतु मास्टर सेवा करार (एम एस ए) किया। एम एस ए की अनुसूची 1 के अनुसार, छह मानक एंटीना को 6 रिमोट रेडियो हेड (आर आर एच) के साथ ग्राउंड बेस टॉवर (जी बी टी) और रूफ टॉप टॉवर (आर टी टी) पर लगाया जा सकता है और इसके लिए एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी टी एस) स्लॉट⁵⁷ प्रदान किया गया है।

चित्र 5.1 बेस ट्रांसीवर स्टेशन



एम एस ए की अनुसूची 3 के खंड 1.6, 2(ए) में आई एस ओ के लिए नई / अलग तकनीक या सेवा के अतिरिक्त बी टी एस के लिये प्रावधान किया गया, हालांकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि प्रचालक टावर पर अतिरिक्त बी टी एस रैंक और / या अतिरिक्त एंटेना स्थापित करता है, तो संबंधित 3 आर एफ एंटेना सहित नई / अलग तकनीक / सेवा

⁵⁷ बी टी एस स्लॉट का अर्थ टावर पर एक विशिष्ट स्थान है, जहां किसी विशेष बी टी एस से संबंधित सिग्नल प्रेषित/प्राप्त करने वाले एंटेना लगाए जा सकते हैं।

(3जी / वाइमैक्स आदि) के अतिरिक्त बी टी एस / टी ई के लिए अतिरिक्त स्थान हेतु प्रभार लिया जाएगा जो लागू कीमत का 70 प्रतिशत होगा। अनुसूची 3 के खंड 1.6 2(बी) में यह निर्धारित किया गया है कि “यदि ऑपरेटर जमीन / आश्रय / कमरे पर अतिरिक्त बी टी एस रैक स्थापित नहीं करता है और न ही कोई वायरलेस सेवा प्रदान करने के लिए टावर पर अतिरिक्त एंटीना लगाता है, तो ऑपरेटर से उसी स्थल से कोई नई वायरलेस सेवा (3 जी, सी डी एम ए, वाइमैक्स, आदि) शुरू करने की अनुमति देने के लिए या तो मौजूदा बी टी एस रैक / एंटेना को बदलकर या उसी / मौजूदा बी आई एस रैक / एंटेना में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़कर प्रति स्थल प्रति माह ₹24500 की एकमुश्त अतिरिक्त राशि ली जा सकती है”। इसलिए, एम एस ए के अनुसार, यदि आई एस ओ अतिरिक्त उपकरण स्थापित करके या मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करके नई / अलग तकनीक / सेवा प्रदान करता, तो दोनों पर अतिरिक्त प्रभार लगता। यदि टी एस पी द्वारा देय कोई शुल्क या कोई निर्विवाद भुगतान समयसीमा के अनुसार प्राप्त नहीं होता है तो करार का खंड 4 बी एस एन एल को अनुमति देता है कि वह चूक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की वसूली करे। विवाद समाधान पर एम एस ए के खंड 25 में यह प्रावधान है कि यदि बी एस एन एल और ऑपरेटर के बीच कोई विवाद सुलह / चर्चा शुरू होने की तारीख से 60 दिनों से अधिक समय तक अनसुलझा रहता है, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा।

मई 2014 से मार्च 2023 के बीच बी एस एन एल द्वारा आर जे आई एल के साथ साझा किए गए टावरों के डेटा की संवीक्षा और बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय के साथ सर्किलों के पत्राचार से पता चला कि आर जे आई एल ने 23 सर्किलों में बी एस एन एल के पैसिव बुनियादी ढांचे पर मोबाइल या फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड लिंक की पेशकश करने के लिए दो तकनीकों अर्थात् 4 जी - एफ डी डी एल टी ई और 4 जी टी डी डी एल टी ई का उपयोग किया। बी एस एन एल केरल सर्किल (अक्टूबर 2018) ने बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या एफ डी डी और टी डी डी को अलग-अलग तकनीकों के रूप में माना गया था और विभिन्न तकनीकों के उपयोग के लिए आर जे आई एल पर अतिरिक्त प्रभार की प्रयोज्यता होनी चाहिए थी। बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय ने स्पष्ट किया (जनवरी 2019) कि एफ डी डी और टी डी डी दो अलग-अलग तकनीकें थीं और उनमें से किसी एक के अतिरिक्त कार्यान्वयन को नई तकनीक माना जायेगा और एम एस ए अनुसूची 3 के खंड 1.6(ii) के अनुसार प्रभार लिया जाएगा (70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार)। कॉरपोरेट कार्यालय ने अनुपालन के लिए आर जे आई एल (फरवरी 2019) को भी इसकी जानकारी प्रदान की।

इस स्पष्टीकरण के आधार पर, चार सर्किलों⁵⁸ ने 70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार जोड़कर बीजक (मार्च से अगस्त 2019) जारी किए, लेकिन अगस्त 2019 के बाद, सर्किलों ने बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय के निर्देश पर अतिरिक्त प्रभार के लिए आर जे आई एल को बिल भेजना बंद कर दिया। हालांकि, आर

⁵⁸ केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु

जे आई एल ने यह कहते हुए बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया (अप्रैल-सितंबर 2019) कि एफ डी डी / टी डी डी एक ही तकनीक, अर्थात् एल टी ई के भीतर डुप्लेक्सिंग के दो मानक और वैकल्पिक ट्रांसमिशन मोड थे।

इस प्रकार आर जे आई एल के साथ मास्टर सेवा करार में टैरिफ खंड को लागू न करने के परिणामस्वरूप बिलिंग नहीं हुई और इसलिए मई 2014 से मार्च 2024 के बीच बी एस एन एल को ₹1757.76 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक 5.1** में दिया गया है।

बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि अगस्त 2020 में एक समिति गठित की गई थी। चूंकि मैसर्स आर जे आई एल ने भुगतान करने से इनकार कर दिया था इसलिए अतिरिक्त सेवाओं के लिए बनाए गए बीजक पर जी एस टी के भुगतान से बचने के लिए, सर्किलों को निर्देश दिया गया कि वे उक्त समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप देने तक एफ डी डी / टी डी डी को अलग तकनीक के रूप में बिल जारी करना बंद कर दें। समिति ने सिफारिश की (सितंबर 2023) कि एफ डी डी और टी डी डी को एक ही तकनीक नहीं माना जा सकता है, जिससे आर जे आई एल पर अतिरिक्त प्रभार लगेगा। इसने स्थलों पर वास्तविक लोडिंग की तारीख से प्रति स्थल / प्रति माह ₹5850/- की पैकेज दर की सिफारिश की और कहा कि बी एस एन एल स्थलों पर आर जे आई एल द्वारा एफ डी डी - एल टी ई और एल डी ई - एल टी ई के उपयोग से संबंधित अतिरिक्त प्रभार के लिए वॉल्यूम डिस्काउंट लागू नहीं था और अतिरिक्त लोडिंग के लिए वृद्धि खंड (शर्त) भी लगाई जाएगी। मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि आर जे आई एल ने संशोधित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। बी एस एन एल ने समिति की सिफारिशों के अनुसार मैसर्स आर जे आई एल को बीजक जारी करने के लिए सर्किलों को निर्देश जारी किए हैं। यदि इसके बाद भी आर जे आई एल भुगतान नहीं करता है, तो बी एस एन एल जटिल समस्या को हल करने और बकाया राशि वसूलने के लिए एम एस ए के भीतर उपलब्ध अन्य विकल्पों पर विचार करेगा।

इस प्रकार प्रबंधन ने एक अलग मौद्रिक प्रभाव के साथ लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया। हालांकि अतिरिक्त तकनीक के लिए संयुक्त दर के अनुसार भी, मार्च 2024 तक बिना बिल की गई राशि कम से कम ₹ 383.76 करोड़ है। हालांकि आर जे आई एल के साथ प्रभार दरों पर बातचीत करने के लिए एक समिति के गठन की आवश्यकता पेचीदा है। बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय ने जनवरी 2019 में स्वयं स्पष्ट किया था कि एफ डी डी और टी डी डी अलग-अलग तकनीक हैं और इसलिए अतिरिक्त दरों पर प्रभार्य हैं। इसके अतिरिक्त, बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय ने एम एस ए के अनुसार अपने वैध देयों की वसूली / बातचीत के लिए उपलब्ध मध्यस्थता विकल्प का उपयोग नहीं किया। यह भी उल्लेखनीय है कि अगस्त 2020 में गठित समिति ने अपनी सिफारिशों (अक्टूबर 2023) को अंतिम रूप देने में तीन वर्ष से अधिक का समय लिया और आर जे आई एल ने अभी तक संयुक्त

दरों को भी स्वीकार नहीं किया है। बी एस एन एल के चार सर्किलों⁵⁹ (23 सर्किलों में से) ने समिति द्वारा अनुशंसित दर पर बिल प्रस्तुत किए, जिन्हें आर जे आई एल ने अस्वीकार कर दिया।

इस प्रकार, आर जे आई एल के साथ एम एस ए को लागू करने में बी एस एन एल की ओर से विफलता के कारण बी एस एन एल के पैसिव बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के लिए शुल्क नहीं वसूला गया, जिसके परिणामस्वरूप मई 2014 से मार्च 2024 के बीच सरकारी खजाने में ₹1757.76 करोड़ के राजस्व और उस पर दंडात्मक ब्याज की हानि हुई।

5.2 बी एस एन एल में उच्च आकार के पी आई जे एफ केबलों का उपयोग न होने के कारण निष्फल व्यय

बी एस एन एल द्वारा ₹80.64 करोड़ की लागत वाले उच्च आकार के पी आई जे एफ भूमिगत केबलों का उपयोग न होने के कारण निष्फल व्यय

पॉलीथिलीन इंसुलेटेड जेली युक्त केबल (पी आई जे एफ केबल) उच्च मूल्य के उपकरण हैं जिनका उपयोग दूरसंचार में ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान करने के साथ-साथ उनके रखरखाव के लिए किया जाता है।

बी एस एन एल खरीद नियमावली (2014) दूरसंचार उपकरण और भंडार की खरीद के लिए दिशानिर्देश देता है। नियमावली का खंड 1.1.3 बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय में उच्च मूल्य वाले महत्वपूर्ण उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद का प्रावधान करता है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ भूमिगत पी आई जे एफ केबल भी शामिल हैं। नियमावली के खंड 2.2.2 के अनुसार, आवश्यकता का आकलन उसके उपलब्ध भंडार, पिछले खपत स्वरूप, औसत जीवन आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, नियमावली के अध्याय-18 के अनुसार, पूरी खरीद प्रक्रिया मांग प्राप्ति से लेकर क्रय आदेश (पी ओ) देने तक के 120 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। नियमावली का खंड 25 (क) बी एस एन एल को अनुबंध के समय इकाई कीमत या अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव किए बिना माल की मात्रा को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने या घटाने की अनुमति देता है। पुनः मांग की शर्तों के तहत अतिरिक्त खरीद बिना पूरी निविदा प्रक्रिया को दोहराए नहीं की गई थी।

नवम्बर 2015 में, बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सभी मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार (सी जी एम एस टी) से 400⁶⁰, 800 और 1200 पेयर (युग्म) के पी आई जे एफ केबल की आवश्यकताओं की मांग की।

⁵⁹ तमिलनाडु, असम, बिहार और हिमाचल प्रदेश

⁶⁰ विभिन्न युग्म के केबलों से दिए जा सकने वाले कनेक्शन की संख्या में भिन्नता निहित है। उदाहरण के तौर पर 400 पेयर का मतलब है कि इस केबल से अधिकतम 400 कनेक्शन दिए जा सकते हैं। इन उच्च आकार के केबलों का उपयोग विनिमय परिसर से प्राथमिक केबल के रूप में किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के दौरान बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय और उसके सर्किलों में 2016-17 के लिए पी आई जे एफ यू / जी केबल की खरीद पर अक्टूबर 2015 से नवंबर 2022 तक की अवधि के अभिलेख की जांच की। हमने पाया कि बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय और 25 सर्किलों⁶¹ (28 सर्किलों में से) ने इन केबलों के लिए पिछले उपयोग की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा या पुनः मांग के प्रावधान का लाभ नहीं उठाया। 2016-17 में खरीदी गई केबल की मात्रा 2012-15 के दौरान उपयोग की तुलना में लगभग 5.73 गुना थी, जिससे लगभग 59 प्रतिशत केबल बिना उपयोग के रह गईं। 2017-22 (पांच वर्ष) में वार्षिक उपयोग लगभग 108.50 किलोमीटर था जो 2012-15 में वार्षिक उपयोग से कम था। विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार हैं:

तालिका 5.1

केबल प्रकार (युग्म)	2016-17 के लिए सर्किलों द्वारा मांग	वार्षिक बिछाई गई औसत केबल (2012-13 से 31.10.2015)	बी एस एन एल सी ओ द्वारा निर्धारित की गई मात्रा	सर्किलों द्वारा जारी किए गए पी ओ	विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की गई केबल	केबल का उपयोग (नवंबर-2022)	बिना उपयोग के पड़ी हुई केबल (नवंबर-2022) (किमी/%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)
400	1,203.23	137.29	928.5	893.47	883.30	376.02	507.28/ 57.43 प्रतिशत
800	450.57	72.42	342.92	338.40	326.60	131.75	194.85/ 59.66 प्रतिशत
1200	124.66	19.17	111.37	102.07	102.17	34.75	67.42/ 66 प्रतिशत
कुल	1,778.46	228.88	1,382.79*	1,333.94	1,312.07	542.52	769.55/ 59 प्रतिशत

*बी एस एन एल द्वारा अंतिम रूप दी गई कुल मात्रा का 3.82 प्रतिशत (52.83 किमी) में अकवचित (अनआर्मर्ड) केबल भी शामिल है, जिसे पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत केबल खपत की गणना करते समय शामिल नहीं किया गया है (कॉलम 3)

अधिक खरीद की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि बी एस एन एल ने सर्किलों में बेकार पड़े उच्च आकार के पी आई जे एफ केबलों के लगभग 70 प्रतिशत की बिक्री / मुद्दीकरण के लिए मंजूरी दी थी (मई 2023)। बी एस एन एल के प्रबंधन ने फरवरी 2024 में बताया कि फरवरी 2024 में बी एस एन एल के 25 सर्किलों में ₹80.64 करोड़ मूल्य की 645.31 किलोमीटर केबल बिना उपयोग के पड़ी हुई थी।

⁶¹ अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर पूर्व II, यूपी (पूर्व), यूपी (पश्चिम), उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कोलकाता टेलीफोन और चेन्नई टेलीफोन।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि (मई 2023 और जनवरी 2024) वर्ष 2016-17 के लिए, सर्किलों ने योजनाबद्ध विकास गतिविधियों जैसे नई आवास परियोजनाओं के निर्माण, मेट्रो रेल परियोजनाओं, सड़क चौड़ीकरण और क्षतिग्रस्त केबलों के प्रतिस्थापन के आधार पर आवश्यकताएं प्रस्तुत की थीं। देश भर में 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए जून 2015 में राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया था। हालांकि, विभिन्न राज्य सरकारों की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में देरी के कारण केबलों के उपयोग में देरी हुई। इसने यह भी बताया कि सर्किलों ने कॉर्पोरेट कार्यालय के प्राधिकरण के आधार पर पी ओ दिये। प्रौद्योगिकी में भारी बदलाव, दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, विभिन्न बुनियादी ढांचा गतिविधियों में देरी, कोविड-19 महामारी, बी एस एन एल में नकदी की कमी के परिणामस्वरूप 2019 में कैपेक्स प्रतिबंध का पूर्वानुमान खरीद आदेश जारी करने के समय नहीं लगाया जा सका। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन (अप्रैल 2024) किया। विशेष रूप से, एफ टी टी एच सेवाओं की शुरुआत ने तांबे के तार के उपयोग को व्यर्थ कर दिया।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित कारण से स्वीकार्य नहीं है:

- स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की अवधि पांच साल (वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20) के लिए थी और नई आवासीय परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं आदि जैसी नियोजित विकास गतिविधियाँ दीर्घकालिक परियोजनाएँ थीं जिन्हें एक वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। बी एस एन एल वास्तविक उपयोग के अनुसार इन केबलों की चरणबद्ध खरीद का विकल्प चुन सकता था और अपने नियमावली के लिए पुनः मांग शर्त को लागू कर सकता था।
- बी एस एन एल के पास अपने नियमावली के अनुसार अनुबंध की इकाई कीमत में बदलाव किए बिना आवश्यकताओं की अनुसूची में 25 प्रतिशत तक की निर्दिष्ट मात्रा में वृद्धि / कमी करने का अवसर था, पी ओ जारी करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा गया।
- केबलों की आवश्यकता विशेष रूप से वर्ष 2016-17 के लिए थी। हालाँकि सर्किलों ने अपनी आवश्यकताएँ दिसंबर 2015 से जनवरी 2016 के दौरान रखीं, फिर भी खरीद आदेश मार्च 2016 से मई-2018 के दौरान ही दिए जा सके।
- तथ्य यह है कि दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन हो रहे थे, जिसमें एफ टी टी एच की शुरुआत भी शामिल थी, जिसकी जानकारी बी एस एन एल को खरीद से छह से सात वर्ष पहले थी, इसे थोक खरीदारी करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था।
- इसके अलावा, कोविड-19 महामारी, बी एस एन एल में नकदी की कमी आदि, 2018 के बाद की घटनायें थीं अर्थात् खरीद आदेश देने के बाद, जबकि केबल की लंबाई एक वर्ष (2016-17) के भीतर ही उपयोग के लिए अनुमानित थी।

परिणामस्वरूप, खरीद के आठ वर्ष बाद भी ₹80.64 करोड़ मूल्य की केबलें अप्रयुक्त हैं (फरवरी 2024 तक) और बी एस एन एल के पास 70 प्रतिशत अप्रयुक्त केबलों को बेचने का एकमात्र विकल्प बचा है। बी एस एन एल द्वारा अपने स्वयं के खरीद नियमावली के प्रावधानों के विचलन में दोषपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप उच्च आकार के पी आई जे एफ भूमिगत केबलों की अविवेकपूर्ण खरीद हुई, परिणामस्वरूप उच्च आकार के पी आई जे एफ भूमिगत केबलों की खरीद पर निष्फल व्यय हुआ।

5.3 बी एस एन एल द्वारा लाइसेंस शुल्क न काटने के कारण हानि

एफ टी टी एच सेवाओं के प्रावधान के लिए दूरसंचार के बुनियादी ढांचा प्रदाताओं को भुगतान किए गए राजस्व हिस्से से लाइसेंस शुल्क की कटौती नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹38.36 करोड़ का नुकसान हुआ।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) ने मार्च 2014 में राजस्व हिस्सेदारी आधारित फाइबर टू द होम (एफ टी टी एच) ओपन पॉलिसी तैयार की थी, जिसका उद्देश्य स्थानीय फ्रेंचाइजी / निवासी कल्याण संघ (आर डब्ल्यू ए) / टेलीकॉम बुनियादी ढांचा प्रोवाइडर्स (टी आई पी)⁶²/ केबल ऑपरेटरों के माध्यम से एफ टी टी एच चैनल साझेदार के रूप में आगामी आवासीय / व्यावसायिक परिसरों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना था। बी एस एन एल दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) द्वारा जारी आई एस पी लाइसेंस का उपयोग करके ये सेवाएं प्रदान कर सकता था। एफ टी टी एच व्यवसाय के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के कारण अर्जित राजस्व को चैनल साझेदारों के साथ साझा किया जाना था। नीति में कई संशोधनों (सितंबर 2018 में नवीनतम) के माध्यम से, एक नया राजस्व साझाकरण मॉडल (मॉडल IV) शुरू किया गया, जिसने राजस्व हिस्सेदारी अनुपात को अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा सभी सर्किलों में प्रसारित किए गए नमूना करार के खंड 10.6 में यह निर्धारित किया गया है कि चैनल साझेदारों को राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान लागू सांविधिक शुल्कों की कटौती के बाद किया जाएगा, जिसमें बी एस एन एल द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और / या दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान पर अर्जित राजस्व से समय-समय पर लागू कर शामिल हैं। तदनुसार, बी एस एन एल सर्किलों ने विभिन्न चैनल साझेदारों के साथ करार किए।

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) (अगस्त 2007) द्वारा जारी इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एफ टी टी एच के माध्यम से वायस के लिए लगाये गए निर्धारित मासिक शुल्क और उपयोग शुल्क से अर्जित राजस्व का छह प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस शुल्क लगाया जाना था। इस दर को संशोधित कर 01.04.2021 से आठ प्रतिशत कर दिया गया और केवल इंटरनेट सेवाओं अर्थात् इस मामले में एफ टी टी एच के माध्यम से ब्रॉडबैंड से प्राप्त राजस्व को भी लाइसेंस शुल्क की गणना में शामिल किया गया।

⁶² टी आई पी का अर्थ है "कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत निगमित एक कंपनी या स्वामित्व/साझेदारी फर्म, जिसका उद्देश्य मौजूदा केबल ऑपरेटरों, ओ एफ सी बिछाने, ब्रॉडबैंड प्रावधान और रखरखाव के लिए काम करने वाली फर्मों और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली अन्य फर्मों आदि सहित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना है।"

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बी एस एन एल ने 22 सर्किलों (28 सर्किलों में से) में करार में निर्धारित शर्तों के अनुसार टी आई पी को दिए जाने वाले राजस्व हिस्से से लाइसेंस शुल्क के हिस्से की कटौती नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए ₹ 38.36 करोड़ का नुकसान हुआ। विवरण **अनुलग्नक 5.2** के अनुसार है।

बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय ने स्वीकार किया (अगस्त 2023) कि करार के अनुसार 01.04.2021 से केवल इंटरनेट शुल्क पर राजस्व हिस्सेदारी से लाइसेंस शुल्क की कटौती की जानी थी। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से एक व्यावसायिक निर्णय के रूप में इसे एक वर्ष की अवधि अर्थात् 2021-22 तक स्थगित कर दिया गया था। बी एस एन एल ने पहले ही मार्च 2022 तक साझेदारों को राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान कर दिया था। छोटे साझेदारों से लाइसेंस शुल्क की वसूली के परिणामस्वरूप कुछ साझेदारों द्वारा व्यवसाय छोड़ा जा सकता था और कई मुकदमे और विवाद हो सकते थे। इसलिए, राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के माध्यम से एफ टी टी एच व्यवसाय की वृद्धि को सुरक्षित रखने के लिए संशोधित लाइसेंस शुल्क कार्यान्वयन तिथि 01.04.2021 के बजाय 01.04.2022 कर दी गई। 01.04.2022 से राजस्व हिस्सेदारी से लाइसेंस शुल्क की कटौती को लेकर भी साझेदारों की नाराजगी देखी गई है और उन्होंने इस लाइसेंस शुल्क को माफ करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने केवल प्रबंधन के जवाब का समर्थन किया।

प्रबंधन / मंत्रालय ने आंतरिक व्यापार निर्णय के आधार पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया, जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस कार्रवाई को उचित ठहराने के संबंध में रिकॉर्ड में कोई कारण उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, करारों में राजस्व हिस्सेदारी के अंतिम भुगतान से पहले सांविधिक बकाया राशि में कटौती की शर्त स्पष्ट रूप से रखी गई थी, जिसे सभी संबंधित हितधारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और स्वीकार किया गया था। यदि सांविधिक कटौती करने के बाद राजस्व साझा किया जाता तो टी आई पी से वसूली की स्थिति से बचा जा सकता था।

इस प्रकार, एफ टी टी एच के प्रावधान के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचा प्रदाताओं को भुगतान किए गए राजस्व हिस्से से 22 बी एस एन एल सर्किलों में लाइसेंस शुल्क में कटौती के परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के लिए ₹38.36 करोड़ का नुकसान हुआ।

5.4 बी एस एन एल द्वारा पैसिव बुनियादी ढांचा साझाकरण प्रभार की कम बिलिंग

बी एस एन एल सर्किलों द्वारा मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को बुनियादी ढांचे के साझाकरण प्रभार के लिए गलत बिलिंग के परिणामस्वरूप ₹29.00 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

मई 2014 में बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय ने देश के विभिन्न भागों (दिल्ली और मुंबई के मेट्रो सेवा क्षेत्रों को छोड़कर) में स्थित अपने पैसिव बुनियादी ढांचे को 15 वर्ष की अवधि के लिए साझा

करने हेतु बुनियादी ढांचा साझेदार, मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल) के साथ मास्टर सेवा करार (एम एस ए) में शामिल हुआ।

एम एस ए की अनुसूची-3 के खंड 1.1 (ए) में यह प्रावधान है कि बी एस एन एल आर जे आई एल के साथ साझा किए गए प्रत्येक ग्राउंड बेस्ड टावर (जी बी टी) के लिए ₹38,700/- और प्रत्येक रूफ टॉप टावर्स (आर टी टी) के लिए ₹24,900/- की आधार दर से मासिक प्रावधान प्रभार लेगा। एम एस ए की अनुसूची-3 के खंड 1.4.1 (बी) में यह प्रावधान है कि तय की गई दरें प्रारंभ तिथि से 10 वर्षों के लिए मान्य रहेंगी। आधार दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को 2.5 प्रतिशत तक संशोधित की जाएगी, जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान, पट्टे पर दी जाने वाली सभी साइटों के लिए, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वैध रहेगी। 2014-15 से 2023-24 तक वर्षवार आधार किराया वृद्धि चार्ट **अनुलग्नक 5.3** में दर्शाया गया है।

हमने पाया कि बी एस एन एल के 24 में से 14 सर्किलों ने वर्ष 2014 के बाद के वित्तीय वर्षों में पट्टे पर दिए गए नए बुनियादी ढांचे के साझा स्थलों पर आर जे आई एल पर लगाए गए बिलों में वृद्धि शर्त को लागू नहीं किया। इन सर्किलों ने जी बी टी के लिए ₹38,700 /- और आर टी टी और आर टी पी के लिए ₹24,900/- के मूल आधार किराए पर बिल जारी करना जारी रखा, जो कि पहले वर्ष के लिए लागू था। परिणामस्वरूप, 2015-16 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹44.87 करोड़ (जी एस टी सहित) की कम बिलिंग हुई, जैसा कि **अनुलग्नक 5.4** में विस्तृत है। लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर पांच सर्किलों⁶³ में ₹15.87 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिससे मार्च 2024 के अंत में ₹29.00 करोड़ बकाया रह गया।

हमने पाया कि टैरिफ में वार्षिक संशोधन पहले एक्सेल शीट में मैनुअल रूप से किया जाता, उसके बाद एस ए पी के माध्यम से बिल तैयार किए जाते। प्रत्येक मंडल के लिए प्रचलित अनुबंध मूल्य की गणना अलग-अलग की जा रही थी। इससे विभिन्न साइटों और विभिन्न सर्किलों के लिए प्रचलित दर के नियमावली आवेदन के कारण त्रुटि का जोखिम उत्पन्न हुआ। इसके अलावा बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय ने बिलिंग करते समय सर्किलों द्वारा एम एस ए के अनुपालन की प्रतिपरीक्षण की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया जाने पर, बी एस एन एल कॉरपोरेट कार्यालय ने हमें आश्वासन दिया (नवंबर 2023) कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से, सभी चौदह सर्किलों ने आर जे आई ओ इंफ्रा -साझा स्थलों को बढ़ी हुई आधार दर पर बिलिंग शुरू कर दी है। मंत्रालय ने यह भी उत्तर दिया (मार्च 2024) कि 13 सर्किलों में कम बिलिंग बकाया चालान जारी किए गए हैं।

⁶³ पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर-I, पूर्वोत्तर-II, पंजाब और महाराष्ट्र और गोवा

हमने देखा कि यद्यपि कम बिल राशि के लिए चालान जारी किए गए थे, लगभग 65 प्रतिशत बिलों की वसूली अभी भी बकाया थी।

इस प्रकार, कीमत में वार्षिक वृद्धि पर आर जे आई एल के साथ करार की शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप बी एस एन एल को 14 दूरसंचार सर्किलों के बुनियादी ढांचे के सांझेदारी के प्रभार के रूप में ₹29.00 करोड़ (जी एस टी सहित) के राजस्व का नुकसान हुआ। ₹15.87 करोड़ की विलंबित वसूली ने भी इस अवधि के दौरान बीएसएनएल की नकदी और तरलता स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

5.5 जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग न करने के कारण हानि

बी एस एन एल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर डक्ट हायरिंग प्रभार से संबंधित बिलों का सत्यापन और प्रसंस्करण नहीं किया। फलस्वरूप, उसे जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण ₹5.43 करोड़ का नुकसान हुआ।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) अधिनियम, 2017 (अधिनियम) की धारा 16(1) के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति, वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार है, जिसका उपयोग व्यवसाय में किया जाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में इसे क्रेडिट किया जाएगा। इस क्रेडिट का उपयोग अधिनियम की धारा 49(4) में निर्दिष्ट जी एस टी देयता के भुगतान के लिए किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 16(4) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा केवल वैधानिक अवधि के भीतर ही किया जा सकता है, (अर्थात् जिस वित्तीय वर्ष के लिए बीजक जारी किए गए थे, उसके अंत के बाद सितंबर⁶⁴ तक विवरणी प्रस्तुत करने या संबंधित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के बाद, जो भी पहले हो)। हालांकि जी एस टी नियम (2017) के नियम 37(4) के अनुसार धारा 16(4) में निर्दिष्ट समय सीमा किसी क्रेडिट के पुनलाभ के दावे पर लागू नहीं होगी, जिसे पहले वापिस (रिवर्स) कर दिया गया था। इस प्रकार, जब माल और सेवाओं की आवक आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का दावा करने वाला पंजीकृत करदाता 180 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को बीजक राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो वह लिया गया क्रेडिट वापिस (रिवर्स) कर सकता है और आपूर्तिकर्ता को भुगतान किए जाने के बाद आई टी सी का पुनः दावा कर सकता है।

बी एस एन एल और एम टी एन एल ने 24 सितंबर 2013 को एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत परस्पर सहमती से नियमों और शर्तों के आधार पर एक-दूसरे के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को साझा करने / लाभ उठाने के लिए पहले विकल्प के रूप में अखिल भारतीय आधार पर संबंधित ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी दर पर निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर

⁶⁴ वित्त अधिनियम 2022 के अनुसार, सितंबर की देय तिथि को संशोधित कर 30 नवंबर कर दिया गया है।

किया जाएगा। हालांकि एम ओ यू पांच वर्ष के लिए वैध था और इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था, लेकिन एम टी एन एल और बी एस एन एल दोनों ने इसकी शर्तों का पालन करना जारी रखा। डक्ट्स का साझाकरण ऐसी ही एक शर्त थी। तदनुसार, बी एस एन एल और एम टी एन एल अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले डक्ट्स का विवरण एकत्र करेंगे और संयुक्त सत्यापन के बाद तदनुसार भुगतान करेंगे।

आई टी सी का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय ने अपने सर्किलों को निर्देश जारी किए (सितंबर 2019) कि वे एस ए पी में आपूर्तिकर्ता बीजक की बुकिंग पर जी एस टी आर 3बी में आई टी सी का लाभ उठाने की आदत बनायें और साथ ही एस ए पी और जी एस टी आर 3बी दोनों में उसी महीने में देय शेष राशि के लिए उत्क्रमण (रिवर्सल) प्रविष्टि करें और जिस महीने में विक्रेताओं को वास्तव में भुगतान किया जाता है, उसी महीने में पहले से ही वापिस (रिवर्स) किए गए आई टी सी को पुनः प्राप्त करें।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, बी एस एन एल ने मुंबई में एम टी एन एल के 304.77 किलोमीटर लंबे मार्ग के डक्ट का इस्तेमाल किया, जिसका भुगतान ₹500/- प्रति मीटर प्रति वर्ष की दर से किया जाना था। एम टी एन एल मुंबई ने इस अवधि के लिए बी एस एन एल द्वारा इस्तेमाल किए गए डक्ट के लिए ₹48.63 करोड़ का बीजक जारी किया। जनवरी 2024 में, बी एस एन एल ने एम टी एन एल को ₹29.52 करोड़ का भुगतान किया (टी डी एस काटने के बाद) और निम्नलिखित विवरण के अनुसार जी एस टी में बेमेल के तहत ₹5.43 करोड़ को बरकरार रखा-

तालिका 5.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष जिसके लिए बीजक जारी किए गए	बीजक मूल्य (जी एस टी सहित)	संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक	सत्यापन के बाद देय (18% जी एस टी सहित)	बी एस एन एल द्वारा मंजूरी/प्रशासनिक अनुमोदन	बी एस एन एल द्वारा किया गया भुगतान (टी डी एस के बाद लेकिन जी एस टी को शामिल न करके)	जी एस टी क्रेडिट हानि
2018-19	16.21	28.01.2021	12.58	12.07.2021	10.32	1.90
2019-20	16.21	12.04.2022	11.78	26.05.2022	9.78	1.80
2020-21	16.21	02.08.2022	11.33	01.09.2022	9.42	1.73
कुल	48.63		35.69		29.52	5.43

हमने पाया कि बी एस एन एल (मुंबई) ने जी एस टी के नियम 37(4) के अनुसार सर्किलों द्वारा आई टी सी प्रविष्टियों को समय पर वापस करने के संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्देशों (सितंबर 2019) का पालन नहीं किया। इसलिए, यह 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए ₹5.43 करोड़ की राशि

के जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएगा क्योंकि धारा 16 (4) के तहत निर्धारित समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है।

प्रबंधन ने जवाब दिया (सितंबर 2022) कि डक्टस का सत्यापन एक आवश्यक गतिविधि थी। इस मामले में एम टी एन एल ने संयुक्त सत्यापन के बिना बीजक जारी करने में अनुचित जल्दबाजी दिखाई थी। महामारी, बी एस एन एल के कर्मचारियों की वी आर एस, निधि की कमी, वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट (डब्ल्यू टी पी) और वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन (डब्ल्यू टी आर) के ई आर पी का विलय और कार्यालयों का स्थानांतरण आदि जैसे कारणों से बीजक के सत्यापन और प्रसंस्करण में देरी हुई। मंत्रालय ने प्रबंधन के जवाब का समर्थन किया (अगस्त 2023) और कहा कि बी एस एन एल और एम टी एन एल के अपेक्षित विलय पर भी भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही थी, जिससे देरी हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बी एस एन एल जी एस टी अधिनियम के नियम 37(4) के अनुसार एम टी एन एल को भुगतान करने के बाद पहले वापिस किए गए क्रेडिट का पुनः लाभ उठा सकता था। साथ ही संयुक्त सत्यापन पूरा करने में एम टी एन एल के कारण हुई देरी के बारे में कोई विशिष्ट दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। बी एस एन एल के प्रबंधन ने स्वयं ही मई 2022 में अर्थात् जी एस टी अधिनियम लागू होने के लगभग पांच वर्ष बाद एम टी एन एल के साथ बीजक जारी करने और संयुक्त सत्यापन करने की समयसीमा के बारे में मामला उठाया।

इस तरह बी एस एन एल उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा और इसे वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जी एस टी आई टी सी के दावे न करने के कारण ₹5.43 करोड़ की नकद हानि हुई।

5.6 संविदागत बकाया की गैर - वसूली

ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट के प्रावधान के लिए करार की शर्तों का पालन न करने और करार के विवाद समाधान शर्त को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम से ₹4.80 करोड़ की बकाया राशि की प्राप्ति नहीं हुई।

बी एस एन एल ने कर्नाटक राज्य के ग्राम पंचायतों (जी पी) में तीन वर्ष के लिए वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले पी एस यू मैसर्स कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (केओनिक्स) के साथ एक करार (जून 2017) किया। करार के खंड 4.2(सी) के अनुसार मैसर्स किओनिक्स को थोक में उपयोगकर्ता योजना शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त विवाद समाधान पर करार के खंड 12.3 (क) और (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विवाद / विवादों का जिसे पार्टियों द्वारा बातचीत के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता है, कोई भी या दोनों पक्ष कर्नाटक के मध्यस्थता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

तदनुसार, मैसर्स केओनिक्स ने बी एस एन एल को (जून 2017) 500 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी के लिए ₹12.50 करोड़ (₹2,50,000 प्रति जी पी) की राशि का कार्य आदेश दिया। बी एस एन एल को जुलाई 2017 में 193 ग्राम पंचायतों के लिए 15 प्रतिशत सेवा कर के साथ 70 प्रतिशत तदर्थ भुगतान के लिए ₹3.98 करोड़ प्राप्त हुए, जिसके प्राप्त होने पर उसने परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। यह करार की शर्तों का उल्लंघन था, जिसमें 100 प्रतिशत भुगतान करने का उल्लेख किया गया था। बी एस एन एल ने जी एस टी सहित ₹14.75 करोड़ का अपना मांग पत्र जून 2018 में अर्थात् मैसर्स केओनिक्स द्वारा कार्य आदेश देने के एक वर्ष बाद प्रस्तुत किया। इस मांग पत्र के प्रति, उसे मैसर्स केओनिक्स से केवल ₹9.95 करोड़ प्राप्त हुए, तथा ₹4.80 करोड़ बकाया रह गया, जिसे अभी मैसर्स केओनिक्स (फरवरी 2024) से प्राप्त किया जाना था। इसके अलावा मैसर्स केओनिक्स ने करार को समय से पहले एकतरफा रद्द कर दिया।

हमने पाया कि बी एस एन एल ने करार की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पूर्ण अग्रिम प्राप्त किए बिना काम निष्पादित करना शुरू कर दिया, जिससे उसको राजस्व जोखिम का खतरा था। साथ ही करार के अनुसार, अनुबंध को केवल 30 दिनों का नोटिस देकर पार्टियों की आपसी लिखित सहमति से रद्द किया जा सकता था। मौजूदा मामले में, जब मैसर्स केओनिक्स ने करार को समय से पहले एकतरफा बंद कर दिया तो बी एस एन एल ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अंतिम भुगतान (दिसंबर 2018) की प्राप्ति से चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बी एस एन एल ने ₹4.80 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिए करार के विवाद समाधान खंड को लागू नहीं किया। यद्यपि कर्नाटक सर्कल सी पी एस ई के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (ए एम आर सी डी) के माध्यम से समाधान की संभावना की जांच कर रहा है, चूंकि समझौता पहले ही समाप्त (जून 2020) हो चुका है मैसर्स केओनिक्स से ₹4.80 करोड़ की शेष राशि की वसूली की संभावना बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, करार में बकाया राशि पर जुर्माने के रूप में ब्याज या मैसर्स केओनिक्स से विलंबित भुगतान के संबंध में कोई शर्त नहीं था। इसके कारण बी एस एन एल गैर-भुगतान / विलंबित भुगतान पर किसी भी जुर्माने के रूप में ब्याज का दावा नहीं कर सका और परिणामस्वरूप 01/01/2019 से 31/03/2024 की अवधि के लिए ₹2.31 करोड़ की ब्याज⁶⁵ राशि का नुकसान हुआ (जैसा कि अनुलग्नक 5.5 में विस्तृत है)।

बी एस एन एल कर्नाटक सर्कल ने पुष्टि की (जनवरी 2023) कि मैसर्स केओनिक्स ने शेष राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया था और अक्टूबर 2018 में करार को समय से पहले एकतरफा रद्द कर दिया था। मंत्रालय ने बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय (मार्च 2024) के उत्तर का समर्थन करते हुए कहा कि बी एस एन एल कर्नाटक सर्कल शेष राशि जिसके लिए दावा किया जाना है की वसूली के लिए ए एम आर सी डी के माध्यम से समाधान की संभावना की जांच कर रहा था। जिसके लिए दावा अभी भी मौजूद है।

⁶⁵ संचयी शेष पर 1/1/2019 से 31/3/2024 तक एस बी आई एम सी एल आर दर पर ब्याज की गणना की गई।

इस प्रकार, जैसा कि करार में निर्धारित किया गया था अग्रिम में पूर्ण भुगतान की प्राप्ति से पहले परियोजना पर काम शुरू करने और बी एस एन एल द्वारा करार के विवाद समाधान खंड 12 को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹4.80 करोड़ की वसूली नहीं हुई। इसके अलावा देनदारी की शर्त को शामिल न करने से ₹2.31 करोड़ के ब्याज का संभावित नुकसान हुआ।

5.7 खराब परियोजना प्रबंधन और ठेकेदारों को अनुचित लाभ के कारण राजस्व की हानि और निधि का अवरुद्ध होना

आई टी आई लिमिटेड द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ, समुचित प्रयास की कमी और नुकसानदेह भुगतान शर्तों को शामिल करने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹28.93 करोड़ की हानि हुई और ग्राहकों से राशि की वसूली न होने से ₹6.93 करोड़ का अवरोधन हो गया।

दूरसंचार विभाग के तहत दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई टी आई) लिमिटेड, विविध प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है और दूरसंचार क्षेत्र को सम्पूर्ण दूरसंचार समाधान और विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी अन्य व्यावसायिक सहयोगियों के साथ एक के बाद एक आधार पर अनुबंध / पी ओ भी निष्पादित करती है।

दिसंबर 2021 में आई टी आई की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी ने ग्राहक मैसर्स इंफोस्पार्क टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (इंफोस्पार्क) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई ई एस एल) के साथ अनुबंध किए, लेकिन अपने बैकएंड पार्टनर मैसर्स रीकैप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आर वी पी एल) के साथ समान भुगतान शर्तों के लिये एक के बाद एक अनुबंध नहीं किए। कंपनी ने साख पत्र (एल सी) के माध्यम से आर वी पी एल को भुगतान करने पर भी सहमति जताई। इस प्रकार, उचित प्रयास की कमी और नुकसानदेह भुगतान शर्तों को शामिल करने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹28.93 करोड़ की हानि हुई और दो मामलों में ₹6.93 करोड़ का अवरोधन हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

5.7.1 ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹21.62 करोड़ की हानि हुई:

मैसर्स केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (केलट्रॉन)⁶⁶ से मांग प्राप्त होने पर, एक निजी संस्था, इन्फोस्पार्क टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (इन्फोस्पार्क) ने एल ई डी स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज की आपूर्ति और उसे लगाने के लिए आई टी आई से संपर्क किया (फरवरी 2018)। इन्फोस्पार्क ने आई टी आई को ₹21.62 करोड़ की राशि के दो क्रय आदेश (पी ओ) दिए (फरवरी और मार्च 2018) जिसमें उसने मैसर्स रीकैप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आर वी पी एल) को स्रोत विक्रेता के रूप में निर्दिष्ट किया। आई टी आई ने शर्त पर सहमति जताई।

⁶⁶ स्मार्ट गवर्नेंस के लिए एल ई डी आधारित स्ट्रीट लाइट और केंद्रीकृत प्रकाश प्रबंधन प्रणाली समाधान "आलो अमर आलो" परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के बिदाननगर नगर निगम (बी एम सी) द्वारा केल्ट्रॉन का चयन किया गया था।

इन्फोस्पार्क के साथ पहले करार (फरवरी 2018) के अनुसार, इन्फोस्पार्क को काम पूरा होने पर मैसर्स केलट्रॉन से पैसे मिलने पर एक के बाद एक आधार पर आई टी आई का भुगतान करना था। करार से होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, इसे दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाना था।

आई टी आई ने पांच से सात सप्ताह की सुपुर्दगी योजना के साथ फरवरी और मार्च 2018 में ₹20.54 करोड़ (जी एस टी सहित) की कुल लागत पर आर वी पी एल को दो क्रय आदेश (अनुलग्नक 5.6 में तालिका 1 में क्रय आदेशों के विवरण के अनुसार) दिये। जबकि यह इन्फोस्पार्क से एक के बाद एक शर्तों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ (मैसर्स केलट्रॉन से एक प्राप्ति को दूसरी प्राप्ति से जोड़ना), यह आर वी पी एल को 180 दिनों की अवधि के साथ अंतर्देशीय साख-पत्र (एल सी) के माध्यम से भुगतान करने के लिए सहमत हुआ, इस प्रकार बाद में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति में विफलता पर भुगतान करने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध हुआ।

आर वी पी एल द्वारा मैसर्स आई टी आई पर ₹20.54 करोड़ की राशि के तीन बीजक (मार्च 2018) एल सी के माध्यम से भुनाए गए (सितंबर 2018 और जनवरी 2019)। बदले में मैसर्स आई टी आई ने इन्फोस्पार्क पर ₹21.62 करोड़ के चार बीजक (फरवरी और मार्च 2018) जारी किये (आर वी पी एल और आई टी आई द्वारा किये गये बीजक का विवरण अनुलग्नक 5.6 में तालिका 2 में दिया गया है)। हालांकि, बीजक जारी करने के छह साल बीत जाने के बाद भी, आई टी आई राशि की वसूली नहीं कर सका।

5.7.2 खराब परियोजना प्रबंधन और आर वी पी एल को अनुचित लाभ के कारण राजस्व की हानि और निधि का अवरुद्ध होना

मैसर्स आई टी आई लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई ई एस एल)⁶⁷ द्वारा आमंत्रित ई-निविदा में भाग लेने हेतु एक संघ भागीदार के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित की (सितंबर 2018)। यह निविदा आंध्र प्रदेश की ग्राम पंचायतों के 10 समूहों में स्थापित एलईडी स्ट्रीटलाइट्स के लिए प्रकाश नियंत्रण (केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली - सी सी एम एस) के प्रावधान के लिए थी।

आई टी आई लिमिटेड ने (सितंबर 2018) मैसर्स एसपावरजेड को संघ भागीदार के रूप में पहचान दी बदले में, मैसर्स एसपावरजेड ने (सितंबर 2018) आई टी आई से कहा कि अगर आई टी आई निविदा प्राप्त करता है तो वह मैसर्स एसपावरजेड के व्यवसाय / तकनीकी सहयोगी आर वी पी एल के माध्यम से अनुबंध को निष्पादित करें।

⁶⁷ विद्युत मंत्रालय के तहत चार सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन टी पी सी), पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी एफ सी एल), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी जी सी आई एल) का एक संयुक्त उद्यम

ई ई एस एल ने छह क्लस्टरों में 22,500 प्रकाश नियंत्रण (सी सी एम एस) की बनावट, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, चालू करना, परीक्षण और रखरखाव के लिए आई टी आई को (जनवरी 2019) ₹53.78 करोड़ (जी एस टी को छोड़कर) के अनुबंध मूल्य के लिए कार्य प्रदान पत्र (एल ओ ए) जारी किया। यह काम तीन चरणों में पूरा किया जाना था जैसे (i) आपूर्ति, (ii) स्थापना और चालू करना और (iii) 10 वर्षों के लिए ऑन-साइट वारंटी और रखरखाव। एल ओ ए के अनुसार, एल ओ ए जारी करने के तीन महीने के भीतर पूरी सामग्री का वितरण, स्थापना, परीक्षण करना और चालू किया जाना था (अप्रैल 2019 तक)। सी सी एम एस यूनिट की विफलता के मामले में, कंपनी से अपेक्षा की गई थी कि वह सूचना के 48 घंटे के भीतर इसे बदल दे, ऐसा न करने पर जुर्माना वसूला जाएगा, जो 10 प्रतिशत एल डी सीमा के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होगा। इसके अलावा, कंपनी को अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत के रूप में ई ई एस एल में अनुबंध निष्पादन गारंटी (सी पी जी) के रूप में देनी पड़ी।

मैसर्स आई टी आई ने फरवरी 2019 में मैसर्स आर वी पी एल (संघ साझेदार मैसर्स एसपॉवरजेड के व्यवसाय / तकनीकी सहयोगी) को 23 अप्रैल 2019 तक काम पूरा करने के लिए ₹50.55 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर एक के बाद एक आधार पर क्रय आदेश (पी ओ) दिया। हालांकि, क्रय आदेश दिए जाने के बाद मैसर्स आर वी पी एल ने (फरवरी 2019) एक के बाद एक आधार के बजाय साख-पत्र (एल सी) के प्रयोग से 90 दिनों की अवधि के लिये भुगतान शर्तों में संशोधन करने का अनुरोध किया और परियोजना के लिए ₹20 करोड़ से अधिक निधि देने और समय सीमा के भीतर पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई। आई टी आई ने अनुरोध पर सहमति जताई और इन शर्तों में संशोधन किया और क्रय आदेशों की यह शर्त हटा दी कि "कटौतियां और वसूली एक के बाद एक आधार पर होगी"।

आर वी पी एल ने जुलाई 2019 तक 22,500 इकाइयों की अनुबंधित मात्रा के प्रति केवल 17,500 सी सी एम एस की आपूर्ति की। आपूर्ति की गई इकाइयों में से, 3,300 इकाइयों की आपूर्ति मार्च 2019 तक निर्धारित समय के बाद की गई (अनुलग्नक 5.7 तालिका 1)। ई ई एस एल ने शेष 5,000 नंबरों को रोकने की सलाह दी क्योंकि वितरण का निर्धारित समय (मार्च 2019) पहले ही बीत चुका था। आई टी आई ने मार्च 2019 से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान एलसी के माध्यम से आर वी पी एल को ₹22.04 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

आई टी आई ने ई ई एस एल पर सीसीएमएस की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹24.98 करोड़ के बीजक जारी किये (अनुलग्नक 5.7 तालिका 2)। इसमें से ई ई एस एल ने केवल ₹18.05 करोड़ के बीजक का भुगतान किया और स्थापित इकाइयों (3,642 नंबर), गैर-स्थापित इकाइयों (4,841 नंबर) और खराब रखरखाव के मुद्दों के लिए दस्तावेजी सबूत की कमी के कारण ₹6.93 करोड़ रोक दिये गये। आई टी आई केवल ₹10.74 करोड़ वसूल कर सका, ₹7.31 करोड़ वसूल नहीं हो पाए, जबकि एल सी के अनुसार इसने आर वी पी एल को पहले ही ₹22.04 करोड़ का भुगतान कर दिया था।

हमने उपरोक्त दोनों मामलों में निम्नलिखित बातें देखी:

- क) मैसर्स आई टी आई ने सामग्री प्रबंधन पर अपने स्वयं के नियम पुस्तक और नियमों का पालन नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि सभी सामग्रियों की क्रय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर की जाएगी ताकि कंपनी के लिए सबसे अधिक लाभप्रद प्रतिस्पर्धी कीमत हासिल की जा सके। इसके अतिरिक्त नियम पुस्तक के नियम 3.2.4.9 (iii) में कहा गया है कि क्रय आदेश में आपूर्तिकर्ता का नाम बदला जा सकता है, यदि आपूर्तिकर्ता चाहे तो कंपनी अधिनियम, 2013 डीलर अधिकृत उनके अनुसार के और कंपनियों सहयोगी / आदेश द्वारा कंपनियों सहायक सकता जा किया निष्पादित, जिसका उल्लेख निविदा प्रस्तुत करते समय बोलीदाता द्वारा स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर वी पी एल एक व्यावसायिक/ तकनीकी सहयोगी है और मैसर्स एसपावरजेड की सहयोगी कंपनी / सहायक कंपनी नहीं है और मैसर्स एसपावरजेड द्वारा प्रस्तुत बोली में इसका कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, दोनों मामलों में अपनी स्वयं की नियम पुस्तक का उल्लंघन करते हुए, आई टी आई ने अपने नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना नामांकन के आधार पर सीधे आर वी पी एल को क्रय आदेश दे दिए तथा आर वी पी एल को आदेश देने से पहले समुचित जाँच-पड़ताल नहीं की।
- ख) दोनों मामलों में, आई टी आई लिमिटेड ने ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने से पहले बैक-एंड पार्टनर आर वी पी एल को पूरा भुगतान कर दिया। दोनों मामलों में, कंपनी ने ग्राहकों से एक के बाद एक आधार पर भुगतान प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, नामांकन के आधार पर विक्रेता का चयन करने और कंपनी की मजबूती के साथ-साथ समुचित सावधानी के बिना, यह आर वी पी एल को एल सी के माध्यम से अग्रिम भुगतान करने के लिए सहमत हो गया।
- ग) दूसरे मामले में, कंपनी अपने हितों की रक्षा करने में विफल रही और मैसर्स एसपावरजेड और मैसर्स आर वी पी एल के बीच संघ करार के खंड का उल्लेख किए बिना भुगतान शर्तों में बदलाव करके विक्रेता आर वी पी एल को अनुचित लाभ दिया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से सहमति हुई थी कि आर वी पी एल, कच्चे माल की क्रय से लेकर तैयार उत्पाद तक और सभी पूर्व-वितरण निरीक्षण मंजूरी प्राप्त करने के संदर्भ में परियोजना को निधि देना स्वीकार करेगा। इसके अलावा, कंपनी द्वारा आर वी पी एल से कोई सीपीजी प्राप्त नहीं किया गया था।
- घ) पहले मामले में, आई टी आई ने अनियमित रूप से एक करार किया और एक क्रय आदेश स्वीकार कर लिया जहां क्रय के स्रोत का पहले से ही उल्लेख किया गया था, जो स्वयं की नियम पुस्तक का उल्लंघन था। इसने इन्फोस्पार्क के साथ दूसरे क्रय आदेश के लिए और दूसरे मामले में ई ई एस एल के साथ करार नहीं किए, जिससे अपने बकाया की वसूली के लिए मध्यस्थता का मार्ग बंद हो गया।

पहले मामले में, प्रबंधन ने जवाब दिया (मार्च और अगस्त 2023) कि कंपनी ने उनको दिये गये क्रय आदेशों के प्रति आर वी पी एल के पक्ष में एल सी खोले और एल सी की अवधि पूर्ण होने के साथ, आर वी पी एल को भुगतान किया गया था, हालांकि केल्ट्रॉन से भुगतान नहीं हुआ था। कई अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, इन्फोस्पार्क ने देय बकाया के प्रति 30/10/2019 को ₹4 करोड़ का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। चेक बाउंस मामले के प्रति 26/2/2020 को अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायाधीश के बैंगलोर न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक मामला दायर किया गया और कई बार समन जारी किए गए, लेकिन पार्टी / आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया गया पता गलत होने के कारण इसे पहुँचाया नहीं जा सका। मंत्रालय ने प्रबंधन के जवाब का समर्थन किया।

दूसरे मामले में, प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि मैसर्स एसपावरजेड ने आर वी पी एल के साथ अपना करार प्रस्तुत किया, और कंपनी का आर वी पी एल के साथ एक समूह करार भी था। ओ एंड एम के संबंध में, यह उत्तर दिया गया कि आर वी पी एल कथित निधि की कमी के कारण ओ एंड एम के लिए क्षेत्र कर्मियों को भुगतान नहीं कर सकता था। मंत्रालय ने (फरवरी 2024) प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया जिसमें कहा गया कि आई टी आई ने अतीत में परियोजना को बहाल करने के प्रयास किए हैं। हालांकि, कोई भी विक्रेता मौजूदा सी सी एम एस उपकरण के लिए आगे नहीं आया, लेकिन चाहता था कि आई टी आई पूरी परियोजना के लिए नया ऑर्डर दे, जिसके परिणामस्वरूप आई टी आई को और अधिक वित्तीय नुकसान होता। अब मैसर्स आई टी आई ने परियोजना को बहाल करने के लिए ओ ई एम के साथ चर्चा शुरू कर दी है। एक बार परियोजना बहाल हो जाने पर आई टी आई ई ई एस एल के साथ कटौतियों तथा शेष कार्य के दायरे में सी पी जी की कटौती के लिए मामला भी उठाएगा।

उत्तर से लेखापरीक्षा में उठाये गये मुद्दों का समाधान नहीं मिलता है। पहले मामले में, इस परियोजना में संपूर्ण अनुबंध प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि मैसर्स आई टी आई ने अपने स्वयं के नियमों का पालन नहीं किया और ग्राहक इन्फोस्पार्क के साथ एक के बाद एक भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमत होने के बावजूद आर वी पी एल के साथ एक के बाद एक अनुबंध पर हस्ताक्षर न करके ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को नुकसान हुआ। इसके अलावा, कंपनी ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर भी जोर नहीं दिया और यहां तक कि ₹4 करोड़ के चेक बाउंस होने के मामले (अक्टूबर 2019) में भी आपराधिक मामला बहुत देरी से दर्ज किया गया (फरवरी 2020)। दूसरे मामले में, विक्रेता के पक्ष में एल सी खोलने के लिए भुगतान शर्तों को 'एक के बाद एक' आधार से संशोधित करना कंपनी के लिए वित्तीय हानि थी। इस प्रकार इसने एक परिहार्य जोखिम उठाया, जो अंततः सफल हुआ। इसके अलावा, परियोजना को फिर से शुरू करना और शेष स्थापना और ओ एंड एम कार्य को पूरा करना संदेहपूर्ण है क्योंकि कंपनी दो बार आर एफ पी जारी करने और चार साल की समाप्ति के बावजूद अप्रैल 2020 से किसी भी भागीदार को शामिल करने में विफल रही है। इसलिए, ई ई एस एल द्वारा सी पी जी का प्रतिदाय अनिश्चित लगता है।

इस प्रकार, कंपनी ने भागीदारों के चयन और परियोजना के क्रियान्वयन में विवेक नहीं दिखाया। कंपनी द्वारा अपनी नियम पुस्तक का पालन न करना, मैसर्स आई टी आई लिमिटेड द्वारा क्रय आदेशों में संशोधन करके भुगतान खंडों में कार्योत्तर संशोधन द्वारा विक्रेता मैसर्स आर वी पी एल को अनुचित लाभ पहुँचाना और सी पी जी एकत्र न करने, के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹28.03 करोड़ का नुकसान हुआ और ₹6.93 करोड़ अवरुद्ध हुए।

नई दिल्ली

दिनांक: 11 मार्च 2025


(पुरुषोत्तम तिवारी)


महानिदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 17 मार्च 2025



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट एवं अनुलग्नक

परिशिष्ट 1

(पैराग्राफ 1.4.1.3, 1.4.2, 1.5 और 1.6.1 देखें)

31 मार्च 2023 तक संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), वित्त मंत्रालय और सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

क्र. सं.	सी पी एस यू का नाम	प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार के निवेश का प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूंजी निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)
संचार मंत्रालय					
दूरसंचार विभाग					
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	100	38,886.44	20,698.90	(6,662.20)
2	बी एस एन एल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बी एस एन एल की सहायक कंपनी		2.92	0.20
3	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	56.25	354.38	1,474.02	(2,910.74)
4	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल)	एम टी एन एल की सहायक कंपनी		0.45	0.32
5	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)	100	60	1,014.54	0.10
6	मिलेनियम इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड	परिसमापन के तहत			
7	आई टी आई लिमिटेड	97.80	1,391.45	1,447.99	(360.10)
8	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी टी एल)	टी सी आई एल की सहायक कंपनी		0.18	(11.97)

क्र. सं.	सी पी एस यू का नाम	प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार के निवेश का प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूंजी निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)
9	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)	100	59.20	2,001.69	35.49
10	लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड	टी सी आई एल की सहायक कंपनी		3.16	(1.07)
11	बीना टोल रोड लिमिटेड	टी सी आई एल की सहायक कंपनी		4.13	(2.55)
कुल			40,751.47	26,647.98	(9,912.52)
डाक विभाग					
12	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक	100	1,655	766.15	20.16
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
13	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	100	2	1,701.87	149.77
14	सी एस सी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड			1,434.19	132.06
15	सी एस सी वाई-फाई चौपाल	सी एस सी की सहायक कंपनी		31.02	1.00
16	सी एस सी ग्रामीण ई स्टोर	सी एस सी की सहायक कंपनी		7.44	0.76
17	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	100	0	186.48	2.13
कुल			2	3,361.00	285.72

क्र. सं.	सी पी एस यू का नाम	प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार के निवेश का प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूंजी निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)
वित्त मंत्रालय					
आर्थिक मामलों का विभाग					
18	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल)	99.99	987.5	5,225.92	1,779.25
19	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल)	एस पी एम सी आई एल और बी आर बी एन एम पी एल का संयुक्त उद्यम	800	1,095.85	206.57
20	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)	आर बी आई की सहायक कंपनी	1,800	2,844.89	455.12
21	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल)	100	0.02	0.23	0.09
कुल			3,587.52	9,166.89	2,441.03

परिशिष्ट II

(पैराग्राफ 1.4.1.3, 1.4.2, 1.5 और 1.6.1 देखें)

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी) और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के अंतर्गत संलग्न कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) का संक्षिप्त रूपरेखा

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), संचार मंत्रालय (एम ओ सी):		
1	आई टी आई लिमिटेड (पी एस यू)	1948 में विभागीय कारखाने के रूप में शुरू हुई आई टी आई लिमिटेड, दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण के लिए एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी पी एस यू है। इसके जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली और मनकापुर और केरल में पलक्कड़ में विनिर्माण संयंत्र हैं, साथ ही बेंगलुरु में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी है। 31 मार्च 2023 तक सरकार के पास कंपनी के 97.80 प्रतिशत शेयर थे, जिनकी कीमत ₹1391.45 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल राजस्व और हानि क्रमशः ₹1,447.99 करोड़ और ₹360.10 करोड़ था।
2	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) (पी एस यू)	भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) की स्थापना -1978 में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय तकनीक प्रदान करने, उचित विपणन रणनीति विकसित करके विदेशी और घरेलू बाजारों में अपने संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। मार्च 2023 के अंत में कंपनी में सरकार का निवेश ₹59.20 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व और लाभ क्रमशः ₹2,001.69 करोड़ और ₹35.49 करोड़ था।
3	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल) (पी एस यू)	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल), जोकि एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी), है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है, को 2012 में कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत भारतनेट परियोजना जोकि पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) थी, को निष्पादित करने के लिए निगमित किया गया था। 31 मार्च 2023 तक कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹60.00 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित राजस्व ₹1,014.54 करोड़ और लाभ ₹0.10 करोड़ था। 27 जुलाई 2022 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल) के भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) के साथ विलय को मंजूरी दे दी, जो प्रक्रियाधीन है।
डाक विभाग (डी ओ पी), संचार मंत्रालय (एम ओ सी):		
1	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई पी पी बी) (पी एस यू)	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई पी पी बी) को 17 अगस्त 2016 को डी ओ पी के अधीन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने और की दृष्टि से भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी थी। आई पी पी बी बचत व चालू खातों में ₹2 लाख तक की राशि की मांग जमा, संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच डिजिटल रूप से सक्षम भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रस्तावित

		<p>करता है और बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड हाउस, पेंशन प्रदाताओं, बैंकों, अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण संगठनों, आदि के साथ साझेदारी में बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन, क्रेडिट उत्पादों और विदेशी मुद्रा जैसी तृतीय पक्ष वित्तीय सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान करता है।</p> <p>31 मार्च 2023 तक सरकार का कुल पूंजीगत निवेश ₹1,655.00 करोड़ था। कंपनी का कुल राजस्व ₹766.15 करोड़ था, और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उसे ₹20.16 करोड़ का लाभ हुआ।</p>
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई):		
1	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) (संलग्न कार्यालय)	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क बैकबोन और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। यह (क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, (ख) राज्य क्षेत्र और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, और (ग) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
2	मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी) (संलग्न कार्यालय)	एस टी क्यू सी, वर्ष 1980 में स्थापित, अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने के लिए और आई टी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एम ई आई टी वाई के अधिदेश के साथ संरेखित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वशनीय सेवा प्रदाता है।
3	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) (संलग्न कार्यालय)	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई), एम ई आई टी वाई के अधीन भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम 2016") के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। यू आई डी ए आई को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यू आई डी), "आधार" नामक एक विशिष्ट पहचान जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, और (ख) एक आसान, किफायती तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है।
		यू आई डी ए आई को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1,220.37 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई और इसने ₹1,220.03 करोड़ व्यय किए। यू आई डी ए आई प्रमाणीकरण और नामांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त प्रभार के माध्यम से भी राजस्व अर्जित करता है। मार्च 2019 से सभी प्राप्तियां सरकार द्वारा बनाए गए यू आई डी ए आई कोष में जमा की जाती हैं।
4	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी) (पी एस यू)	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित एक 'गैर लाभकारी' कंपनी है, जिसका उद्देश्य आम आदमी तक आई सी टी के लाभ को पहुंचाना है। कंपनी के अनुप्रयोग क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका और विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए आई सी टी का उपयोग शामिल है। कंपनी गारंटी द्वारा सीमित है और इसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के प्रावधानों के तहत इस कंपनी की लेखापरीक्षा सी ए जी को सौंपी गई थी। कंपनी विकास

		कार्य करने के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ काम करती है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान इसकी कुल आय ₹186.48 करोड़ (मुख्य रूप से अनुदान सहायता के कारण) थी।
5	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा (एन आई सी एस आई) (पी एस यू)	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एन आई सी एस आई) की स्थापना 1995 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत सरकारी संगठनों को सम्पूर्ण आई टी समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत को आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,701.87 करोड़ था और इसने ₹149.77 करोड़ का लाभ कमाया।
6	सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (पी एस यू)	सार्वजनिक सेवा केंद्र (सी एस सी) योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। सी एस सी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एम ई आई टी वाई द्वारा सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो एक विशेष प्रयोजन वाहन है, की स्थापना की गई है। सी एस सी एस पी वी योजना की प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा, सी एस सी के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी ढांचा प्रदान करता है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹58.26 करोड़ थी; वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल राजस्व ₹1,434.19 करोड़ था और इसने ₹132.06 करोड़ का लाभ कमाया।
7	सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पी एस यू)	2016 की शुरुआत में, ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और विश्वसनीय आई सी टी समाधान के विकास के लिए सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। वाई-फाई चौपाल सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में सभी के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, फाइबर रखरखाव, पेशेवर टीमों के साथ गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जी पी ओ एन) बुनियादी ढांचे, वाई-फाई ऑडियो / वीडियो कॉलिंग समाधान और विभिन्न सरकारी संस्थानों के लिये अनुप्रयोग विकास और समर्थन आदि की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹31.02 करोड़ था और इसने ₹1.00 करोड़ का लाभ कमाया।
8	सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पी एस यू)	सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 31 जुलाई 2020 को सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा समाविष्ट किया गया था, जो भारत के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्थापित शीर्ष उद्यम है। सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर अपने ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वी एल ई) के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण ई-कॉमर्स को सक्षम करने, स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी), किसानों, एम एस एम ई आदि जैसे स्थानीय निर्माताओं के साथ साझेदारी करके वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹7.44 करोड़ था और इसने ₹0.76 करोड़ का लाभ कमाया।
आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय:		
1	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल), भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची 'ए' मिनिस्ट्रल श्रेणी-

	<p>निर्माण निगम लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल) (पी एस यू)</p>	<p>। कंपनी है, जिसे मुद्रा एवं सिक्का प्रभाग, डी ई ए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत 13 जनवरी 2006 को पूर्ववर्ती नौ उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्रण, रखरखाव और संचालन के लिए निगमित किया गया था।</p> <p>एस पी एम सी आई एल, मुद्रा और बैंक नोट, प्रतिभूति कागज़, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट और स्टेशनरी, यात्रा दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट और वीजा, सुरक्षा प्रमाण पत्र, चेक, बांड, वारंट, सुरक्षा सुविधाओं वाले विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही, प्रचलन और स्मारक सिक्के, पदक, सोने और चांदी का शोधन और कीमती धातुओं की परख के निर्माण / उत्पादन में लगी हुई है।</p> <p>31 मार्च 2023 तक कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹987.50 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹5,225.92 करोड़ था और इसने ₹1779.25 करोड़ का लाभ अर्जित किया।</p>
<p>2</p>	<p>भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल) (पी एस यू)</p>	<p>भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल) 1995 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है। यह भारतीय बैंक नोट और सिक्के बनाता है। बी आर बी एन एम पी एल देश में बैंक नोट की आवश्यकता के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है, साथ ही शेष आवश्यकताएँ एस पी एम सी आई एल के माध्यम से पूरी की जाती हैं। 31 मार्च 2023 तक कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹1,800 करोड़ था और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹2,844.89 करोड़ था और इसने ₹455.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया।</p>
<p>3</p>	<p>बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल) (पी एस यू)</p>	<p>बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल) को बैंक नोट पेपर के उत्पादन के लिए एस पी एम सी आई एल और बी आर बी एन एम पी एल के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 13 अक्टूबर, 2010 को निगमित और पंजीकृत किया गया है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹800 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,095.85 करोड़ था और इसने ₹206.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया।</p>
<p>4</p>	<p>राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एन आई आई एफ टी एल) (पी एस यू)</p>	<p>राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एन आई आई एफ टी एल) भारत का पहला अवसंरचना-विशिष्ट निवेश कोष या संप्रभु धन कोष है जिसे फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस कोष को बनाने के पीछे उद्देश्य मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार की व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना था।</p> <p>एन आई आई एफ टी एल तीन कोषों का प्रबंधन करता है: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक फंड। इन कोषों की स्थापना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाकर भारत में बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए की गई थी। कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹0.02 करोड़ है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹0.23 करोड़ था और इसने ₹0.09 करोड़ का लाभ अर्जित किया।</p>

परिशिष्ट III
(पैराग्राफ 1.10 देखें)

31 मार्च 2024 तक मंत्रालय / विभागों से प्रतीक्षित एक्शन टेकन नोट्स की सारांशित स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या और वर्ष	ए टी एन देय	बिलकुल भी प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के तहत	
संचार मंत्रालय				
डाक विभाग				
शून्य				
दूरसंचार विभाग				
1	2022 की 02	1	-	1
	कुल	1	-	1
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
शून्य				
व्यय विभाग				
1	2019 की 02	1	1	0
2	2020 की 04	1	0	1
3	2021 की 07	4	0	4
4	2022 की 31	1	1	0
5	2023 की 21	51	27	24
	कुल	58	29	29
आर्थिक मामलों का विभाग				
1	2022 की 18	1	-	1
2	2022 की 32	1	-	1
	कुल	2	-	2
	कुल योग	61	29	32

परिशिष्ट IV
(पैराग्राफ 1.10 देखें)

31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतीक्षित एक्शन टेकन नोट्स की सारांशित स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या और वर्ष	ए टी एन देय	बिलकुल भी प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के तहत	
संचार मंत्रालय				
भारत संचार निगम लिमिटेड				
1	2000 की 06	2	शून्य	2
2	2001 की 06	2	शून्य	2
3	2002 की 06	1	शून्य	1
4	2003 की 05	5	शून्य	5
5	2004 की 05	2	शून्य	2
6	2005 की 05	2	शून्य	2
7	2006 की 9 (पी ए)	2	शून्य	2
8	2006 की 13	4	शून्य	4
9	2007 की 10 (पी ए)	1	शून्य	1
10	2007 की 12	6	शून्य	6
11	2008 की 09 (पी ए)	1	शून्य	1
12	2008 की 10 सी ए	1	शून्य	1
13	2008 की 12 सी ए	5	शून्य	5
14	2009-10 की 09	1	शून्य	1
15	2009 की 25 सी ए	4	शून्य	4
16	2011 - 12 की 03	3	शून्य	3
17	2012 - 13 की 08	2	शून्य	2
18	2015 की 20	1	शून्य	1
19	2016 की 29	1	शून्य	1
20	2018 की 21	1	शून्य	1 (सी ओ पी यू को संदर्भित)
21	2021 की 03	1	शून्य	1
22	2022 की 15	1	शून्य	1
23	2023 की 16	4	शून्य	4
	कुल	53	शून्य	53

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या और वर्ष		ए टी एन देय	बिलकुल भी प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के तहत
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड				
1	1999 की 3	1	शून्य	1
2	2004 की 05	1	शून्य	1
3	2007 की 10 (पी ए)	1	शून्य	1
4	2007 की 12	1	शून्य	1
5	2008 की 12 सी ए	1	शून्य	1
6	2022 की 15	1	शून्य	1
	कुल	6	शून्य	6
आई टी आई लिमिटेड				
1	2007 की 10	1	शून्य	1
2	2007 की 12	1	शून्य	1
3	2008 की 12	1	शून्य	1
4	2021 की 03	1	शून्य	1
	कुल	4	शून्य	4
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.				
1	2015 की 55	1	शून्य	1
2	2017 की 21	1	शून्य	1
3	2021 की 03	1	1	शून्य
4	2022 की 15	1	1	शून्य
	कुल	4	2	2
वित्त मंत्रालय				
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)				
1	2022 की 15	1	1	शून्य
	कुल	1	1	शून्य
सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल)				
1	2023 की 16	1	शून्य	1
	कुल	1	शून्य	1
	कुल योग	69	3	66

परिशिष्ट V
(पैराग्राफ 1.11 देखें)

वर्ष 2022-23 के लिए स्वायत्त निकायों (ए बी) के संबंध में लेखों का प्रमाणीकरण और प्रस्तुतीकरण

क्रम सं.	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	लेखापरीक्षा की अवधि	प्रमाणन की तिथि	संसद में रखे जाने की तिथि
1	यू आई डी ए आई	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2023	30-06-2023	10-07-23 से 12-09-23	09-11-2023	09-02-24
2	सेबी	वित्त मंत्रालय	30-06-2023	04-07-2023	06-07-23 से 31-07-23	14-12-2023	09-02-24
3	ट्राई	संचार	30-06-2023	28-07-2023	17-07-23 से 31-08-23	15-11-2023	09-02-24
4	ट्राई - सी पी एफ	संचार	30-06-2023	04-07-2023	17-07-23 से 25-07-23	16-10-2023	09-02-24
5	आई एफ एस सी ए	वित्त मंत्रालय	30-06-2023	08-08-2023	24-07-23 से 22-09-23	15-12-2023	लो.स.: 31-07-2023 रा.स.: 01-08-2023

वर्ष 2022-23 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के संबंध में प्रमाणीकरण और लेखों की प्रस्तुति का विवरण

क्रम सं.	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	लेखापरीक्षा की अवधि	प्रमाणन की तिथि
1	बी एस एन एल	संचार	30-06-2023	29-05-2023	31-05-23 से 10-07-23	13-09-2023
2	बी टी सी एल	संचार	30-06-2023	01-06-2023	02-06-23 से 13-06-23	21-07-2023
3	एम टी एन एल	संचार	30-06-2023	06-06-2023	12-06-23 से 30-06-23	22-08-2023
4	एम टी एल	संचार	30-06-2023	16-06-2023	03-07-23 से 11-07-23	28-08-2023
5	सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2023	07-11-2023	16-11-23 से 01-12-23	10-01-2024
6	सी एस सी वार्ड-फाई चौपाल	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2023	03-10-2023	लागू नहीं	09-11-2023

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 1

क्रम सं.	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	लेखापरीक्षा की अवधि	प्रमाणन की तिथि
7	आई टी आई	संचार	30-06-2023	05-06-2023	05-06-23 से 19-06-23	10-08-2023
8	टी सी आई एल	संचार	30-06-2023	24-07-2023	10-08-23 से 06-09-23	29-09-2023
9	टी सी आई एल एल टी आर एल	संचार	30-06-2023	24-07-2023	31-07-23 से 08-08-23	29-09-2023
10	टी सी आई एल बी टी आर एल	संचार	30-06-2023	24-07-2023	लागू नहीं	31-08-2023
11	टी टी एल	संचार	30-06-2023	06-06-2023	06-06-23 से 16-06-23	28-08-2023
12	आई पी पी बी	संचार	30-06-2023	04-07-2023	07-07-23 से 25-07-23	29-09-2023
13	एन आई सी एस आई	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2023	19-09-2023	22-09-23 से 09-10-23	03-11-2023
14	बी बी एन एल	संचार	30-06-2023	26-07-2023	02-08-23 से 17-08-23	22-09-2023
15	डी आई सी	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2023	02-11-2023	लागू नहीं	06-12-2023
16	एस पी एम सी आई एल	वित्त	30-06-2023	05-07-2023	11-07-23 से 18-08-23	26-09-2023
17	बी आर बी एन एम पी एल	वित्तीय	30-06-2023	14-08-2023	16-08-23 से 19-07-23	05-10-2023
18	बी एन पी एम आई पी एल	वित्तीय	30-06-2023	10-07-2023	10-07-23 से 19-07-23	04-09-2023
19	एन आई आई एफ टी एल	वित्तीय	30-06-2023	19-06-2023	लागू नहीं	21-07-2023
20	सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर सेवा प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2023	04-10-2023	लागू नहीं	09-11-2023
21	एम आई एस एल	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी	30-06-2023	परिसमापन के अंतर्गत	-	-

परिशिष्ट VI
(पैराग्राफ 1.12 देखें)

वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के खातों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
1	आई टी आई	<p>लाभप्रदता पर टिप्पणी</p> <p>लाभ-हानि-व्यय का विवरण</p> <p>1. वित्तीय लागत (नोट संख्या 28) - ₹20,958.40 लाख।</p> <p>वर्ष 2022-23 के लिए सुलभ ऋण पर बकाया ब्याज और मूल राशि पर दूरसंचार विभाग को देय जुर्माना ब्याज के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया जिसके कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹85.56 लाख कम दर्शाया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप हानि को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है।</p> <p>2. अन्य व्यय (नोट संख्या 30) - ₹13,892.97 लाख</p> <p>बेंगलोर प्लांट, एनएस यूनिट और आरओ कोलकाता में वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न विक्रेताओं के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के देय बिलों का प्रावधान नहीं किया गया जिसके कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹115.66 लाख कम दर्शाया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप हानि को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है।</p> <p>3. अतिरिक्त खुलासे (नोट संख्या 31)</p> <p>i. आई टी आई लिमिटेड ने के आर पुरम, बेंगलोर में अधिग्रहित 1320 वर्ग मीटर के मुआवजे के कारण दक्षिण पश्चिमी रेलवे से प्राप्त होने वाली राशि के रूप में ₹ 2,908.01 लाख दिखाए हैं। हालाँकि, 16 मार्च 2023 को आई टी आई लिमिटेड और दक्षिण पश्चिमी रेलवे के बीच हुई बैठक के विवरण के अनुसार यह राशि ₹1,172.16 लाख है। इस तथ्य का खुलासा लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है।</p> <p>ii. आई टी आई लिमिटेड ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी) को कंसोर्टियम बैंकर्स के पास गिरवी रखी गई भूमि के अधिग्रहण के लिए दिये गये उत्तरदायित्व का खुलासा नहीं किया है, जिसमें एसबीआई अग्रणी बैंक है। कंपनी ने के आई ए डी बी को यह उत्तरदायित्व दिया था कि यदि कंसोर्टियम बैंक उपरोक्त अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति उठाते हैं, तो मुआवजे की राशि एसबीआई के पास विधिवत जमा कर दी जाएगी। कंपनी ने अपनी आय के रूप में ₹1,539.17 लाख दर्शाये हैं जो इस भूमि को प्राप्त करने के लिए केआईएडीबी से प्राप्त मुआवजा राशि है।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>4. आकस्मिक देयता -नोट 31(10): मध्यस्थता निर्णय के अनुपालन में आई टी आई लिमिटेड द्वारा मेंसर्स अल्फियन कॉर्पोरेशन को देय राशि का खुलासा कम किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹375.79 लाख कम दर्शाया गया है।</p>
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<p>तुलन पत्र-परिसंपत्तियां गैर तात्कालिक परिसंपत्ति संपत्ति संयंत्र और उपकरण ₹2,697.87 करोड़ (नोट 4)</p> <p>1. उपरोक्त शीर्ष में ₹6.96 करोड़ की राशि को परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल किया गया, जिसे वर्ष के दौरान पूंजीकृत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप आय में भी उतनी ही राशि कम दर्शाई गई।</p> <p>तात्कालिक परिसंपत्ति</p> <p>2. नकद और नकद समकक्ष ₹146.52 करोड़ (नोट 16)</p> <p>निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में बैंकों से सम्बद्ध सावधि जमा को शामिल करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹25.20 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप गैर-तात्कालिक-अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को भी उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है।</p> <p>3. आकस्मिक देयताएं-(नोट 50)</p> <p>वित्तीय वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की अवधि के लिए बकाया संपत्ति कर के लिए मार्च 2021 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा एम टी एन एल पर उठाई गई मांग को शामिल नहीं करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹101.23 करोड़ कम दिखाए गए हैं।</p>
3	भारत संचार निगम लिमिटेड	<p>क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ लाभ और हानि का विवरण - व्यय</p> <p>1. व्यय-कर्मचारी लाभ व्यय ₹795,193 लाख (नोट संख्या 33)</p> <p>01.12.2011 से 30.09.2014 तक की अवधि के लिए अधिकतम वेतनमान पर पेंशन अंशदान हेतु प्रावधान न किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹ 9,707 लाख कम दर्शाये गये है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप हानि की राशि भी उतनी ही कम दर्शाई गई है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>2. मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय ₹5,65,862 लाख (नोट संख्या 35) कोर नेटवर्क टी एक्स नोर्थ व मध्य प्रदेश सर्किलों में लीज होल्ड नेटवर्क का परिशोधन शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹1,72,266.93 लाख कम दर्शाया गया है, जिन्हें कंपनी द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में माना गया था। इसके परिणामस्वरूप हानि को कम करके दिखाया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उतनी राशि से अधिक दिखाया गया है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी।</p> <p>3. अन्य व्यय ₹9,83,441 (नोट 36) दूरसंचार विभाग के टर्म प्रकोष्ठ ने ग्राहक आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) जुर्माना और ईएमएफ जुर्माना के कारण लगाए गए जुर्माने को शामिल नहीं किया जिसके कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹ 20,895.20 लाख की कमी दर्शाई गई है। इसके परिणामस्वरूप हानि भी उतनी राशि से कम दर्शायी गयी है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी।</p> <p>ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ</p> <p>4. परिसम्पत्ति गैर तात्कालिक परिसंपत्ति संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ₹84,73,361 लाख [नोट संख्या 3 (i)] दूरसंचार विभाग द्वारा 2019-2020 में सुद्रीकरण के लिये पहचानी गई व स्वीकृत की गई परिसम्पत्तियों को शामिल करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹2,04,670.94 लाख की वृद्धि दर्शाई है। इसके परिणामस्वरूप 'बिक्री के लिए रखी गई परिसम्पत्तियों' को भी उसी राशि से कम करके दिखाया गया है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी।</p> <p>5. तात्कालिक परिसंपत्तियां- इन्वेंटरी ₹74,698 लाख (नोट संख्या 11) 2018 में बंद हो चुके डब्ल्यूएलएल सीडीएमए से संबंधित उपकरणों को शामिल करने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹237.80 लाख अधिक दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अप्रचलित स्टोर के लिए प्रावधान भी उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है।</p> <p>6. तात्कालिक परिसंपत्तियां-वित्तीय परिसंपत्तियां व्यापार प्राप्य: ₹3,69,385 लाख (नोट संख्या 12)</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन योजना के लिए सब्सिडी के कारण दूरसंचार विभाग से लंबे समय से लंबित प्राप्तियों का प्रावधान नहीं किया गया जिसके कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹128.01 लाख की वृद्धि बताई गई है, जिसमें से 87 प्रतिशत राशि को दूरसंचार विभाग द्वारा पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप हानि को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है।</p> <p>7. तात्कालिक परिसंपत्तियां-</p> <p>अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां ₹10,45,116 लाख (नोट संख्या 16)</p> <p>हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड से वसूली योग्य ₹4.519.64 लाख की राशि शामिल करके उपरोक्त शीर्ष में अधिक बताया गया है, जिसे सितंबर 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश के तहत बंद कर दिया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप हानि को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है।</p> <p>8. अन्य तात्कालिक परिसंपत्तियां: ₹8,85,944 लाख (नोट संख्या 18)</p> <p>2013 से 2019 की अवधि के दौरान ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम के कारण ₹3,808.84 लाख की राशि को शामिल की गई जिससे उपरोक्त शीर्ष में वृद्धि बतायी गयी है। इन अग्रिमों को न तो समायोजित/समाधान किया गया है और न ही लेखा पुस्तकों में इनके लिए प्रावधान किया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप हानि को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है।</p> <p>9. देयताएं - तात्कालिक देयताएं</p> <p>वित्तीय देनदारियां</p> <p>व्यापार देयताएं: ₹6.35.980 लाख (नोट 27)</p> <p>उपरोक्त शीर्ष में विक्रेताओं, कालातीत चेकों, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से तीन वर्ष से अधिक समय से प्राप्त ईएमडी और सुरक्षा जमा से संबंधित ₹21.453 लाख रुपए को शामिल करके अधिक बताया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप हानि की राशि भी उतनी ही अधिक बताई गई है।</p> <p>10. तात्कालिक देयताएं</p> <p>अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं: ₹29,92,002 लाख (नोट संख्या 28)</p> <p>मार्च 2023 माह के लिए दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं को देय कमीशन का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹176.21 लाख की कमी बताई गई है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप हानि को भी उतनी राशि से कम दर्शाया गया है।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>11. अन्य वर्तमान देयताएं: ₹10,69,345 लाख (नोट संख्या 29) फरवरी और मार्च 2023 के महीनों के लिए प्रशिक्षण व्यय का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹285.00 लाख कम दर्शाया गया है, जिसके लिए मार्च 2023 में मैसर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से बिल भी प्राप्त हुए थे। इसके परिणामस्वरूप हानि को भी उतनी राशि से कम दर्शाया गया है।</p> <p>ग. नकदी का विवरण पर टिप्पणियाँ</p> <p>12. कार्यशील पूंजी में शुद्ध परिवर्तन कम्पनी ने निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह दिखाने के बजाये कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की गणना के लिये गैर परिवर्तन वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन को शामिल किया है। यह चित्रण भारतीय लेखा मानक 7 के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार, नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक अपर्याप्त है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी।</p> <p>घ. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ</p> <p>13. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स मैसर्स विहान नेटवर्क्स लिमिटेड ने अगस्त 2020 में बी एस एन एल को ₹60,000 लाख की राशि के लिए कानूनी नोटिस भेजा था , क्योंकि बी एस एन एल ने अग्रिम खरीद आदेश वापस ले लिया था। मामला मध्यस्थता में है। वर्ष 2022-23 के लिए बी एस एन एल की लेखा पुस्तकों में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है।</p>
4	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	<p>लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ</p> <p>लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण</p> <p>वित्तीय साधनों पर व्यय-हानि संयुक्त उद्यम एन आई एक्स आई-सी एस सी डाटा पंजीकृत सेवा लिमिटेड में निवेश में हानि को शामिल नहीं करने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹71.55 लाख कम दर्शाये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप लाभ को उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया तथा सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को भी अधिक दर्शाया गया।</p> <p>नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह: ₹5,127.41 लाख नकदी प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह में ₹287.08</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>लाख के आयकर वापसी पर ब्याज शामिल नहीं है। नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 7 के पैरा 31 का अनुपालन नहीं हुआ।</p> <p>लेखा नोट्स पर टिप्पणियाँ</p> <p>आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं</p> <p>पूँजीगत प्रतिबद्धताएं: ₹ 6,438.14 लाख (नोट संख्या 37)</p> <p>एच पीई सर्वरों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रभारों को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹173.00 लाख की राशि कम दर्शाई गई है।</p>
5	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड.	<p>लाभ एवं हानि-व्यय का विवरण</p> <p>अन्य व्यय ₹ 313.36 करोड़ (नोट 37)</p> <p>अप्रैल 2022 के आरबीआई के निर्देशों के अनुसार आरबीआई को देय ₹1000 मूल्यवर्ग के सीडब्ल्यूबीएन पेपर के इन्वेंट्री मूल्य पर उपरोक्त शीर्ष को ₹22.26 करोड़ कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों को भी उसी राशि से कम करके दिखाया गया है।</p> <p>इक्विटी और देयताएं-वर्तमान देयताएं</p> <p>प्रावधान ₹23.82 करोड़ (नोट 27)</p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹2.80 करोड़ की वृद्धि इसलिए की गई है क्योंकि कंपनी ने उन कर्मचारियों के संबंध में अवकाश यात्रा सुविधा के लिए प्रावधान किया है जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक न तो इस सुविधा का लाभ उठाया है और न ही एलटीएफ प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन/दावा प्रस्तुत किया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लाभ को भी उतनी राशि से कम दर्शाया गया। यह टिप्पणी वर्ष 2021-22 में भी उठाई गई।</p>
6	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	<p>लाभ और हानि का विवरण</p> <p>अन्य आय (नोट 26) ₹6,935.35 लाख</p> <p>कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए भुगतान किए गए अधिक आयकर के लिए आयकर विभाग से प्राप्त होने वाले ब्याज को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹274.69 लाख कम दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि आयकर विभाग ने अपने पत्र दिनांक 14 दिसंबर 2022 के माध्यम से की है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप लाभ भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है।</p>
7	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक	<p>क. लाभप्रदता पर टिप्पणी</p> <p>लाभ और हानि लेखा</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>अन्य आय ₹ 487.10 करोड़ (अनुसूची 14)</p> <p>विक्रेताओं से वसूले गए परिनिर्धारित नुकसान को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹4.95 करोड़ कम दर्शाये गये है। इसके परिणामस्वरूप लाभ में भी उतनी ही राशि की कमी दर्शाई गई है।</p> <p>ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी</p> <p>परिसम्पत्ति</p> <p>अचल संपत्तियां ₹59.64 करोड़ (अनुसूची 10)</p> <p>विक्रेताओं से वसूले गए परिनिर्धारित नुकसान का पूंजीकरण न किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹57.32 करोड़ कमी बताये गये है। इसके परिणामस्वरूप इस पर मूल्यहास भी कम दर्शाया गया है।</p>
8	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड.	<p>तुलन पत्र</p> <p>विकासाधीन सी डब्ल्यू आई पी / अमूर्त परिसंपत्तियां ₹2,877.20 लाख (नोट 3)</p> <p>1 मैसर्स आईडीसी टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सॉफ्टवेयर की खरीद से संबंधित राशि को शामिल करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹ 66.70 लाख की वृद्धि हुई है, जिसकी सुपुर्दगी अभी पूरी नहीं हुई है। इस संबंध में कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान भी इस राशि से अधिक बताए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए पूंजी प्रतिबद्धता के संबंध में प्रकटीकरण में भी कमी आई है।</p> <p>प्रकटीकरण पर टिप्पणी</p> <p>2 कंपनी ने निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2022-23 में लाभांश का भुगतान नहीं किया। इस तथ्य का खुलासा वर्ष के वार्षिक लेखों में नहीं किया गया है।</p> <p>पूंजी एवं अन्य प्रतिबद्धताएं ₹1,435.13 लाख (नोट 43)</p> <p>3 उपरोक्त शीर्ष में ₹5,933.47 लाख बताई कमी बताई गई है, क्योंकि इसमें उन अनुबंधों/कार्यों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें मार्च 2023 में दिए गए क्रय आदेशों/अनुबंधों के विरुद्ध अभी निष्पादित किया जाना है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी।</p> <p>वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ</p> <p>4 वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 की आवश्यकताओं का पालन पूरी मेहनत से नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि परिसंपत्तियों का भौतिक (प्रत्यक्ष) सत्यापन हर तीन वर्ष में एक बार किया जाता है जबकि यह वार्षिक किया जाता है।</p> <p>5 विक्रेताओं को दिए गए अग्रिम को समायोजित करते हुये कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में लेखा संबंधी कमियां भी नहीं दर्शाई गई हैं।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		6 वैधानिक लेखापरीक्षक कंपनी के लेखांकन में आई टी प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के सीएजी द्वारा जारी उप-निर्देशों (सं. 1) पर उपयुक्त रूप से रिपोर्ट करने में विफल रहे, विशेष रूप से आई टी प्रणाली के बाहर किए गए लेनदेन के लेखांकन के संबंध में।
9	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	<p>क. लाभप्रदता पर टिप्पणी</p> <p>लाभ-हानि विवरण-आय ₹45.49 लाख</p> <p>अन्य आय (नोट 19) ₹45.49 लाख</p> <p>प्रावधान का उत्क्रमण ₹13.82 लाख</p> <p>ठाणे नगर आयुक्त रखरखाव अनुबंध, जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बंद कर दिया गया था, पर खर्चों को पूरा करने के प्रावधान को उलटने के कारण उपरोक्त मद में ₹13.51 लाख की वृद्धि की गई है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप लाभ को भी उसी राशि से अधिक दर्शाया गया।</p> <p>सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इस भौतिक प्रभाव की रिपोर्ट नहीं की।</p> <p>ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी</p> <p>तुलन पत्र- संपत्ति ₹958.14 लाख</p> <p>गैर-वर्तमान परिसंपत्ति ₹31.81 लाख</p> <p>अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (नोट 4) ₹31.25 लाख</p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹9.41 लाख कम दर्शाए गए हैं, क्योंकि कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए कराधान हेतु अधिक प्रावधान किया गया है, जबकि उसके पास कोई संगत कर परिसंपत्ति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान भी उतनी राशि से अधिक दर्शाया गया है।</p>
10	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	<p>लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ</p> <p>आय और व्यय लेखा-व्यय</p> <p>अन्य व्यय ₹6,941.25 लाख (नोट 29)</p> <p>वीसैट सेवाओं के प्रावधान के लिए ब्याज और जुर्माने हेतु लाइसेंस प्रभार करार के संदर्भ में, जनवरी 2023 में दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई मांग का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹341.75 लाख कम बताया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप आय भी उतनी ही अधिक दर्शाई गई।</p> <p>सामान्य टिप्पणी</p> <p>एन आई सी एस आई ने लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का खुलासा नहीं किया है जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।</p>

क्रमांक	सी पी एस ई का नाम	अवलोकन
		<p>प्रतिबद्धतायें</p> <p>पूंजी प्रतिबद्धताएं: ₹22,028.36 लाख (नोट संख्या 38)</p> <p>उपरोक्त शीर्ष में ₹639.77 लाख रुपए कम दर्शाए गए हैं, क्योंकि इसमें नवीनीकरण व्यय, सॉफ्टवेयर लाइसेंसों की खरीद और क्लाउड सेवाओं की खरीद के प्रति एन आई सी एस आई की प्रतिबद्धताएं शामिल नहीं हैं।</p>
11	टी सी आई एल-लालखनादोन टोल रोड लिमिटेड	<p>लाभ एवं हानि लेखा-व्यय-वित्तीय लागत ₹603.04 लाख (नोट 17)</p> <p>होल्टिंग कंपनी को देय ऋण पर ब्याज को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹550.74 लाख की कमी दर्शाई गई है। इसके परिणामस्वरूप हानि भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है।</p> <p>आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां (नोट 20 का बिंदु IV)</p> <p>मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के ₹3,657 लाख के दावे को आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देना उचित नहीं है, जिसे निगम द्वारा फरवरी 2023 में अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>प्रकटीकरण पर टिप्पणी</p> <p>कंपनी, होल्टिंग कंपनी टीसीआईएल द्वारा विनिवेश के संबंध में लिए गए निर्णयों के बारे में कोई महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करने में विफल रही।</p> <p>वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी</p> <p>वैधानिक लेखापरीक्षक कंपनी की चालू स्थिति से संबंधित भौतिक अनिश्चितता की रिपोर्ट करने में विफल रहा, क्योंकि कंपनी की निवल संपत्ति समाप्त हो गई है और वह अपनी होल्टिंग कंपनी से ऋण प्राप्त किए बिना देनदारियों का भुगतान करने में असमर्थ है।</p>

वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां

क्रमांक	सी ए बी का नाम	अवलोकन
1	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	<p>अचल संपत्तियां (अनुसूची 6)</p> <p>फर्नीचर और फिक्सचर- ₹31.64 करोड़</p> <p>उपरोक्त शीर्ष को ₹5.18 करोड़ कम दर्शाया गया है, क्योंकि उन परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं किया गया है, जिन्हें अक्टूबर 2022 के दौरान उपयोग में लाया गया था, लेकिन तुलन पत्र की तिथि पर उन्हें कार्य प्रगति पर दिखाया गया था।</p>

क्रमांक	सी ए बी का नाम	अवलोकन
		<p>इसके परिणामस्वरूप प्रगतिरत कार्य की मात्रा भी उतनी ही अधिक बताई गई।</p> <p>सहायता अनुदान</p> <p>भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी एजेंसी से कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं हुई।</p>
2	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	<p>तात्कालिक देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹45,125.94 लाख</p> <p>प्रावधान: ₹23,126.32 लाख</p> <p>यू आई डी ए आई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारियों के वेतन, विभिन्न एएमसी प्रभार और अन्य देय व्यय को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में प्रत्येक में ₹561.06 लाख की कमी दिखाई गई। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष को भी उसी राशि से अधिक दर्शाया गया।</p> <p>सहायता अनुदान</p> <p>वर्ष के दौरान ₹1,220.37 करोड़ की सहायता अनुदान की प्राप्त राशि में से (पिछले वर्ष के ₹0.37 करोड़ के अप्रयुक्त शेष सहित) यूआईडीएआई ने ₹1,220.03 करोड़ की राशि का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2023 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में ₹0.34 करोड़ का शेष रह गया।</p>
3	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	<p>आय एवं व्यय लेखा</p> <p>अन्य प्रशासनिक व्यय: ₹53.71 करोड़</p> <p>एक वर्ष की वैधता वाले सॉफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद से संबंधित व्यय को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹18.52 लाख की कमी बताई गई है। इसके परिणामस्वरूप घाटे को भी कम करके दिखाया गया है और अमूर्त परिसंपत्तियों को भी उतनी राशि से अधिक करके दिखाया गया है।</p> <p>मूल्यहास: ₹1.79 करोड़</p> <p>पिछले तीन लगातार वर्षों से ऑडिटोरियम पर अधिक मूल्य हास (10 प्रतिशत के स्थान पर 19.34 प्रतिशत की दर से) पर प्रभार लगाए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष को 61.92 लाख रुपए अधिक दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप घाटे को भी उतनी ही राशि से अधिक तथा अचल संपत्तियों को भी कम दर्शाया गया है।</p> <p>राजस्व अनुदान</p> <p>वर्ष के दौरान ₹118.81 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹21.63 करोड़ के अप्रयुक्त शेष सहित) के सहायता अनुदान में से, ट्राई ने ₹104.07 करोड़ की राशि का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2023 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में ₹14.74 करोड़ का शेष रह गया।</p>

क्रमांक	सी ए बी का नाम	अवलोकन
		<p>पूंजी अनुदान</p> <p>वर्ष के दौरान प्राप्त ₹135.91 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹0.31 करोड़ के अप्रयुक्त शेष सहित) के सहायता अनुदान में से, ट्राई ने ₹91.04 करोड़ की राशि का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2023 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में ₹44.87 करोड़ का शेष रह गया।</p>
4	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण	<p>आय एवं व्यय लेखा</p> <p>व्यय / अन्य प्रशासनिक व्यय ₹1,567.32 लाख (अनुसूची XIX)</p> <p>यात्रा व्यय, भत्ते और अन्य प्रभारों के लिए प्रावधान शामिल न किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹19.70 लाख की कमी दर्शाई गई है, जिसके बिल 31.03.2023 तक प्राप्त हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष भी उतनी राशि से अधिक दर्शाया गया।</p> <p>अनुदान सहायता</p> <p>वर्ष के दौरान ₹73.68 करोड़ (₹40.68 करोड़ राजस्व और ₹33.00 करोड़ पूंजी) की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई। आई एफ एस सी ए ने 31 मार्च 2023 तक ₹58.59 करोड़ (₹40.68 करोड़ राजस्व और ₹17.91 करोड़ पूंजी) की राशि का उपयोग किया, जिससे ₹15.09 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान शेष रह गया।</p>

अनुलग्नक 2.1 (क)
{पैराग्राफ 2.1.8.2 (ड) देखें}

वर्ष 2021-22 में लिंक के उपयोग पर सारांश दिखाने वाला विवरण

आबंटित बैंडविड्थ का उपयोग (प्रतिशत में)	संस्थानों की संख्या	संस्थानों की संख्या (संचयी आंकड़ा)
<5	38	38
5-10	67	105
10-20	89	194
20-50	261	455
>50	959	1,414
कुल	1,414	

अनुलग्नक 2.1(ख)
{पैराग्राफ 2.1.8.2 (ड) देखें}

संस्थानों द्वारा बैंडविड्थ का उपयोग न किए जाने को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संस्थान आईडी	संस्थान का नाम	सेवा प्रदाता का नाम	अधिकतम बैंडविड्थ उपयोग (एमबी में)	
				2021-22	2020-21
1	आईएनएसटी/0882	थिरुमाला देवसम मेडिकल कॉलेज, अलप्पुझा	रेलटेल	1	1
2	आईएनएसटी/1173	उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एच ई एम आर एल), पुणे	पावर ग्रिड	1	2
3	आईएनएसटी/1257	बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा	पावर ग्रिड	1	1
4	आईएनएसटी/1595	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, रामनगर	बी एस एन एल	0	1
5	आईएनएसटी/1597	गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बेल्लारी	बी एस एन एल	0	1
6	आईएनएसटी/1622	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली	पावर ग्रिड	1	1
7	आईएनएसटी/1633	रिमाउंट एवं वेटनरी कोर्स सेंटर एवं कॉलेज, मेरठ	रेलटेल	1	2
8	आईएनएसटी/1808	आईएनएस ट्रोणाचार्य (गनर स्कूल), कोच्चि	बी एस एन एल	0	1

अनुलग्नक 2.2

{पैराग्राफ 2.1.8.3 (क) देखें}

01-01-2020 से 31-03-2020 तक की अवधि के लिए संशोधित दरों को लागू करने में देरी के कारण अधिक भुगतान की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

ऑपरेटरों का नाम	लिंक का प्रकार	भुगतान हेतु आवेदन की गई राशि	भुगतान हेतु देय राशि	अतिरिक्त भुगतान
बी एस एन एल	कोर लिंक	400.63	347.47	53.16
पी जी सी आई एल		1,094.94	979.30	115.65
आर सी आई एल		849.42	730.36	119.06
	उप - कुल	2,344.99	2,057.13	287.87
बी एस एन एल	रेज लिंक	861.32	597.26	264.06
पी जी सी आई एल		1,854.67	1,323.17	531.51
आर सी आई एल		2,110.46	1,500.13	610.32
एम टी एन एल		314.37	224.81	89.56
	उप - कुल	5,140.82	3,645.37	1,495.45
बी एस एन एल	जिला लिंक	1,090.70	753.45	337.25
पी जी सी आई एल		643.12	443.01	200.11
आर सी आई एल		868.78	604.92	263.86
	उप - कुल	2,602.60	1,801.38	801.22
कुल योग		10,088.41	7,503.88	2,584.54
				₹25.85 करोड़
बी एस एन एल	भारत संचार निगम लिमिटेड			
पी जी सी आई एल	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड			
आर सी आई एल	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड			
एम टी एन एल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड			

अनुलग्नक 2.3

{पैराग्राफ 2.1.8.3 (ख) देखें}

अनुबंध के आधार पर प्रभार्य दूरी को लागू न करने के कारण अतिरिक्त भुगतान की राशि दर्शाने वाला विवरण (राशि ₹ में)

क्र. सं.	लिंक आईडी	कोर लिंक प्रारंभ बिंदु	कोर लिंक अंत बिंदु	कार्य आदेश के अनुसार लागू स्लैब	रेडियल दूरी किमी में	प्रभार्य दूरी	लागू स्लैब	सेवा प्रदाता का नाम	बैंडविड्थ	डी ओ सी ओ
1	कोर/18-बी	बैंगलुरु	तिरुवनंतपुरम	>750 और <1000	507	633	>500 और <750	बी एस एन एल	2.5 जीबीपीएस	21 जनवरी 11
									10 जीबीपीएस	27 अगस्त 11
2	कोर/23-बी	कोलकाता	कोहिमा	>1250	731	914	>750 और <1000	बी एस एन एल	2.5 जीबीपीएस	1 फरवरी 12
3	कोर/24-बी	कोलकाता	इंफाल	>1250	671	839	>750 और <1000	बी एस एन एल	2.5 जीबीपीएस	3 सितम्बर 11
4	कोर/77-पी	कोलकाता	गुवाहाटी	>1000 और <1250	555	693	>500 और <750	पी जी सी आई एल	2.5 जीबीपीएस	23 मई 11
									10 जीबीपीएस	14 दिसंबर 12
5	कोर/80-पी	कोलकाता	शिलांग	>1000 और <1250	518	648	>500 और <750	पी जी सी आई एल	2.5 जीबीपीएस	30 नवंबर 10
									10 जीबीपीएस	14 दिसंबर 12
6	कोर/81-पी	कोलकाता	अगरतला	>1250	359	449	>250 और <500	पी जी सी आई एल	2.5 जीबीपीएस	23 मई 11
									10 जीबीपीएस	28 फरवरी 13
7	कोर/82-पी	कोलकाता	आइज़वाल	>1250	504	630	>500 और <750	पी जी सी आई एल	10 जीबीपीएस	5 मार्च 13
8	कोर/96-आर	कोलकाता	गुवाहाटी	>1000 और <1250	555	693	>500 और <750	रेलटेल	10 जीबीपीएस	5 जुलाई 17
9	कोर/102-आर	गुवाहाटी	अगरतला	>500 और <750	260	325	>250 और <500	रेलटेल	10 जीबीपीएस	3 नवंबर 17
10	कोर/88-पी	जम्मू	श्रीनगर	>250 और <500	151	189	<250	पी जी सी आई एल	2.5 जीबीपीएस	12 फरवरी 11
									10 जीबीपीएस	16 अप्रैल 13

31-03-2020 तक / अपग्रेड		01-04-2020 से 31-03-2022 तक		पूर्ण भुगतान	31-03-2020 तक / अपग्रेड		01-04-2020 से 31-03-2022 तक		कुल बचे	अतिरिक्त भुगतान
वार्षिक दर	भुगतान की गई राशि	वार्षिक दर	भुगतान की गई राशि		वार्षिक दर	देय राशि	वार्षिक दर	देय राशि		
63,20,000	37,74,685		-	37,74,685	47,40,000	28,31,014		-	28,31,014	₹ 9,43,671
90,40,000	7,77,68,767	76,84,000	1,53,68,000	9,31,36,767	67,80,000	5,83,26,575	61,02,000	1,22,04,000	7,05,30,575	₹ 2,26,06,192
94,40,000	7,71,23,507	80,24,000	1,60,48,000	9,31,71,507	63,20,000	5,16,33,534	53,72,000	1,07,44,000	6,23,77,534	₹ 3,07,93,973
94,40,000	8,10,28,822	80,24,000	1,60,48,000	9,70,76,822	63,20,000	5,42,48,110	53,72,000	1,07,44,000	6,49,92,110	₹ 3,20,84,712
79,00,000	1,23,58,630		-	1,23,58,630	47,40,000	74,15,178		-	74,15,178	₹ 49,43,452
1,13,00,000	8,25,05,479	96,05,000	1,92,10,000	10,17,15,479	67,80,000	4,95,03,288	61,02,000	1,22,04,000	6,17,07,288	₹ 4,00,08,191
79,00,000	1,61,24,658		-	1,61,24,658	47,40,000	96,74,795		-	96,74,795	₹ 64,49,863
1,13,00,000	8,25,05,479	96,05,000	1,92,10,000	10,17,15,479	67,80,000	4,95,03,288	61,02,000	1,22,04,000	6,17,07,288	₹ 4,00,08,191
94,40,000	1,67,33,370		-	1,67,33,370	31,60,000	56,01,425		-	56,01,425	₹ 1,11,31,945
1,35,00,000	9,57,57,534	1,14,75,000	2,29,50,000	11,87,07,534	45,20,000	3,20,61,041	40,68,000	81,36,000	4,01,97,041	₹ 7,85,10,493
1,35,00,000	9,55,72,603	1,14,75,000	2,29,50,000	11,85,22,603	67,80,000	4,79,98,685	61,02,000	1,22,04,000	6,02,02,685	₹ 5,83,19,918
1,13,00,000	3,09,89,863	96,05,000	1,92,10,000	5,01,99,863	67,80,000	1,85,93,918	61,02,000	1,22,04,000	3,07,97,918	₹ 1,94,01,945
67,80,000	1,63,46,301	61,02,000	1,22,04,000	2,85,50,301	45,20,000	1,08,97,534	40,68,000	81,36,000	1,90,33,534	₹ 95,16,767
31,60,000	68,74,082		-	68,74,082	15,80,000	34,37,041		-	34,37,041	₹ 34,37,041
45,20,000	3,14,79,014	40,68,000	81,36,000	3,96,15,014	22,60,000	1,57,39,507	20,34,000	40,68,000	1,98,07,507	₹ 1,98,07,507
										₹37,79,63,861

अनुलग्नक 2.4

{पैराग्राफ 2.1.8.3 (ग) देखें}

06 जिला लिंकों को बंद करने में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप हुए ₹1.01 करोड़ के निष्फल व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	जिला लिंक नाम	दूरी स्लैब (किमी में)	डी-हायर्ड जिला लिंक				नए जिला लिंक से प्रतिस्थापित			दिनों में अंतर (डी 1- डी 2)	100 एम बी पी एस लिंक भुगतान के लिए वार्षिक दर (₹ लाख में)	सेवा प्रभार (365 दिनों के आधार पर गणना की गई राशि ₹ लाख में)
			लिंक आईडी	टी एस पी और बैंडविड्थ	हटाने का कारण	हटाने की तिथि (डी 1)	लिंक आईडी	टी एस पी और बैंडविड्थ	कमीशनिंग की तिथि (डी 2)			
1	बेंगलुरु से दावणगेरे	>20	डीएचक्यू/461	बी एस एन एल (100 एमबीपीएस)	टोपोलॉजी में परिवर्तन	14-02-2017	डीएचक्यू/428	पीजीसीआईएल (1जी)	30-01-2016	381	15.00	15.66
2	तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम	>20	डीएचक्यू/469	बी एस एन एल (100 एमबीपीएस)	टोपोलॉजी में परिवर्तन	14-02-2017	डीएचक्यू/431	पीजीसीआईएल (1जी)	01-07-2015	594	15.00	24.41
3	भुवनेश्वर से अंगुल	>20	डीएचक्यू/485	बी एस एन एल (100 एमबीपीएस)	टोपोलॉजी में परिवर्तन	14-02-2017	डीएचक्यू/432	पीजीसीआईएल (1जी)	02-01-2016	409	15.00	16.81
4	भुवनेश्वर से झारसुगुड़ा	>20	डीएचक्यू/487	बी एस एन एल (100 एमबीपीएस)	टोपोलॉजी में परिवर्तन	14-02-2017	डीएचक्यू/436	पीजीसीआईएल (1जी)	14-06-2016	245	15.00	10.07

क्रम सं.	जिला लिंक नाम	दूरी स्लैब (किमी में)	डी-हायर्ड जिला लिंक				नए जिला लिंक से प्रतिस्थापित			दिनों में अंतर (डी 1- डी 2)	100 एम बी पी एस लिंक भुगतान के लिए वार्षिक दर (र लाख में)	सेवा प्रभार (365 दिनों के आधार पर गणना की गई राशि र लाख में)
			लिंक आईडी	टी एस पी और बैंडविड्थ	हटाने का कारण	हटाने की तिथि (डी 1)	लिंक आईडी	टी एस पी और बैंडविड्थ	कमीशनिंग की तिथि (डी 2)			
5	भुवनेश्वर से बोलनगीर	>20	डीएचक्यू/488	बी एस एन एल (100 एमबीपीएस)	टोपोलॉजी में परिवर्तन	14-02-2017	डीएचक्यू/433	पीजीसीआईएल (1जी)	30-12-2015	412	15.00	16.93
6	भुवनेश्वर से ढेंकनाल	>20	डीएचक्यू/489	बी एस एन एल (100 एमबीपीएस)	टोपोलॉजी में परिवर्तन	14-02-2017	डीएचक्यू/434	पीजीसीआईएल (1जी)	31-12-2015	411	15.00	16.89
कुल											100.77	
											र 1.01 करोड़	

अनुलग्नक 2.5

{पैराग्राफ 2.1.8.3(घ) देखें}

एन के एन परियोजना में नेटवर्किंग उपकरणों के ए एम सी की अवधि जो अनुबंध में शामिल नहीं थी, के लिए एन आई सी एस आई द्वारा निजी विक्रेताओं को अनियमित भुगतान दिखाने वाला विवरण

क्रम सं.	पी.ओ. सं.	पी ओ की तिथि	विक्रेता का नाम	आवश्यक ए एम सी की अवधि	ए एम सी की मांग की तिथि	बोली प्रकाशन की तिथि	पी ओ को अंतिम रूप देने और रखने की तिथि	पी ओ की राशि (₹)	अनुबंध के अनुसार एएमसी अवधि	एएमसी अनुबंध के अनुसार	एएमसी अवधि वास्तविक के अनुसार	एएमसी अवधि वास्तविक के अनुसार	अनुबंध के अंतर्गत कवर न की गई अवधि (दिनों में)	अनुबंध के अनुसार प्रति दिन राशि (₹)	अनुबंध के बाहर की अवधि के लिए भुगतान की राशि (₹)
1	जीईएमसी-5116877-05461133	06-नवंबर-19	इंस्पिरा एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3-10-2019 से 31-3-2020	18-09-2019	23-09-2019	06-11-2019	54,84,639	07-11-2019	06-05-2020	03-10-2019	31-03-2020	35	30,302	10,60,566
2	जीईएमसी-5116877-64287385	03-जून-20	इंस्पिरा एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	27-6-2019 से 31-3-2020	25-04-2019	08-01-2020	03-06-2020	30,00,001	04-06-2020	07-03-2021	15-10-2019	31-03-2020	233	10,870	25,32,610
3	जीईएमसी-5116877-98855685	20-मई-21	इंस्पिरा एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1-4-2021 से 31-3-2022	19-03-2021	01-04-2021	20-05-2021	6,53,65,200	27-05-2021	26-05-2022	01-04-2021	31-03-2022	56	1,79,575	1,00,56,185
4	जीईएमसी-5116877-26913461	18-जून-21	आर्सेनल इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1-4-2021 से 31-3-2022	05-02-2021	16-04-2021	18-06-2021	2,94,89,498	25-06-2021	29-06-2022	01-04-2021	31-03-2022	85	79,917	67,92,974

क्रम सं.	पी.ओ. सं.	पी ओ की तिथि	विक्रेता का नाम	आवश्यक ए एम सी की अवधि	ए एम सी की मांग की तिथि	बोली प्रकाशन की तिथि	पी ओ को अंतिम रूप देने और रखने की तिथि	पी ओ की राशि (₹)	अनुबंध के अनुसार एएमसी अवधि	एएमसी अनुबंध के अनुसार	एएमसी अवधि वास्तविक के अनुसार	एएमसी अवधि वास्तविक के अनुसार	अनुबंध के अंतर्गत कवर न की गई अवधि (दिनों में)	अनुबंध के अनुसार प्रति दिन राशि (₹)	अनुबंध के बाहर की अवधि के लिए भुगतान की राशि (₹)
5	जीईएमसी-511687778131467	21-जून-21	आर्सेनल इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1-4-2021 से 31-3-2022	19-03-2021	08-04-2021	21-06-2021	11,40,13,200	28-06-2021	27-06-2022	01-04-2021	31-03-2022	88	3,13,223	2,75,63,631
6	जीईएमसी-511687755323453	30-सितम्बर-21	इंस्पिरा एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	14-6-2021 से 31-3-2022	14-06-2021	02-07-2021	30-09-2021	2,04,57,360	07-10-2021	23-07-2022	14-06-2021	31-03-2022	115	70,787	81,40,472
7	जीईएमसी-511687728531912	30-सितम्बर-21	आर्सेनल इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	17-8-2021 से 31-3-2022	14-06-2021	02-07-2021	30-09-2021	2,64,06,000	07-10-2021	21-05-2022	17-08-2021	31-03-2022	51	1,16,841	59,58,876
8	जीईएमसी-511687786789056	26-मई-22	इंस्पिरा एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1-4-2022 से 31-3-2023	09-03-2022	25-03-2022	26-05-2022	9,60,86,250	02-06-2022	01-06-2023	01-04-2022	31-03-2023	62	2,63,973	1,63,66,339
							कुल	36,03,02,148							7,84,71,652
															₹ 7.85 करोड़

अनुलग्नक 2.6

{पैराग्राफ 2.1.8.3 (घ) देखें}

पिछली अवधि के लिए ए एम सी पर अतिरिक्त भुगतान की गणना

I. मौजूदा ए एम सी का विवरण

अनुबंध / पी ओ संख्या एवं दिनांक	विक्रेता	राशि (₹ लाख में)	वारंटी / ए एम सी की अवधि
एन1350166 दिनांक 31-05-2013	मेसर्स एच सी एल कॉमनेट लिमिटेड	4.52	29-06-2017 से 28-06-2018
एन1750103 दिनांक 04-05-2017	मेसर्स विप्रो लिमिटेड	828.38	01-07-2017 से 30-06-2018
	कुल	832.90	

II. नए ए एम सी का विवरण

अनुबंध / पी ओ संख्या एवं दिनांक	विक्रेता	राशि (₹ लाख में)	वारंटी / ए एम सी की अवधि
जीईएमसी-511687757- 940960 दिनांक 28-11-2018	मेसर्स आर्सेनल इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1,367.98	29-11-2018 से 28-11-2019
ओ1900325 दिनांक 02-07-2019	मेसर्स आर्सेनल इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	565.93 (यथानुपात आधार)	01-07-2018 से 28-11-2018
	कुल	1,933.91	

छूटी हुई अवधि: 01-07-2018 से 28-11-2018 (4 माह 28 दिन) यानि 151 दिन

1. आनुपातिक आधार पर वास्तव में भुगतान की गई राशि: ₹565.93 लाख (क)

2. पिछली अवधि के लिए ए एम सी की लागत के अनुसार देय राशि:

❖ मेसर्स विप्रो लिमिटेड- 01-07-2017 से 30-06-2018 तक: ₹828.38 लाख

❖ मेसर्स एच सी एल कॉमनेट लिमिटेड- 29-06-2017 से 28-06-2018 तक: ₹4.52 लाख

❖ ए एम सी की कुल लागत = ₹832.90 लाख

❖ पिछली अवधि के लिए एक दिन की ए एम सी लागत: ₹832.90 लाख को 365 दिनों से विभाजित करने पर = ₹2.2819 लाख

❖ अतः 151 दिनों की लुप्त अवधि के लिए ए एम सी की आनुपातिक लागत = ₹2.2819 लाख *
151 = ₹344.57 लाख (ख)

3. अतिरिक्त भुगतान (क - ख) = ₹221.36 लाख यानि, ₹2.21 करोड़

अनुलग्नक 2.7
{पैराग्राफ 2.2.4.1 (ख) देखें}

एम एस आई पी एस के वर्टिकल के अंतर्गत संवितरण का विवरण

क्रम सं.	वर्टिकल संख्या*	वर्टिकल नाम	मामलों की संख्या	संवितरण वाले मामलों की संख्या	संवितरण की राशि (₹ करोड़)
1	ए 1	दूरसंचार उत्पाद	45	17	480.66
2	ए 2	आईटी हार्डवेयर उत्पाद	4	1	13.58
3	ए 3	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	6	2	54.49
4	ए 4	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स	7	2	12.13
5	ए 5	सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स	8	3	21.43
6	ए 6	सोलर फोटोवोल्टिक	4	2	5.8
7	ए 7	एल ई डी	10	1	4.24
8	ए 9	वैमानिकी	2	0	0.00
9	ए 10	औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स	21	8	29.83
10	ए 13	ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स	52	18	279.63
11	ए 15	ऊर्जा संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स	3	2	2.86
12	ए 16	ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स	2	0	0.00
13	ए 17	बायोमेट्रिक और पहचान उपकरण	8	4	10.27
14	ए 18	ईएसडीएम उत्पादों के लिए विद्युत आपूर्ति	1	0	0.00
15	ए 19	उपभोक्ता उपकरण	23	11	235.10
16	ए 25	इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण	1	0	0.00
कुल ए			197	71	1,150.02
17	बी 1	नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक	2	0	0.00
18	बी 2	अर्धचालक वेफरिंग	11	6	402.20
19	बी 8	विद्युत-यांत्रिक घटक और यांत्रिक भाग	50	24	120.64
20	बी 9	उपभोग्य वस्तुएं और सहायक उपकरण	13	4	16.62

क्रम सं.	वर्टिकल संख्या*	वर्टिकल नाम	मामलों की संख्या	संवितरण वाले मामलों की संख्या	संवितरण की राशि (₹ करोड़)
21	बी 13	कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड	2	0	0.00
कुल बी			78	34	539.46
22	सी	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवाएँ (ई एम एस)	35	8	63.31
23	इ	इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए विशेष रूप से कच्चा माल	3	1	2.89
ए+बी+सी+ई का योग			313	114	1,755.68

*यदि कोई आवेदन एक से अधिक वर्टिकल से संबंधित है, तो गणना के प्रयोजन के लिए, एम-एस आई पी एस आवेदन के अनुमोदन पत्र में दर्शाए गए पहले वर्टिकल को ध्यान में रखा गया।

अनुलग्नक 2.8
{पैराग्राफ 2.2.4.2 (क) देखें}

मार्च 2022 तक एम एस आई पी एस के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन एवं संवितरण का विवरण (24 चयनित मामले)

क्रम सं.	आवेदक	आवेदन प्राप्त की तिथि	समय क्षेत्र*	मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	अनुमोदन का दिनांक	स्वीकृत पूंजी व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजना पूरी होने की अवधि	पुरा होना	दावा	दावा प्रस्तुत किया गया	सत्यापन पूरा हुआ	वितरित प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वितरित सब्सिडी/प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)	देरी
1	मुंद्रा सोलर पी वी लिमिटेड	14-सितम्बर-15	II	01-मई-18	27-नवंबर-18	25-फरवरी-19	1,710.71	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	13-सितम्बर-25	दावा I (ताज़ा)	20-जून-19	24-जून-19	20-सितम्बर-19	1,803.86	294.91	1,075
										आरपीटी दावा (दावा I की रोकी गई राशि)	30-सितम्बर-19	22-अक्टूबर-19	04-जून-20	62.16	12.43	
										दावे की अस्वीकृति I	25-नवंबर-19	09-मार्च-20	02-जून-20	32.51	6.39	
2	सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	23-जून-17	III	01-नवम्बर-17	14-नवंबर-17	06-मार्च-18	2,036.65	अनुमोदन की तिथि से 5 वर्ष	05-मार्च-23	दावा I (ताज़ा)	17-फरवरी-21	08-मार्च-21	09-मार्च-22	1,192.85	205.25	71
3	स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	02-सितम्बर-15	II	03-नवम्बर-15	16-नवंबर-15	15-फरवरी-16	875.36	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	01-सितम्बर-25	दावा I (ताज़ा)	18-मई-18	09-जुलाई-18	27-अगस्त-18	238.89	13.4	
										दावा II (नया)	20-मार्च-18	09-जुलाई-18	27-अगस्त-18		15.42	

क्रम सं.	आवेदक	आवेदन प्राप्ति की तिथि	समय क्षेत्र*	मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	अनुमोदन का दिनांक	स्वीकृत पूंजी व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजना पूरी होने की अवधि	पुरा होना	दावा	दावा प्रस्तुत किया गया	सत्यापन पूरा हुआ	वितरित प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वितरित सब्सिडी/प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)	देरी
										दावा I (चरण II और III)	14-अक्टूबर-19	21-नवंबर-19	01-नवंबर-21	670.56	128.85	
4	बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	21-जनवरी-13	I	01-मार्च-13	11-अप्रैल-13	12-जुलाई-13	426.9	अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष	11-जुलाई-23	दावा I (ताज़ा)	09-जुलाई-14	30 अक्टूबर-14	01-जनवरी-15	111.84	13.74	
										दावा II (नया)	18-नवंबर-15	30-जून-16	28-दिसंबर-16	176.50	21.16	
										दावा III (नया)	17-दिसम्बर-16	09-अप्रैल-18	01-अगस्त-18	71.20	12.46	
										दावा IV (नया)	06-दिसम्बर-17	07-जून-18	28-सितम्बर-18	57.06	12.42	
										दावे का आरपीटी दावा II	19-फरवरी-19	27-फरवरी-19	30-मार्च-19	54.89	11.21	
										दावे III का आरपीटी दावा	14-अगस्त-20	25-अगस्त-20	15-जनवरी-21	10.19	2.42	
5	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	27-अगस्त-15	II	01-नवम्बर-15	16-नवंबर-15	15-फरवरी-16	250.19	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	26-अगस्त-25	दावा I	20-अगस्त-18	20-अगस्त-18	26-दिसंबर-18	153.94	15.52	
										दावा II	01-अक्टूबर-18	30-नवंबर-18	29-मार्च-19	25.39	4.36	

क्रम सं.	आवेदक	आवेदन प्राप्ति की तिथि	समय क्षेत्र*	मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	अनुमोदन का दिनांक	स्वीकृत पूंजी व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजना पूरी होने की अवधि	पुरा होना	दावा	दावा प्रस्तुत किया गया	सत्यापन पूरा हुआ	वितरित प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वितरित सब्सिडी/प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)	देरी
										दावा III	23-दिसंबर-19	23-जनवरी-20	24-मार्च-20	55.42	7.29	
										दावे की रोकी गई राशि का आरपीटी दावा I	02-जून-20	01-जुलाई-20	10-मार्च-21	86.36	21.45	
										दावे की रोकी गई राशि का आरपीटी दावा II	14-अक्टूबर-19	30-सितम्बर-20	21-मई-21	2.90	0.72	
										दावा III की रोकी गई राशि का आरपीटी दावा	21-दिसम्बर-20	21-दिसम्बर-20	24-फरवरी-21	20.13	5.03	
6	लिबर्ट एप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	29-जून-16	II	01-अगस्त-17	23-अगस्त-17	22-नवम्बर-17	341.99	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	28-जून-26	दावा I	28-जुलाई-18	21-अगस्त-18	28-दिसंबर-18	192.92	22.33	326
										दावा I (रोकी गई बिल्डिंग की राशि)	11-मार्च-19	30-मई-19	21-अगस्त-19	43.59	10.9	
										दावा II	17-अक्टूबर-19	13-नवंबर-19	24-मार्च-20	68.65	12.04	
										दावा II (रोकी गई राशि के साथ - अनुसंधान एवं विकास और उपकरण)	13-मई-20	13-नवंबर-19	04-सितम्बर-20	11.93	1.85	

क्रम सं.	आवेदक	आवेदन प्राप्त की तिथि	समय क्षेत्र*	मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	अनुमोदन का दिनांक	स्वीकृत पूंजी व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजना पूरी होने की अवधि	पुरा होना	दावा	दावा प्रस्तुत किया गया	सत्यापन पूरा हुआ	वितरित प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वितरित सब्सिडी/प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)	देरी
										दावा III	27-अप्रैल-21	30-अप्रैल-21	18-अक्टूबर-21	25.92	2.72	
										दावा II का आरपीटी	15-नवंबर-21	02-दिसम्बर-21	17-फरवरी-22	0.24	0.06	
7	हायर अप्लायंसेज इंडिया लिमिटेड (पी)	15-अक्टूबर-15	II	15-जनवरी-16	01-फरवरी-16	29-मार्च-16	386.15	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	14-अक्टूबर-25	दावा I	07-सितम्बर-18	26-नवंबर-18	05-फरवरी-19	469.06	42.06	
										दावा II	14-अगस्त-19	16-अगस्त-19	15-जनवरी-20	33.00	1.09	
8	मंडो हेला इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	25-जुलाई-15	I	01-जनवरी-16	02-फरवरी-16	21-मार्च-16	210.56	अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष	20-मार्च-26	दावा I	09-अक्टूबर-17	03-जनवरी-18	19-अप्रैल-18	210.55	29.68	55
										दावा II	17-सितम्बर-18	20-फरवरी-19	09-दिसंबर-19	7.09	1.56	
										दावा III	15-मार्च-21	18-मार्च-21	08-जुलाई-21	21.04	3.59	
9	हैवेल्स इंडिया लिमिटेड	25-जनवरी-18	III	01-जुलाई-18	05-सितम्बर-18	05-नवंबर-18	315.31	अनुमोदन की तिथि से 5 वर्ष	04-नवंबर-23	दावा I	05-मार्च-20	19-मार्च-20	22-अप्रैल-20	195.44	22.49	99
										दावा II	08-अक्टूबर-20	04-नवंबर-20	05-फरवरी-21	49.90	8.42	

क्रम सं.	आवेदक	आवेदन प्राप्ति की तिथि	समय क्षेत्र*	मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	अनुमोदन का दिनांक	स्वीकृत पूंजी व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजना पूरी होने की अवधि	पुरा होना	दावा	दावा प्रस्तुत किया गया	सत्यापन पूरा हुआ	वितरित प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वितरित सब्सिडी/प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)	देरी
										दावा III	16-जून-21	18-जून-21	18-अक्टूबर-21	9.93	1.91	
										दावा IV	03-फरवरी-22	14-फरवरी-22	21-मार्च-22	7.68	1.81	
10	सकुरा प्रीमियर सोलर प्राइवेट लिमिटेड (प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड)	01-दिसम्बर-18	III	01-मई-20	08-जून-20	08-जुलाई-20	224.72	अनुमोदन की तिथि से 5 वर्ष	07-जुलाई-25	दावा I	05-जनवरी-22	21-जनवरी-22	09-मार्च-22	179.63	32.77	400
11	मैग्नेटी मारेली पावरट्रेन इंडिया (पी) लिमिटेड (मारेली पावरट्रेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	20-नवम्बर-14	I	04-जनवरी-15	12-फरवरी-15	06-अप्रैल-15	192.05	अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष	05-अप्रैल-25	दावा में	04-मई-16	16-जून-17	25-अक्टूबर-17	110.06	14.36	
										दावा II	16-सितम्बर-16	16-जून-17	25-अक्टूबर-17		3.91	
										दावा III	22-जनवरी-19	28-फरवरी-19	22-नवंबर-19	40.90	8.42	
										दावा IV	05-जनवरी-21	03-फरवरी-21	17-मार्च-21	14.10	2.77	

क्रम सं.	आवेदक	आवेदन प्राप्त की तिथि	समय क्षेत्र*	मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	अनुमोदन का दिनांक	स्वीकृत पूंजी व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजना पूरी होने की अवधि	पुरा होना	दावा	दावा प्रस्तुत किया गया	सत्यापन पूरा हुआ	वितरित प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वितरित सब्सिडी/प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)	देरी
12	वेलकिनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	05-अगस्त-15	II	01-नवम्बर-15	02-फरवरी-16	29-मार्च-16	100.96	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	04-अगस्त-25	दावा I	12-अप्रैल-16	15-जून-17	23-अक्टूबर-17	69.80	12.8	52
										दावे I का अस्वीकृति दावा	02-अप्रैल-18	11-अप्रैल-18	28-नवंबर-19	0.98	0.78	
										दावा II	02-फरवरी-18	22-फरवरी-18	07-मई-18	23.65	8.68	
										दावा III	12-जनवरी-18	11-अप्रैल-18	30-जुलाई-18	18.69	5.42	
13	निडेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	13-अगस्त-14	I	20-अक्टूबर-14	18-नवंबर-14	17-दिसम्बर-14	181.91	अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष	16-दिसम्बर-24	दावा I	05-सितम्बर-16	02-जून-17	29-अगस्त-17	90.94	12.68	
										दावा II (दावा I के अतिरिक्त संवितरण की वसूली)	15-जनवरी-20	20-फरवरी-20	ना	0.00	0	
										रोके गए दावे I का आरपीटी दावा	11-मई-20	27-मई-20	08-सितम्बर-20	21.65	5.05	
										रोके गए दावे II का आरपीटी दावा	14-सितम्बर-20	18-सितम्बर-20	06-जनवरी-21	11.58	2.89	
										दावा III	25-फरवरी-21	26-फरवरी-21	22-जुलाई-21	22.52	5.22	

क्रम सं.	आवेदक	आवेदन प्राप्ति की तिथि	समय क्षेत्र*	मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	अनुमोदन का दिनांक	स्वीकृत पूंजी व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजना पूरी होने की अवधि	पुरा होना	दावा	दावा प्रस्तुत किया गया	सत्यापन पूरा हुआ	वितरित प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वितरित सब्सिडी/प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)	देरी
14	जेबिल सर्किट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	18-दिसम्बर-13	I	04-अप्रैल-14	23-अप्रैल-14	04-जून-14	103.64	अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष	03-जून-24	दावा I	10-नवंबर-16	13-जून-17	29-अगस्त-17	103.64	24.97	
										दावे I का अस्वीकृति दावा	13-मई-19	04-जून-19	23-अगस्त-19	1.77	0.44	
15	मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.	21-अगस्त-15	II	08-नवंबर-15	16-नवंबर-15	05-फरवरी-16	108.1	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	20-अगस्त-25	दावा I	16-अप्रैल-18	16-मई-18	04-सितम्बर-18	74.84	2.17	
										दावा I का आरपीटी दावा	15-जनवरी-20	29-जनवरी-20	24-मार्च-20	53.75	13.44	
										दावा II	22-जनवरी-20	24-मार्च-20	06-नवंबर-20	27.60	0.22	
										आरपीटी दावा II का दावा	12-जुलाई-21	14-जुलाई-21	04-अक्टूबर-21	24.17	6.04	
16	बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	17-अक्टूबर-17	III	01-मार्च-18	16-अप्रैल-18	09-जुलाई-18	88.97	अनुमोदन की तिथि से 5 वर्ष	08-जुलाई-23	दावा I	10-अक्टूबर-19	31-अक्टूबर-19	21-जनवरी-20	88.46	20.18	80
17	विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड	23-मार्च-18	III	01-जून-18	27-जून-18	17-अगस्त-18	53.68	अनुमोदन की तिथि से 5 वर्ष	16-अगस्त-23	दावा I	15-मई-19	12-जून-19	10-जनवरी-20	34.86	7.52	

क्रम सं.	आवेदक	आवेदन प्राप्ति की तिथि	समय क्षेत्र*	मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	अनुमोदन का दिनांक	स्वीकृत पूंजी व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजना पूरी होने की अवधि	पुरा होना	दावा	दावा प्रस्तुत किया गया	सत्यापन पूरा हुआ	वितरित प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वितरित सब्सिडी/प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)	देरी
										दावा II	12-नवम्बर-20	18-नवंबर-20	12-फरवरी-21	6.17	1.49	
										दावा I (चरण II)	10-अगस्त-21	20-अगस्त-21	30-दिसम्बर-21	15.91	3.89	
18	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	08-मार्च-16	II	01-जून-16	15-जून-16	07 मार्च 17	62.44	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	07-मार्च-26	दावा I	22-दिसम्बर-17	22-जून-18	27-अगस्त-18	60.01	11.7	179
19	विशाखा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड.	19-अक्टूबर-15	II	01-अप्रैल-17	19-अप्रैल-17	04-अगस्त-17	48.25	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	18-अक्टूबर-25	दावा I	01-मार्च-18	01-मार्च-18	11-मई-18	27.30	5.03	470
										दावा II	30-अक्टूबर-18	31-अक्टूबर-18	31-दिसंबर-18	19.04	3.76	
20	एच आई क्यू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	21-जुलाई-15	I	01-फरवरी-16	26-फरवरी-16	25-अप्रैल-16	20.83	अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष	24-अप्रैल-26	दावा I	28-मार्च-17	23-जून-17	10-अक्टूबर-17	17.71	6.42	94
21	सेल्कॉन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	01-जुलाई-16	II	01-जनवरी-18	11-जनवरी-18	27-मार्च-18	44.84	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	30-जून-26	दावा I	08-अगस्त-17	13-अगस्त-18	28-सितम्बर-18	34.25	5.73	449
22	सिक्थोर मीटर्स लिमिटेड	25-जनवरी-16	II	25-जनवरी-16	02-फरवरी-16	22-मार्च-16	29.74	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	24-जनवरी-26	दावा I	21-मार्च-17	27-जून-17	02-नवम्बर-17	20.68	4.6	

क्रम सं.	आवेदक	आवेदन प्राप्त की तिथि	समय क्षेत्र*	मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	अनुमोदन का दिनांक	स्वीकृत पूंजी व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजना पूरी होने की अवधि	पुरा होना	दावा	दावा प्रस्तुत किया गया	सत्यापन पूरा हुआ	वितरित प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वितरित सब्सिडी/प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)	देरी
										दावा II	18-जून-18	18-जून-18	25-अक्टूबर-19	12.31	0.8	
23	वीएसयूएन मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड	13-अक्टूबर-15	II	11-फरवरी-16	26-फरवरी-16	02-मार्च-17	16.16	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	12-अक्टूबर-25	दावा I	14-अगस्त-17	18-अप्रैल-18	27-अगस्त-18	16.15	4.35	321
24	टी ई कनेक्टिविटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	25-फरवरी-16	II	01-अगस्त-17	17-अगस्त-17	07-दिसम्बर-17	22.15	आवेदन की तिथि से 10 वर्ष	24-फरवरी-26	दावा I	19-सितम्बर-18	26-मार्च-19	30-मार्च-19	13.16	2.6	466
										दावा II	28-मई-20	19-जून-20	15-अक्टूबर-20	1.83	0.46	
										आरपीटी दावा	19-मई-20	12-जून-20	25-नवंबर-20	2.50	0.44	
24 आवेदकों द्वारा पूंजीगत व्यय का निवेश													7434.20		14	

*समय क्षेत्र-I का तात्पर्य 27 जुलाई 2012 से 02 अगस्त 2015 तक प्राप्त आवेदनों से है।
 समय क्षेत्र-II का तात्पर्य 03 अगस्त 2015 से 29 जनवरी 2017 तक प्राप्त आवेदनों से है।
 समय क्षेत्र-III का तात्पर्य 30 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक प्राप्त आवेदन से है।

अनुलग्नक 2.9

{पैराग्राफ 2.2.4.4 (ख) देखें}

एम-एस आई पी एस के अंतर्गत तिमाही प्रगति रिपोर्ट की स्थिति

स्वीकृत आवेदनों की संख्या	ऐसे आवेदकों की संख्या जिन्होंने कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की	स्वीकृत आवेदनों की संख्या जिसमें संवितरण किया गया	नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने वाले आवेदकों की संख्या	आवश्यक तिमाही प्रगति रिपोर्ट संख्या	वास्तविक तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपलोड की गई
313	30	114	54	4,966	3,563

अनुलग्नक 3.1
(पैराग्राफ 3.1 देखें)

डाक इकाइयों द्वारा बी एन पी एल योजना के तहत बुक किए गए स्पीड पोस्ट लेखों पर जी एस टी की वसूली न होने का विवरण दर्शाने वाला अनुलग्नक

क्रम सं.	डाक सर्किल का नाम	इकाई का नाम	वह अवधि जिसके लिए जीएसटी के बिना बिल जारी किए गए		महीनों/दिनों की कुल संख्या	चालान की कुल राशि (₹ में)	जीएसटी की राशि वसूल नहीं हुई (₹ में)
			से	को			
1	आंध्र प्रदेश	सी पी एम जी विजयवाड़ा (कुरनूल क्षेत्र)	जुलाई-22	फ़रवरी-23	8 महीने	74,015	13,323
		सी पी एम जी विजयवाड़ा (विजयवाड़ा क्षेत्र)	जुलाई-22	फ़रवरी-23	8 महीने	2,07,42,483	37,33,647
		सी पी एम जी विजयवाड़ा (विशाखापत्तनम क्षेत्र)	जुलाई-22	फ़रवरी-23	8 महीने	3,58,064	64,452
2	बिहार	जी पी ओ रांची	जुलाई-22	फ़रवरी-23	8 महीने	24,04,528	4,32,815
3	गुजरात	सी पी एम जी अहमदाबाद	सितम्बर 22	जनवरी-23	5 महीने	7,56,56,850	1,36,18,233
4	हरयाणा	जी पी ओ अंबाला	जुलाई-22	फ़रवरी-23	8 महीने	40,69,929	7,32,587
5	हिमाचल प्रदेश	सी पी एम जी शिमला	जुलाई-22	फ़रवरी-23	8 महीने	1,16,91,867	21,04,536
6	जम्मू और कश्मीर	जी पी ओ श्रीनगर	नवम्बर-22	मई-23	7 माह	22,79,611	4,10,330
7	कर्नाटक	एन एस एच बेंगलुरु	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	2,02,29,078	36,41,234
		जी पी ओ बेंगलुरु	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	1,37,97,321	24,83,518
8	केरल	एन एस एच त्रिवेंद्रम	अगस्त-22	फ़रवरी-23	7 माह	7,74,72,634	1,39,45,074
		एन एस एच एर्नाकुलम	अगस्त-22	मार्च-23	8 महीने	1,21,80,347	21,92,462
		एन एस एच कोझिकोड	अगस्त-22	फ़रवरी-23	7 माह	1,20,11,534	21,62,076
9	पश्चिम बंगाल	जी पी ओ कोलकाता	जुलाई-22	फ़रवरी-23	8 महीने	1,29,18,689	23,25,364
10	मध्य प्रदेश	एन एस एच भोपाल	जुलाई-22	सितम्बर-23	15 महीने	1,21,89,953	21,94,192
		टी टी नगर मुख्यालय भोपाल	अगस्त-22	जून-23	11 महीने	8,87,12,440	1,59,68,239

क्रम सं.	डाक सर्किल का नाम	इकाई का नाम	वह अवधि जिसके लिए जीएसटी के बिना बिल जारी किए गए		महीनों/दिनों की कुल संख्या	चालान की कुल राशि (₹ में)	जीएसटी की राशि वसूल नहीं हुई (₹ में)
			से	को			
11	महाराष्ट्र	सी पी एम जी मुंबई (मुंबई क्षेत्र)	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	9,49,99,199	1,70,99,856
		सी पी एम जी मुंबई (नई मुंबई क्षेत्र)	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	5,22,74,208	94,09,357
		सी पी एम जी मुंबई (गोवा क्षेत्र)	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	2,58,91,445	46,60,460
		सी पी एम जी मुंबई (पुणे क्षेत्र)	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	46,88,261	8,43,887
		सी पी एम जी मुंबई (नागपुर क्षेत्र)	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	1,76,64,855	31,79,674
		सी पी एम जी मुंबई (औरंगाबाद क्षेत्र)	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	3,40,49,391	61,28,890
12	ओडिशा	सी पी एम जी ओडिशा	जुलाई-22	फरवरी-23	8 महीने	2,06,37,652	37,14,777
13	पंजाब	एन एस एच चंडीगढ़	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	5,53,48,934	99,62,808
		जी पी ओ जालंधर सिटी	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	77,28,901	13,91,202
14	दिल्ली	बी पी सी मार्केट रोड	जुलाई-22	फरवरी-23	8 महीने	5,35,62,372	96,41,227
		इंद्रप्रस्थ एच ओ	जुलाई-22	फरवरी-23	8 महीने	71,06,252	12,79,125
		सहायक निदेशक, नई दिल्ली जीपी ओ।	जुलाई-22	जनवरी-23	7 माह	51,96,632	9,35,394
		सीनियर पोस्ट मास्टर, संसद मार्ग पी.ओ.	अगस्त-22	सितम्बर-23	14 महीने	23,10,921	4,15,966
15	तमिलनाडु	बी एन पी एल हब, अन्ना रोड चेन्नई	अगस्त-22		1 महीना	33550	33,550
		रामनाथपुरम एच पी ओ	सितम्बर 22		1 महीना	21265	21,265
		पी एम जी मध्य क्षेत्र त्रिची	जुलाई-22	फरवरी-23	8 महीने	57,66,863	10,38,035
कुल						75,40,70,044	13,57,32,607

अनुलग्नक 4.1
{पैरा संख्या 4.1.4.3 क (1)}

11वें वाहक से परे एम डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिए एस यू सी की गणना

(₹ करोड़ में)

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड

वर्ष	तिमाही	ए जी आर	सी सी ए के अनुसार	लेखापरीक्षा के अनुसार	अंतर
			एस यू सी @ 3.95 %	एस यू सी @ 6.85 %	
2018-19	तिमाही 3	366.89	14.49	25.13	10.64

एस यू सी की कम उगाही की गणना की विधि:

विवरण	वाहकों की संख्या	एस यू सी दर	संचयी एस यू सी दर
दूरसंचार विभाग के दिनांक 10.11.2008 के आदेश के अनुसार	8	0.50	2.80
	10	0.55	3.35
	11	0.60	3.95
लेखापरीक्षा द्वारा गणना (एक्सट्रापोलेशन)	12	0.65	4.60
	13	0.70	5.30
	14	0.75	6.05
	15	0.80	6.85
	16	0.85	7.70

अनुलग्नक 4.2 (क)
{पैरा 4.1.4.3 (ख) (2)}

हरियाणा और केरल सर्कल के संबंध में बी ए एल के लिए कम दरों के आवेदन के कारण एस यू सी राशि के अंतर का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

2018-19 (हरियाणा)						
तिमाही	दूरसंचार विभाग के अनुसार ए जी आर	लेखापरीक्षा के अनुसार एस यू सी दर (प्रतिशत में)	सी सी ए द्वारा लागू दर (प्रतिशत में)	लेखापरीक्षा के अनुसार राशि	सी सी ए द्वारा गणना की गई राशि	अंतर
तिमाही 1	65.57	4.31	4.2	2.83	2.75	0.07
तिमाही 2	71.69	4.31	4.20	3.09	3.01	0.08
तिमाही 3	78.62	4.31	4.20	3.39	3.30	0.09
तिमाही 4	79.90	4.31	4.20	3.44	3.36	0.09
कुल				12.75	12.42	0.33

2018-19 (केरल)						
तिमाही	दूरसंचार विभाग के अनुसार ए जी आर	लेखापरीक्षा के अनुसार एस यू सी दर (प्रतिशत में)	सी सी ए द्वारा लागू दर (प्रतिशत में)	लेखापरीक्षा के अनुसार राशि	सी सी ए द्वारा गणना की गई राशि	अंतर
तिमाही 1	136.87	3.50	3.36	4.79	4.60	0.19
तिमाही 2	138.33	3.50	3.36	4.84	4.65	0.19
तिमाही 3	156.53	3.50	3.36	5.48	5.26	0.22
तिमाही 4	136.45	3.50	3.36	4.78	4.58	0.19
कुल				19.89	19.09	0.80
			कुल			1.12

अनुलग्नक 4.2(ख)
{पैरा 4.1.4.3 (ख) (2)}

स्पेक्ट्रम साझा करने के बाद सी सी ए द्वारा एस यू सी के कम मूल्यांकन को दर्शाने वाला विवरण
(आर जे आई एल)

(₹ करोड़ में)

सी सी ए का नाम	साझाकरण के बाद लागू एस यू सी दर (प्रतिशत में)	सी सी ए द्वारा लागू एस यू सी दर (प्रतिशत में)	एस यू सी का कम मूल्यांकन				
			2016-17 (तिमाही-3 एवं तिमाही-4)	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
ए पी	3.50	3.47	0.01	0.41	0.85	1.15	2.43
बिहार	3.50	3.00	0.09	5.38	14.46	20.35	40.28
हरयाणा	3.50	3.03	0.06	2.01	4.17	5.47	11.71
केरल	3.50	3.40	0.01	0.53	0.92	1.14	2.59
महाराष्ट्र	3.50	3.40	0.05	1.28	2.73	3.82	7.88
मुंबई	3.62	3.40	0.36	1.68	2.71	3.53	8.29
उड़ीसा	3.50	3.10	0.03	1.81	4.66	6.54	13.05
कुल			0.61	13.10	30.50	42.01	86.23

अनुलग्नक 4.3
{पैरा संख्या 4.1.4.3 ख (3)(i)}

बी ए एल से कम दावा किए गए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एम डब्ल्यू बी) का ब्यौरा दर्शाने वाला
 विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	तिमाही	लेखापरीक्षित एजीआर	0.55 प्रतिशत पर एस यू सी (एम डब्ल्यू बी) देय	सी सी ए द्वारा 0.35 प्रतिशत की दर से एस यू सी (एम डब्ल्यू बी) वसूली	एस यू सी की कम उगाही
1	2019-20	तिमाही 2	386.74	2.13	1.35	0.77
2		तिमाही 3	495.54	2.73	1.73	0.99
3		तिमाही 4	584.47	3.21	2.05	1.17
		कुल	1,466.75	8.07	5.13	2.93

अनुलग्नक 4.4

{पैरा संख्या 4.1.4.3 ख (3)(ii)}

पूर्वोत्तर सर्किल के संबंध में बी एच एल के लिए कम दरों के आवेदन के कारण एस यू सी राशि के अंतर का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

तिमाही	दूरसंचार विभाग के अनुसार एजीआर	लेखापरीक्षा के अनुसार एस यू सी दर (प्रतिशत में)	सी सी ए के अनुसार दर (प्रतिशत में)	लेखापरीक्षा के अनुसार राशि	सी सी ए द्वारा गणना की गई राशि	लेखापरीक्षा और सी सी ए गणना के बीच अंतर
2018-19						
तिमाही 1	91.84	4.14	4.02	3.80	3.69	0.11
तिमाही 2	96.07	4.14	4.02	3.98	3.86	0.12
तिमाही 3	92.91	4.14	4.02	3.85	3.73	0.11
तिमाही 4	117.60	4.14	4.02	4.87	4.73	0.14
कुल	398.42			16.49	16.02	0.48
2019-20						
तिमाही 1	93.23	4.14	4.02	3.86	3.75	0.11
तिमाही 2	113.89	4.14	4.02	4.71	4.58	0.14
तिमाही 3	143.60	4.14	4.02	5.94	5.77	0.17
तिमाही 4	143.67	4.14	4.02	5.95	5.78	0.17
कुल	494.39			20.47	19.87	0.59
विभिन्न एस यू सी दरों के कारण राशि में कुल अंतर						1.07

अनुलग्नक 4.5
{पैरा संख्या 4.1.4.3 ख (4)}

बी एस एन एल केरल सर्किल के लिए सी सी ए केरल द्वारा एस यू सी का कम मूल्यांकन दर्शाने
वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

न्यूनतम राशि गणना	जी एस एम के लिए
2015-16 ए जी आर (वायरलाइन राजस्व को छोड़कर)	1,066.77
वित्तीय वर्ष ए जी आर (वायरलाइन राजस्व को छोड़कर)	467.44
लेखापरीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए एस यू सी दर (2016 की नीलामी से पहले बी डब्ल्यू ए को छोड़कर)	4.92%
लेखापरीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम राशि	23.00
सी सी ए के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए एस यू सी दर (2016 की नीलामी से पहले बी डब्ल्यू ए को छोड़कर)	4.43%
सी सी ए के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम राशि	20.71
कम मूल्यांकन	2.29

अनुलग्नक 4.6
{पैरा 4.1.4.3 ग (2)}

सी सी ए लखनऊ द्वारा बी ए एल और वी आई एल के संबंध में एस यू सी के कम मूल्यांकन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	टी एस पी का नाम	वित्तीय वर्ष	अंतिम मूल्यांकन पूर्ण होने की तिथि	सी सी ए कार्यालय द्वारा एस यू सी के अंतिम मूल्यांकन के लिए निवल एजीआर	निर्धारित फार्मूले के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई निवल एजीआर	कुल कम लिया गया / गणना किया गया एजीआर	जी एस एम मेन का कम मूल्यांकन (मेसर्स भारती एयरटेल के संबंध में @4.44%) एवं (वोडा-आइडिया के लिए @3.63%)	जी एस एम एम डब्ल्यू ए का कम मूल्यांकन (मेसर्स भारती एयरटेल के संबंध में @1.45%) एवं (वोडा-आइडिया के लिए @1.85%)	जी एस एम एम डब्ल्यू बी का कम मूल्यांकन (मेसर्स भारती एयरटेल के संबंध में @0.35%) एवं (वोडा-आइडिया के लिए @0.55%)	एस यू सी का कुल कम मूल्यांकन
1	2	3	4	5	6	7 (कॉलम 6 - कॉलम 5)	8	9	10	11 (कॉलम8+कॉलम9+ कॉलम10)
1	मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड	2019-2020	02-05-2022	2,065.12	2,193.89	128.77	5.72	1.87	0.45	8.04
		2020-2021	11-07-2022	3,133.83	3,333.13	199.30	8.85	2.89	0.70	12.44
2	मेसर्स वोडा-आइडिया लिमिटेड	2018-2019	01-08-2022	1,450.77	1,574.97	124.21	4.51	2.30	0.68	7.49
		2019-2020	01-07-2022	1,421.08	1,509.78	88.70	3.22	1.64	0.49	5.35
		2020-2021	02-03-2022	1,113.90	1,209.49	95.59	3.47	1.77	0.53	5.76
कुल				9,184.70	9,821.27	636.56	25.76	10.46	2.84	39.07

अनुलग्नक 4.7

{पैरा संख्या 4.1.4.3 घ (i)}

भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए उदारीकरण हेतु आनुपातिक स्पेक्ट्रम लागत की गणना

(₹ करोड़ में)

बी ए एल को प्रशासनिक तौर पर आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा	आबंटन का वर्ष	साझाकरण प्रारंभ होने का वर्ष	लाइसेंस समाप्ति के वर्षों की संख्या	नीलामी में कुल वर्ष के लिए आबंटित स्पेक्ट्रम	स्पेक्ट्रम लाइसेंस के शेष वर्ष	टी टी एम एल के लिए 2016 के नवीनतम नीलामी वर्ष में मुंबई एल एस ए के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज बोली राशि, जिसने बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया	नीलामी वर्ष 2016 में उदारीकरण की लागत	नीलामी वर्ष नवंबर 2016 में एस बी आई पी एल आर (प्रतिशत में)	मई 2018 माह में एस बी आई पी एल आर (प्रतिशत में)	शेयरिंग के महीने में एस बी आई पी एल आर पर आधारित अनुक्रमित बाजार मूल्य	लाइसेंस के शेष वर्ष के लिए उदारीकरण की आनुपातिक लागत
6.2	11-मार्च-02	23-मई-18	16	20	4	489.2	3,033.04	14.05	13.45	2,903.52	580.70
1.8	21-अप्रैल-04	23-मई-18	14	20	6	489.2	880.56	14.05	13.45	842.96	252.89
1.2	20-जनवरी-06	23-मई-18	12	20	8	489.2	587.04	14.05	13.45	561.97	224.79
										कुल	1,058.38

गणना की विधि:

ओ टी एस सी शुल्क की गणना प्रशासनिक स्पेक्ट्रम के आवंटन की तिथि, स्पेक्ट्रम साझा करने की तिथि, नवीनतम स्पेक्ट्रम नीलामी में एल एस ए में साझा स्पेक्ट्रम की कीमत तथा नवीनतम कार्रवाई की तिथि और साझा करने की तिथि के अनुसार एस बी आई प्राइम लेंडिंग दर को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आनुपातिक आधार पर की गई है।

अनुलग्नक 4.8

{पैरा संख्या 4.1.4.3 घ (ii)}

बी एस एन एल के बकाये के पुनर्मूल्यांकन के बाद दूरसंचार विभाग द्वारा एल एफ / ब्याज / जुर्माना / जुर्माने पर ब्याज के रूप में जोड़ी गई राशि

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	लेखापरीक्षा द्वारा जुटाई गई राशि	दूरसंचार विभाग द्वारा जोड़ी गई राशि
2014-15	984.10	984.10
2015-16	3,433.36	3,282.17
2016-17	2,669.69	2,669.69
2017-18	1,860.69	1,860.69
2018-19	1,276.36	1,276.36
2019-20	1,155.02	1,155.02
कुल	11,379.22	11,228.03
	लाइसेंस शुल्क @ आठ प्रतिशत	898.24
	एस यू सी @ तीन प्रतिशत	336.84

गणना की विधि:

बी एस एन एल के लिए बकाया राशि की गणना दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए संशोधित मूल्यांकन के अनुसार की गई है, जिसमें लेखापरीक्षा टिप्पणियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बकाया को स्पष्ट करने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखा गया है।

अनुलग्नक 4.9
{पैरा संख्या 4.1.4.3 घ (ii)}

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर राजस्व की कम रिपोर्टिंग का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा एम टी एन एल के मूल्यांकन के दौरान वापस नहीं जोड़ा गया है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
राशि	67.84	47.34	34.38	23.06	172.62

लाइसेंस शुल्क @ 8% 13.81
एस यू सी @ 3% 5.18

गणना की विधि:

एम टी एन एल के लिए बकाया राशि की गणना लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार की गई है।

अनुलग्नक 5.1

(पैराग्राफ 5 देखें)

आर जे आई एल द्वारा प्रयुक्त दोहरी प्रौद्योगिकी के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सेवा प्रभार हेतु
अप्रदत्त राशि

क्रमांक	मंडल का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश मंडल	92.57
2.	असम सर्कल	18.73
3.	बिहार सर्कल	3.11
4.	छत्तीसगढ़ परिमंडल	100.93
5.	चेन्नई टेलीफोन जिला	16.43
6.	गुजरात सर्किल	92.52
7.	हरियाणा सर्कल	6.93
8.	हिमाचल प्रदेश	8.09
9.	जम्मू और कश्मीर	0.96
10.	झारखंड सर्कल	15.86
11.	कर्नाटक सर्कल	205.36
12.	केरल सर्कल	156.03
13.	कोलकाता टेलीफोन जिला	21.63
14.	एमपी सर्कल	284.74
15.	महाराष्ट्र	183.88
16.	ईशान कोण	6.20
17.	ओडिशा सर्कल	60.34

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 1

18.	पंजाब सर्कल	22.01
19.	तमिलनाडु मंडल	247.01
20.	तेलंगाना सर्कल	89.32
21.	यूपी ईस्ट	43.00
22.	यूपी पश्चिम	41.19
23.	उत्तराखंड	44.02
	कुल	1,757.76

अनुलग्नक 5.2
(पैराग्राफ 5.3 देखें)

दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं (टी आई पी) से एल एफ का हिस्सा जो काटा जाना है
(2019-20 से 2021-22)

क्र.सं.	घेरा	2019-22 के लिए टीआईपी को भुगतान किए गए राजस्व हिस्से से लाइसेंस प्रभार की कटौती न करने के कारण हानि (राशि ₹ में)
1	तमिलनाडु	6,26,25,658
2	केरल	8,01,54,690
3	कर्नाटक	4,06,33,641
4	राजस्थान Rajasthan	2,21,51,077
5	गुजरात	86,66,194
6	यूपी पश्चिम	70,58,547
7	यूपी ईस्ट	93,17,536
8	उत्तराखंड	48,89,965
9	महाराष्ट्र	4,25,97,373
10	बिहार	76,39,351
11	झारखंड (जमशेदपुर और रांची)	35,32,240
12	तेलंगाना	30,75,473
13	आंध्र प्रदेश	2,48,78,679
14	ओडिशा	1,19,11,732
15	हरयाणा	29,72,583
16	हिमाचल प्रदेश	66,92,011
17	जम्मू और कश्मीर	82,69,328
18	पंजाब	1,63,59,052
19	पश्चिम बंगाल	32,83,636
20	मध्य प्रदेश	1,54,31,085
21	छत्तीसगढ़	14,75,018
22	कलकत्ता टीडी	2,406
	कुल	38,36,17,278

अनुलग्नक 5.3
(पैराग्राफ 5.4 देखें)

आधार दर वृद्धि चार्ट @ 2.5% वार्षिक (राशि ₹ में)		
वित्तीय वर्ष	जी बी टी	आर टी टी
2014-15	38,700	24,900
2015-16	39,668	25,523
2016-17	40,659	26,161
2017-18	41,676	26,815
2018-19	42,718	27,485
2019-20	43,785	28,172
2020-21	44,880	28,876
2021-22	46,002	29,598
2022-23	47,152	30,338
2023-24	48,331	31,096

अनुलग्नक 5.4
(पैराग्राफ 5.4 देखें)

मेसर्स आर जे आई एल द्वारा बी एस एन एल को देय पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग प्रभार के लिए कम बिलिंग का विवरण दर्शाने वाला विवरण (राशि ₹ में)

क्रम सं.	बी एस एन एल दूरसंचार सर्किल/जिला	साइटों की संख्या (मार्च 2023 तक)	काल	बी एस एन एल द्वारा जारी बिलों के अनुसार कुल	लेखापरीक्षा द्वारा कुल दावा योग्य राशि	टी एस पी (मेसर्स आर जे आई एल) से वसूली योग्य			लेखापरीक्षा के आधार पर वसूली की गई	बकाया राशि (जीएसटी सहित)
						आईपीएफ	जीएसटी @18%	कुल (जीएसटी सहित)		
1	कोलकाता टेलीफोन जिला (केटीडी)	95	2015-16 से 2022-23	31,48,95,148	32,26,09,035	77,13,886	13,88,500	91,02,386	0	91,02,386
2	पश्चिम बंगाल	366	2015-16 से 2022-23	91,25,34,170	95,35,91,629	4,10,57,459	73,90,343	4,84,47,802	3,97,38,432	87,09,370
3	असम	66	2019-20 से 2022-23 (22 नवंबर तक)	8,60,49,033	9,08,45,512	47,96,479	8,63,366	56,59,845	0	56,59,845
4	उत्तर पूर्व I	37	2019-20 से 2023-24 (नवंबर 2023 तक)	5,90,92,314	6,40,69,614	49,77,300	8,95,914	58,73,214	51,33,126	7,40,088
5	उत्तर पूर्व II	29	2019-20 से 2023-24 (अगस्त 2023 तक)	5,57,90,237	5,91,97,460	34,07,223	6,13,300	40,20,523	21,13,738	19,06,785
6	ओडिशा	256	2015-16 से 2023-24 (मई 2023 तक)	52,14,89,775	56,19,58,747	4,04,68,972	72,84,415	4,77,53,387	0	4,77,53,387

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 1

क्रम सं.	बी एस एन एल दूरसंचार सर्किल/जिला	साइटों की संख्या (मार्च 2023 तक)	काल	बी एस एन एल द्वारा जारी बिलों के अनुसार कुल	लेखापरीक्षा द्वारा कुल दावा योग्य राशि	टी एस पी (मेसर्स आर जे आई एल) से वसूली योग्य			लेखापरीक्षा के आधार पर वसूली की गई	बकाया राशि (जीएसटी सहित)
						आईपीएफ	जीएसटी @18%	कुल (जीएसटी सहित)		
7	राजस्थान	695	2015-16 से 2023-24 (नवंबर 2023 तक)	1,65,54,89,217	1,69,00,88,007	3,45,98,790	62,27,782	4,08,26,572	0	4,08,26,572
8	गुजरात	381	2015-16 से 2023-24	86,21,59,146	91,04,14,689	4,82,55,543	86,85,998	5,69,41,541	0	5,69,41,541
9	बिहार	81	2019-20 से 2023-24	14,74,35,385	15,86,59,808	1,12,24,423	20,20,396	1,32,44,819	0	1,32,44,819
10	पंजाब	171	2016-17	10,19,88,220	10,48,22,413	28,34,193	5,10,155	33,44,348	33,44,348	0
11	जम्मू और कश्मीर	46	2015-16 से 2023-24	13,37,66,767	13,63,62,698	25,95,931	4,67,268	30,63,198	0	30,63,198
12	मध्य प्रदेश	603	2019-20 से 2023-24 (फरवरी 2024 तक)	1,15,45,44,576	1,22,37,99,557	6,92,54,980	1,24,65,896	8,17,20,877	0	8,17,20,877
13	तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल	552	2016-17 से 2019-20	63,00,35,678	64,16,64,816	1,16,29,138	20,93,245	1,37,22,382	0	1,37,22,382
14	महाराष्ट्र और गोवा	842	2019-20 से 2023-24 (नवंबर 2023 तक)	1,48,82,62,682	1,58,57,21,812	9,74,59,130	1,75,42,643	11,50,01,774	10,83,40,734	66,61,040
	कुल	4,220		8,12,35,32,349	8,50,38,05,796	38,02,73,448	6,84,49,221	44,87,22,668	15,86,70,378	29,00,52,290

नोट: देय राशि / बकाया पर 18% की दर से जी एस टी लागू किया जाएगा, चाहे बकाया का वर्ष कुछ भी हो, इसलिए जी एस टी / कर की गणना माह / वर्ष के अनुसार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक 5.5
(पैराग्राफ 5.6 देखें)

ब्याज की हानि की गणना

क्रम सं.	बकाया राशि	वह तिथि जिस दिन राशि देय होगी	एसबीआई का एमसीएलआर*	दिलचस्पी		मात्रा (₹ करोड़ में)
				से	को	
1	4.80	1/1/2019	8.55	1/1/2019	31/12/2019	0.41
2	5.21	1/1/2020	7.90	1/1/2020	31/12//2020	0.41
3	5.62	1/1/2021	7.00	1/1/2021	31/12//2021	0.39
4	6.02	1/1/2022	7.00	1/1/2022	31/12//2022	0.42
5	6.44	1/1/2023	8.30	1/1/2023	31/12//2023	0.53
6	6.97	1/1/2024	8.65	1/1/2024	31/3/2024	0.15
					कुल	2.31

*सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर

अनुलग्नक 5.6
(पैराग्राफ 5.7.1 देखें)

मामला 1: ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹21.62 करोड़ का हानि हुआ

तालिका 1

इन्फोस्पार्क और आई टी आई द्वारा उठाए गए पी ओ का विवरण

क्र. सं.	इन्फोस्पार्क द्वारा आईटीआई पर पी ओ रखे जाने की तिथि	मात्रा (₹ करोड़ में)	आर वी पी एल पर आई टी आई द्वारा पी ओ रखे जाने की तिथि	मात्रा (₹ करोड़ में)
1	06.02.2018	11.69	10.02.2018	11.10
2	05.03.2018	09.93	06.03.2018	09.44
	कुल	21.62		20.54

तालिका 2

आर वी पी एल और आई टी आई द्वारा जारी चालान का विवरण

क्र. सं.	आईटीआई पर आरवीपीएल द्वारा जारी किए गए चालान की तिथि	मात्रा (₹ करोड़ में)	इन्फोस्पार्क पर आईटीआई द्वारा जारी किए गए चालान की तिथि	मात्रा (₹ करोड़ में)
1	23.02.2018	6.55	26.02.2018	6.90
2	09.03.2018	4.55	16.03.2018	4.79
3	29.03.2018	9.44	29.03.2018	7.72
4			29.03.2018	2.21
	कुल	20.54		21.62

अनुलग्नक 5.7
(पैराग्राफ 5.7.2 देखें)

मामला 2: खराब परियोजना प्रबंधन और कंसोर्टियम साझेदार को अनुचित लाभ के कारण राजस्व की हानि और धन का अवरुद्ध होना।

तालिका 1

आर वी पी एल द्वारा सी सी एम एस की आपूर्ति और स्थापना का विवरण

आरवीपीएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सीसीएमएस की कुल संख्या	22,500
आरवीपीएल द्वारा आपूर्ति की गई सीसीएमएस की संख्या	17,500
सीसीएमएस की आपूर्ति समय पर की गई (मार्च 2019 तक)	14,200
निर्धारित तिथि के बाद सीसीएमएस की आपूर्ति	3,300
सीसीएमएस स्थापित (अगस्त 2019 से जनवरी 2020 तक)	12,659
सी सी एम एस अनइंस्टॉल किया गया	4,841

तालिका 2

मेसर्स ई ई एस एल पर आई टी आई द्वारा जारी किए गए चालान का विवरण

चालान की तारीख	कार्य का वर्णन	सीसीएमएस इकाइयों की संख्या	चालान की राशि (₹ करोड़)
25.03.2019	आपूर्ति	5,500	7.72
30.03.2019		8,700	12.22
12.06.2019		300	0.42
18.07.2019		3,000	4.21
	कुल	17,500	24.57
अगस्त - दिसंबर 2019	इंस्टालेशन	11,622	0.41
	कुल योग		24.98

तालिका 3

ई ई एस एल द्वारा कटौती की गई राशि का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	मात्रा (₹ करोड़ में)
1	आईटीआई द्वारा प्रस्तुत कुल चालान	24.98
2	रोकी गई राशि (3642 स्थापित इकाइयों के लिए दस्तावेजी प्रमाण के अभाव, 4841 इकाइयों की गैर-स्थापना और खराब रखरखाव के कारण)	6.93
3	ईईएसएल द्वारा संसाधित चालान (24.98-6.93)	18.05
4	ईईएसएल द्वारा कटौती की गई राशि	
क	परिसमाप्त प्रभार	0.71
ख	गैर-अनुपालन	0.79
ग	सीपीजी प्रस्तुत न करने पर कटौती की गई राशि	5.38
घ	अन्य कटौतियाँ	0.43
	कुल	7.31
5	ई ई एस एल द्वारा आई टी आई को भुगतान की गई राशि (18.05- 7.31)	10.74

शब्दावली

ए बी	स्वायत्त निकाय
ए एम सी	वार्षिक रखरखाव अनुबंध
ए एम आर सीडी	सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र
ए पी एम एस	लेखापरीक्षा पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम
ए टी एन	कार्रवाई टिप्पणी
ए टी आर	कार्रवाई उत्तर
बी बी एन एल	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
बी एन सी	बैंडविड्थ वार्ता समिति
बी एन पी एम आई पी एल	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
बी ओ	शाखा कार्यालय
बी आर बी एन एम पी एल	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
बी एस एन एल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बी टी एस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन
सी ए बी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय
सी सी ए	संचार लेखा नियंत्रक
सी सी आई	बुनियादी ढांचे पर कैबिनेट समिति
सी सी एम एस	केंद्रीकृत नियंत्रित निगरानी प्रणाली
सी डी	प्रभार्य दूरी
सी - डैक	उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र
सी डी एम ए	कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
सी जी एम एस टी	मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार
सी जी एस टी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सी - एम ई टी	इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र
सी पी जी	अनुबंध निष्पादन गारंटी
सी पी एस ई	केंद्रीय सार्वजनिक केंद्रीय उद्यम
सी ओ पी यू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर समिति
सी एस सी	सामान्य सेवा केंद्रों

सी टी डी पी	व्यापक दूरसंचार विकास योजना
डी सी	डाटा केन्द्र
डी ई ए	आर्थिक मामलों का विभाग
डी आई सी	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
डी ओ ई	व्यय विभाग
डी ओ पी	डाक विभाग
डी ओ पी टी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
डी ओ टी	दूरसंचार विभाग
डी आर	आपदा बहाली
डी पी आर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई ई एस एल	ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड
ई एफ सी	व्यय वित्तीय समिति
ई एन	व्याख्यात्मक टिप्पणी
ई ओ आई	हित का सूत्र
ई आर एन ई टी	कंप्यूटर नेटवर्किंग में शिक्षा और अनुसंधान
एफ डी डी	आवृत्ति विभाजन द्वैधीकरण
एफ टी टी एच	फाइबर टू द होम
एफ वाई	वित्तीय वर्ष
जी बी टी	ग्राउंड बेस टावर
जी ई सी	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज
जी ई एम	सरकारी ई बाज़ार
जी ओ आई	भारत सरकार
जी पी एस	ग्राम पंचायतें
जी एस एम	मोबाइल संप्रेषण के लिए विश्वव्यापी व्यवस्था
जी एस टी आर	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न
एच एल सी	उच्च स्तरीय समिति
एच पी ओ	प्रधान डाकघर
आई एंड बी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
आई एफ एस सी ए	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आई पी	इंटरनेट प्रोटोकॉल

आईपीपीबी	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
आई एस	सूचना प्रणाली
आई एस ओ	इन्फ्रा शेयरिंग ऑपरेटर
आई एस पी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
आई टी	सूचना प्रौद्योगिकी
आई टी सी	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आई टी आई	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
के ई एल टी आर ओ एन	केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास केंद्र
एल सी	साख पत्र
एल डी सी	निम्न श्रेणी क्लर्क
एल ई डी	प्रकाश उत्सर्जक डायोड
एल ओ ए	लैटर आफ अवार्ड
एल टी ई	दीर्घकालिक विकास
एम ई आई टी वाई	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एम आई एस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम ओ सी	संचार मंत्रालय
एम ओ एफ	वित्त मंत्रालय
एम ओ एस पी आई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एम ओ यू	समझौता ज्ञापन
एम एस ए	मास्टर सेवा करार
एम एस एमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एम टी एल	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
एम टी एन एल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एन ई आर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एन आई सी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एन आई सी एस आई	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक
एन आई ई एल आई टी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एन आई आई एफ टी एल	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड
एन के एन	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
एन एल डी - एस पी	राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाता

एन ओ सी	नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर
एन ओ एफ एन	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर प्रबंधन परियोजना
एन एस सी	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
ओ एंड एम	संचालन और रखरखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पीए एंड एफ	डाक लेखा और वित्त
पी ई ए	परियोजना कार्यकारी एजेंसी
पी जी सी आई एल	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पी आई ए	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पी आई जे एफ	पॉलीइथिलीन इंसुलेटेड जेली युक्त केबल
पी एल आई	डाक जीवन बीमा
पी ओ	क्रय आदेश
पी ओ पी	उपस्थिति बिंदु
पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आर एफ पी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर जे आई एल	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
आर पी एल आई	ग्रामीण डाक जीवन बीमा
आर आर	भर्ती नियम
आर आर एच	रिमोट रेडियो हेड
आर टी सी आई एल	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
आर वी पी एल	रीकैप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
आर डब्लू ए	रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन
समीर	सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च
एस ए पी	प्रणाली, अनुप्रयोग और उत्पाद
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस एच जी	स्वयं सहायता समूह
एस ओ	उप कार्यालय
एस पी वी	विशेष उद्देश्य वाहन
एस टी पी आई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एस टी क्यू सी	मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

टी ए सी	तकनीकी सलाहकार समिति
टी सी आई एल	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
टी डी एस	स्रोत पर कर कटौती
टी डी सैट	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण
टी ई	प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग
टी ई सी	दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र
टी आई पी	दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता
टी एस पी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
यू ए एल	सार्वभौमिक प्रवेश शुल्क
यू आई डी	विशिष्ट पहचान संख्या
यू आई डी ए आई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यू एस ओ	वैश्विक सेवा दायित्व
यू एस ओ एफ	वैश्विक सेवा दायित्व निधि
वी एल ई	ग्राम स्तरीय उद्यमी
वी आर एस	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना
वाई फ़ाई	वायरलेस फिडेलिटी
वाई मैक्स	माइक्रोवेव एक्सेस के लिए दुनिया भर में अंतर-संचालनीयता
डब्ल्यू एल एल	वायरलेस इन लोकल लूप
डब्ल्यू टी पी	वेस्टर्न टेलीकॉम परियोजना
डब्ल्यू टी आर	पश्चिमी दूरसंचार क्षेत्र

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/pt/delhi/en/page-pt-delhi-union-reports>

